सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2009 को समाप्त
हुए वर्ष का
प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

बिहार सरकार

http://www.cag.gov.in

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
कार्यपालक सारांश		v
अध्याय– I राज्य सरकार का वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य के स्रोत	1.2	3
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	5
संसाधनों का उपयोग	1.4	8
व्यय की गुणवत्ता	1.5	12
सरकारी व्यय एवं निवेश का विश्लेषण	1.6	16
परिसंपत्ति एवं देनदारी	1.7	18
ऋण निर्वाहता	1.8	21
राजकोषीय असंतुलन	1.9	22
निष्कर्ष	1.10	26
अनुशंसाएँ	1.11	26
अध्याय–II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	27
विनियोजन लेखाओं का सारांश	2.2	27
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	28
लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	2.4	31
व्यय आँकड़ों का मिलान नहीं किया जाना	2.5	31
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	32
निष्कर्ष	2.7	32
अनुशंसाएँ	2.8	32
अध्याय–III वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	3.1	33
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	3.2	33
दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि	3.3	34
निष्कर्ष	3.4	35
अनुशंसाएँ	3.5	36

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
	परिशिष्ट		
1.1	सरकारी लेखे की संरचना एवं वित्त लेखे का अभिन्यास	1.1	37
1.2	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी कार्य प्रणाली	1.1, 1.5.1 एवं 1.5.3	39
1.3	राज्य सरकार के वित्त कालबद्ध आंकड़े	1.1, 1.3 एवं 1.7.2	41
1.4	वर्ष 2008–09 की प्राप्तियों एवं संवितरण	1.1.1	44
1.5	राज्य क्रियान्वयन समितियों को निधि का सीधा हस्तांतरण	1.2.2	47
1.6	राजस्व बकायों का विभागवार विवरण	1.3.3	48
1.7	31 मार्च 2009 को बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सार	1.7.1	50
2.1	वैसे अनुदान/विनियोजन की विवरणी जहाँ प्रावधान के 10 करोड़ रूपये से ज्यादा या 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत हुई	2.3.1	52
2.2	100 करोड़ रूपये से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों की सूची	2.3.1	54
2.3	वैसे अनुदानों की सूची जहाँ बर्ष 2004–09 में सतत् बचत हुए	2.3.2	55
2.4	विगत वर्षो में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना है	2.3.3	56
2.5	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में रूपये 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	2.3.4	57
2.6	निधि का अधिक पुनर्विनियोग	2.3.5	59
2.7	पुनर्विनियोजन द्वारा निधि की अपर्याप्त निकासी	2.3.5	60
2.8	वर्ष के दौरान पर्याप्त अभ्यर्पण (रूपये 50 लाख या उससे अधिक)	2.3.6	61
2.9	वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण	2.3.7	64
2.10	अभ्यर्पित नहीं की गई 10 करोड़ रूपये और उससे अधिक बचत की राशि की विवरणी	2.3.8	65
2.11	एक करोड़ रूपये से ज्यादा एवं रूपये 10 करोड़ के अन्दर की बचत की राशि जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी	2.3.8	66
2.12	30 एवं 31 मार्च 2009 को अभ्यर्पित की गई निधियों के मामले (रूपये 10 करोड़ से ज्यादा)	2.3.8	67
2.13	वर्ष 2008–09 के दौरान प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रूपये से ज्यादा की असमाशोधित राशि की विवरणी	2.5	69
2.14	आकस्मिकता निधि से निकासी (2008–09) की विवरणी	2.6	71
3.1	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की विवरणी	3.1	73
3.2	गबन एवं सामग्रियों के हानि के कारण क्षति का विभागवार/वर्षवार विवरणी (मामले जिन पर मार्च 2009 तक अन्तिम कार्रवाई लंबित थे)	3.3	74
3.3	सरकार को हुई क्षति का विभागवार विवरणी	3.3	75

प्राक्कथन

1. प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

3. अध्याय III ''वित्तीय प्रतिवेदन'' चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों के साथ राज्य सरकार के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है ।

कार्यपालक सारांश

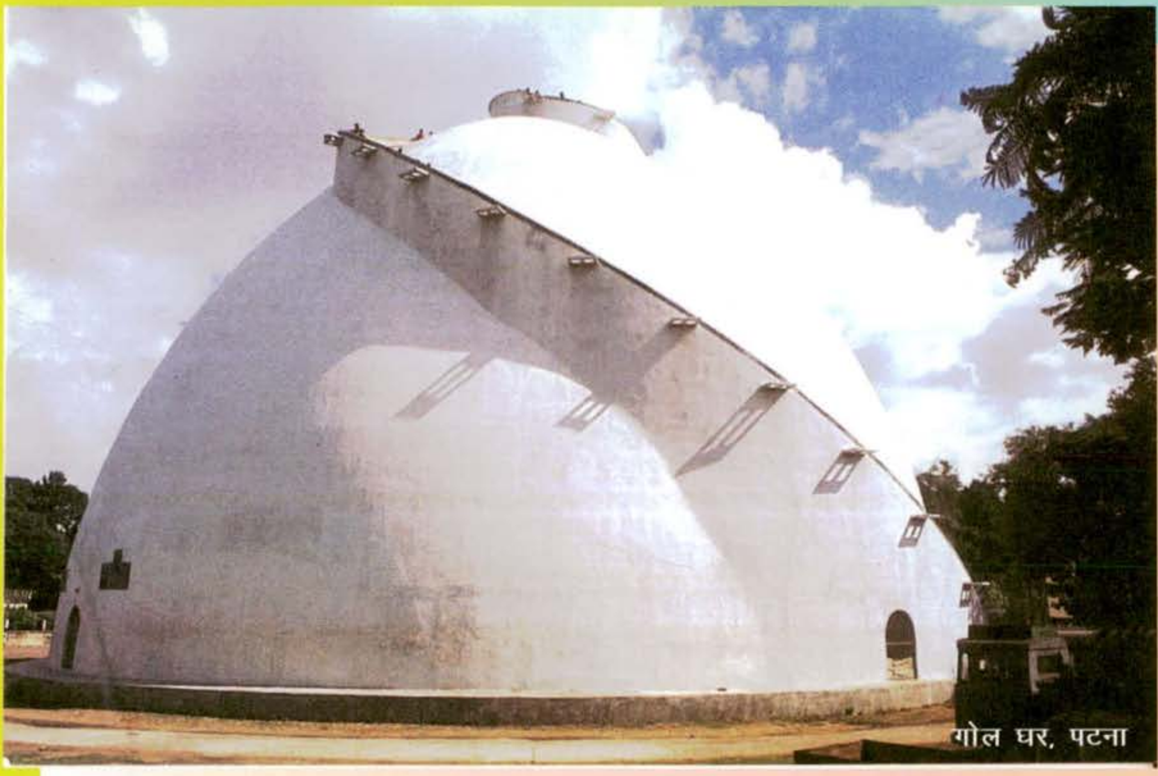

गोल घर, पटना

कार्यपालक सारांश

पृष्ठभूमि

द्वादस वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में बिहार सरकार ने राजकोषीय स्थायित्व एवं वहनीयता सुनिश्चित करने एवं राजस्व घाटा के उतरोत्तर समापन, राजकोषीय घाटे में कमी, वित्तीय वहनीयता से संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकाधिक पारदर्शिता एवं मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के आलोक में राजकोषीय नीति के संचालन की दृष्टि से अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम बनाया जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा0 उ0 ब0 प्र0) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा इन सुधारों के लिए की गई वचनबद्धता को विस्तृत रूप से आगामी बजटों की घोषित नीति में दर्शाया गया है। रा0 उ0 ब0 प्र0 अधिनियम का लाभ बहुत हद तक घाटा–सूचकों में कमी के रूप में पहले ही उठाया जा चुका है।

राज्य सरकार ने वर्ष–दर–वर्ष राज्य–वित्त पर साक्ष्य के रूप में आंकड़े प्रस्तुत कर राजकोषीय पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पर एक संस्थागत क्रिया विधि को स्थापित कर अच्छा कार्य किया है। हालांकि, यह आंकड़ा ऋण की स्थिति सहित वित्तीय प्रबंधन आदि की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा राज्य विधान मंडल एवं अन्य जोखिम धारकों के लाभ के लिए प्रस्तुत नहीं करता है।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में रा0 उ0 ब0 प्र0 अधिनियम लागू होने के बाद तीन वर्षों से अधिक समय से सरकार के वित्त पर टिप्पणियाँ की जाती रही है। चुँकि ये टिप्पणियाँ सिविल लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का हिस्सा होती थीं, यह अनुभव किया गया कि राज्य वित्त पर लेखा–परीक्षा जाँच के परिणाम अप्रकटित (गौण) रह जाते थे क्योंकि इसके अधिकांश लेखा परीक्षा परिणामों के अनुपालन एवं निष्पादन से संबंधित होने के कारण इस ओर स्पष्ट एवं पूर्ण ध्यानाकर्षण नहीं हो पाता था अतः राज्य के वित्त के उचित पहचान के लिए राज्य–सरकार के वित्त पर एक अलग प्रतिवेदन तैयार करने का विचार आया। तदनुसार, इस चुनौती को स्वीकार कर नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने प्रतिवेदन वर्ष 2009 से आगे "वित्त पर प्रतिवेदन" शीर्षक से एक अलग खण्ड प्रकाशित करने का निर्णय लिया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–I वित्त लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2009 तक के सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह राजकोषीय प्रतिबद्ध व्यय एवं उधार–प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने के अतिरिक्त बजट से इतर मार्ग से राज्य के कार्यवाहक एजेंसियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों की संक्षिप्त लेखा उपलब्ध कराता है।

अध्याय–2 विनियोग लेखे की लेखा परीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदान वार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का प्रबंध किस ढंग से किया गया है का वर्णन करता है।

अध्याय–3 विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखा परीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए गए अतिरिक्त आंकड़ा भी इस में होता है।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय अनुशासन – द्वादश वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राजस्व घाटे को शून्य तक कम करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और राज्य के पास राजस्व अधिशेष है। राजस्व प्राप्तियाँ 4770.97 करोड़ रूपए तक बढ़ गईं, जिसमें 3056.67 करोड़ रूपए (64 प्रतिशत) सहायता–अनुदानों तथा भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय करों का अंश था।

गैर योजना व्यय को कम करने की आवश्यकताः कुल व्यय का 80 प्रतिशत राजस्व–व्यय था जिसमें से 75 प्रतिशत गैर–योजनान्तर्गत था, जिसमें वेतन, पेंशन–भुगतान, ब्याज देयताएँ एवं आर्थिक सहायता पर व्यय भी शामिल था।

सरकारी निवेश की समीक्षाः सांविधिक कंपनियों, सरकारी कंपनियों सहकारी–बैंकों एवं समितियों में सरकारी निवेशों पर विगत तीन वर्षों के दौरान औसत प्रतिलाभ शुन्य से 0.38 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि उधारों पर भुगतान किए गए सरकारी ब्याज दरें 7.15 से 7.93 प्रतिशत तक के परास में थी। स्पष्टतः यह योजना असह्य थी। अतः सरकार को अपने निवेश के बदले अधिक मौद्रिक–मूल्य प्राप्त करने हेतु कदम उठाना चाहिए। अन्यथा उच्च लागत पर उधार ली गई निधियों को परियोजनाओं में निवेशित कर कम वित्तीय प्रतिलाभों के कारण आर्थिक क्षति उठानी जारी रहेगी।

राजकोषीय देयताओं की वृद्धि के साथ सरकारी निवेश पर नगण्य दरों के प्रतिलाभ तथा ऋणों एवं अग्रिमों पर अपर्याप्त ब्याज–लागत की वसूली के कारण मध्यम से दीर्घ अवधि के असह्य ऋण की स्थिति उत्पन्न होगी जब तक कि गैर–योजना राजस्व–व्यय को कम करने के लिए उपर्युक्त उपाय न किए जाएँ तथा कर एवं गैर–कर दोनों स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को न जुटाए जाएँ।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रणः 2008–09 के दौरान 11313.14 करोड़ रूपए की बचत जो 11,369.48 करोड़ रूपये के कुल बचतों के परिणाम स्वरूप थी और 54.63 करोड़ रूपए से अधिक हो रही थी। इस अधिकाई को संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचतों से अधिक थी, जो बजटीय नियंत्रण के अभाव एवं अपर्याप्त होना दर्शाता है। 1093.85 करोड़ रूपए के बचत के विरूद्ध अभ्यर्पित की गई कुल राशि 1262.73 करोड़ रूपये थी, परिणाम स्वरूप 168.88 करोड़ रूपये अधिक अभ्यर्पित किए गए। अनुदानों/विनियोजनों के 33 मामले जिनमें 9802.01 करोड़ रूपए की बचत हुई परन्तु 2669.29 करोड़ रूपए (बचत का 27.23 प्रतिशत) संबंधित विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किए गए थे। इसी प्रकार, 50 मामलों में बचत के 6310.70 करोड़ रूपए मार्च 2009 के अंतिम दो कार्य दिवसों में अभ्यर्पित किए गए। अधिक व्यय के 7026.64 करोड़ रूपए नियमन के लिए 1977 से 2008 तक लंबित थे। 31 योजनाओं में 100 प्रतिशत निधियों के अभ्यर्पण की राशि 103.23 करोड़ रूपये थी। वित्तीय प्रबंधन में ऐसी कमियों (त्रुटियों) को दूर करने के लिए बजटीय नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना होगा।

वित्तीय प्रतिवेदनः विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों के अनुपालन में राज्य–सरकार का कार्य असंतोषजनक था, जो विभिन्न अनुदान ग्राही संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों एवं ऋणों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र करने में विलंब से स्पष्ट हुआ। सरकार ने मार्च 2009 तक 380.99 करोड़ रूपए की सरकारी धन के दुर्विनियोजन, गबन, चोरी एवं हानि आदि के 890 मामलों को प्रतिवेदित किया जिन पर अंतिम कार्रवाई होनी लंबित थी। दोषियों को दंडित करने के लिए दुर्विनियोजन के सभी मामलों में विभागीय जाँच/अंतिम कार्रवाई शीघ्र करनी होगी। भविष्य में ऐसे मामलों के निषेध के लिए सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना होगा।

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त

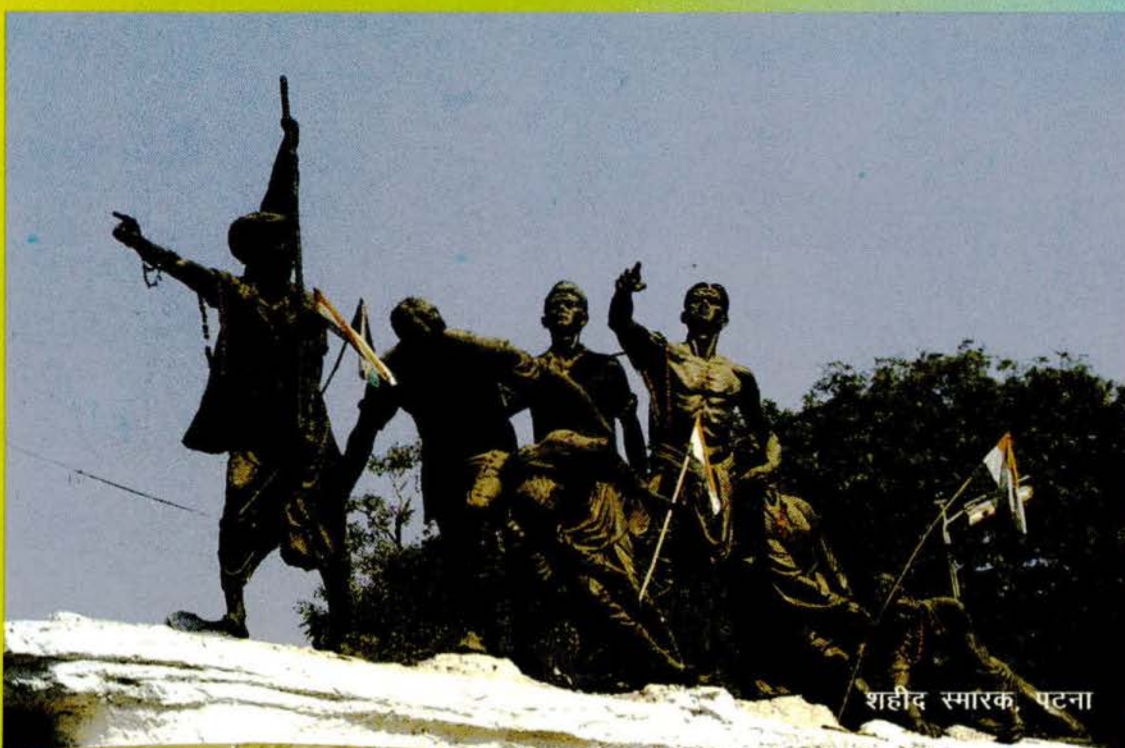

शहीद स्मारक, पटना

अध्याय–I

राज्य सरकार का वित्त

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष में बिहार सरकार के वित्त का विस्तृत रूपरेखा पिछले पाँच वर्षों के समग्र प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सरकारी लेखे की संरचना एवं वित्त लेखे का अभिन्यास **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है। विश्लेषण राज्य वित्त लेखे एवं राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है। राज्य के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अपनाई गई कार्य प्रणाली **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाया गया है। सरकारी लेखे के कालबद्ध आंकड़े **परिशिष्ट 1.3** में दिए गए हैं।

1.1.1 चालू वर्ष का वित्तीय लेन–देन का सारांश

तालिका 1.1 में चालू वर्ष (2008–09) तथा विगत वर्ष के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय क्षेत्र लेन–देनों का सारांश प्रस्तुत किया गया है तथा **परिशिष्ट 1.4** में चालू वर्ष के दौरान विस्तृत प्राप्तियों एवं संवितरणों तथा संपूर्ण वित्तीय स्थिति को दिखाया गया है।

तालिका 1.1 चालू वर्ष का वित्तीय संचालन का सारांश

(रूपये करोड़ में)

2007-08	प्राप्तियाँ	2008-09	2007-08	संवितरण	2008-09		
खण्ड 'क' राजस्व					गैर योजना	योजना	कुल
28,209.72	राजस्व प्राप्तियाँ	**32980.69**	**23,562.87**	राजस्व व्यय	21231.29	7280.29	28511.58
5,086.17	कर राजस्व	6172.74	9,251.97	सामान्य सेवाएं	10247.72	281.79	10529.51
525.59	करेत्तर राजस्व	1153.32	9,867.99	सामाजिक सेवाएं	7885.71	4366.39	12252.10
16,766.29	संघीय कर/शुल्कों का अंश	17692.51	4,437.90	आर्थिक सेवाएं	3093.90	2632.11	5726.01
5,831.67	भारत सरकार से अनुदान	7962.12	5.01	सहायता अनुदान, अंशदान	3.96	0.00	3.96
खण्ड 'ख' पूँजीगत							
0.00	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	6,103.78	पूँजीगत परिव्यय	99.55	6336.80	6436.35
26.16	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	11.32	272.70	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	354.39	196.66	551.05
1,611.90	लोक ऋण प्राप्तियाँ*	5927.89	1,631.85	लोक ऋण की अदायगियाँ*	**	**	1682.28
0.00	आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि	**	**	0.00
12,837.48	लोक लेखा प्राप्तियाँ	16941.02	10,333.58	लोक लेखा संवितरण	**	**	17310.63
1,407.58	आरंभिक नकद शेष	2188.06	2,188.06	अंतिम नकद शेष	**	**	3557.09
44,092.84	**कुल**	**58048.98**	**44,092.84**	**कुल**			**58048.98**

(स्रोतः वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 का वित्त लेखा)

* निवल अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के लेनदेन को छोड़कर

** योजना एवं गैर योजना का विभाजन उपलब्ध नहीं

वर्ष 2008–09 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो निम्नांकित हैः–

- पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 4771 करोड़ रूपये (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व (1087) करोड़ रूपये, करेत्तर राजस्व (628 करोड़ रूपये) भारत सरकार से अनुदान (2130 करोड़ रूपये) एवं संघीय करों का अंशदान (926 करोड़ रूपये) के कारण हुई।
- पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 4949 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई जो मुख्यतः सामान्य सेवाएं (1277 करोड़ रूपये), सामाजिक सेवाएं (2384 करोड़ रूपये) एवं आर्थिक सेवाएं (1288 करोड़ रूपये) के व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- जबकि सामाजिक सेवाएं में वृद्धि 24 प्रतिशत दर्ज की गई, आर्थिक सेवाओं में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- पूर्व वर्ष की तुलना में परिसम्पतियों के निर्माण में पूँजीगत व्यय में 333 करोड़ रूपये (पाँच प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरण में क्रमशः 4104 करोड़ रूपये (32 प्रतिशत) एवं 6977 करोड़ रूपये (68 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लोक लेखा के निवल प्राप्तियों में पूर्व वर्ष की तुलना में 2874 करोड़ रूपये की कमी आई।
- इन लेन देनों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में नकद शेष के रूप में पूर्व वर्ष से 1369 करोड़ रूपये की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्व घाटा राज्य सरकार को वर्ष 2008–09 के अंत तक समाप्त करना था और राजकोषीय घाटा को वर्ष 2008–09 तक राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के तीन प्रतिशत के अन्तर्गत रखना था।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा दी गई अवधि के दौरान राज्य राजस्व अधिशेष में रहा। राज्य का राजकोषीय घाटा भी सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के अंदर रहा।

1.1.3 बजट विश्लेषण

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट, राजस्व प्राप्ति अनुमान एवं वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। राज्य के राजस्व एवं व्यय का सही आकलन समुचित आर्थिक प्रबंधन जो राजकोषीय नितियों के प्रभावी ढंग से लागू कर प्राप्त किया जा सकता है, के लिए महत्वपूर्ण है। बजट अनुमान से विचलन राजकोषीय उद्धेश्यों को नहीं प्राप्त करने एवं आशा के विपरित परिणामों की ओर इंगित करता है। ऐसा विभिन्न कारणों से होता है, जिसमें कुछ सरकार के नियंत्रणाधीन और कुछ सरकार के नियन्त्रण के बाहर होते हैं।

चार्ट 1.1 बजट अनुमान एवं वास्तविकता के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय बिन्दु को प्रदर्शित करता है।

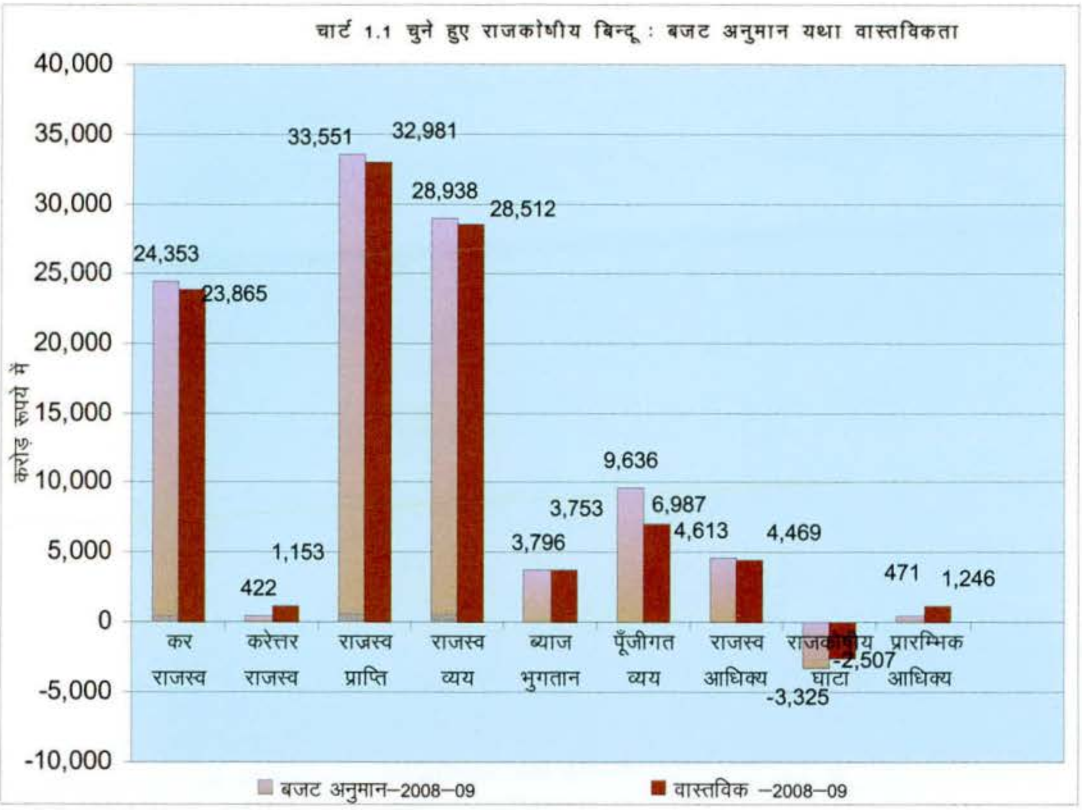

निम्नांकित को छोड़कर वास्तविक अनुमानों के अनुरूप थे :

- करेत्तर राजस्व अनुमान से 173 प्रतिशत बढ़कर था ।
- जबकि राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय अनुमान की तुलना में क्रमशः 570 करोड़ रूपये एवं 426 करोड़ रूपये कम थे, पूँजीगत व्यय अनुमान से 2649 करोड़ रूपये (27 प्रतिशत) नीचे रहा जो पूँजीगत कार्यों के लिए निधि के संविलियन में कठिनाई दर्शाता है।
- राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा एवं आरंभिक अधिशेष की प्रगति सही थी : राजस्व अधिशेष बजट अनुमान के विरूद्ध 144 करोड़ रूपये (तीन प्रतिशत) कम था; राजकोषीय घाटा भी 818 करोड़ रूपये (25 प्रतिशत) घटकर नीचे आया जहाँ आरंभिक अधिशेष में अनुमान के विरूद्ध 775 करोड़ (165 प्रतिशत) रूपये की वृद्धि हुई।

1.2. राज्य के स्रोत

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के स्रोत

राजस्व एवं पूंजी, प्राप्तियों के दो भाग हैं, जो राज्य सरकार के स्रोत को संस्थापित करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों में राज्य का अंश भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि निवेश से प्राप्ति, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ व्यवसायिक बैंकों से कर्ज) से प्राप्तियाँ वाणिज्यिक एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

तथा लोक लेखा से प्रदाभवन द्वारा प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल है। **तालिका 1.1** वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के प्राप्तियों एवं संवितरण दर्शाता है जैसा कि वार्षिक वित्तीय लेखे में अंकित है। जबकि **चार्ट 1.2** वर्ष 2004 से 2009 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों प्रवृत्ति को दर्शाता है। **चार्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के श्रोतों के संरचना को दिखलाता है ।

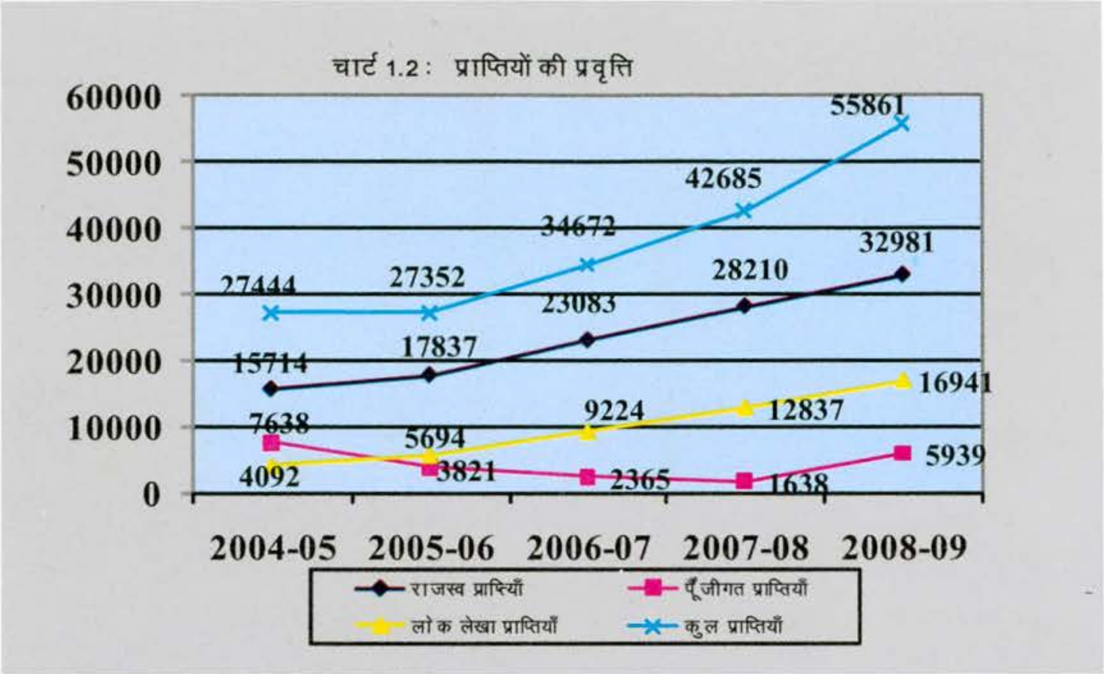

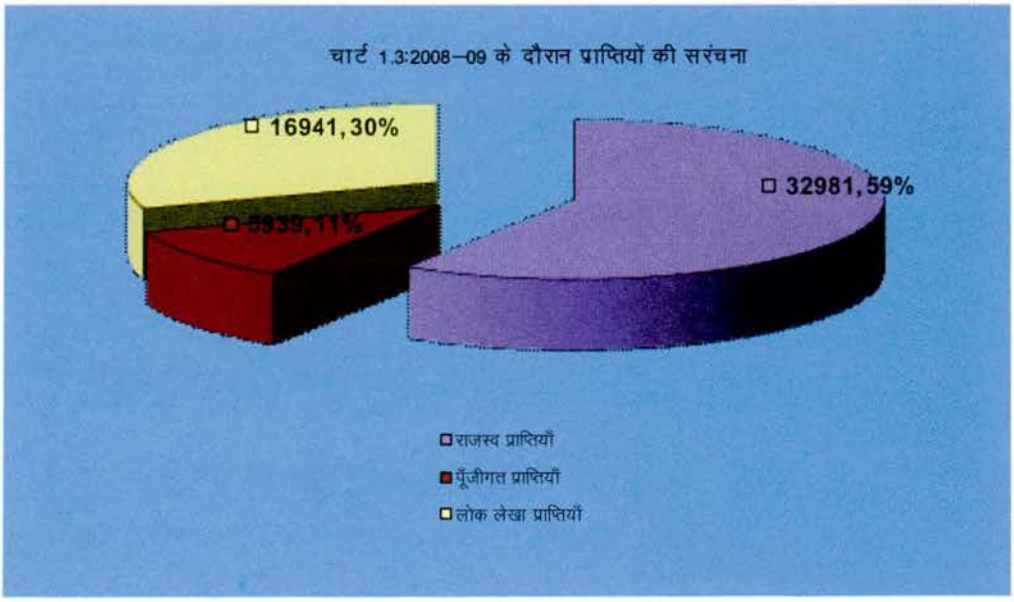

- पिछले वर्ष की अपेक्षा राज्य का कुल स्रोत में 13176 करोड़ रूपये (31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि का मुख्य कारण 4104 करोड़ रूपये (32 प्रतिशत) लोक लेखा से प्राप्तियाँ एवं 4771 करोड़ रूपये (17 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियाँ थीं।

- लोक लेखा प्राप्तियाँ 4316 करोड़ रूपये ऊपर गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 268 प्रतिशत अधिक था, वृद्धि का मुख्य कारण खुला बाजार से लिया गया ऋण था। खुला बाजार ऋण 2007–08 के 1144 करोड़ रूपये से बढ़कर 2008–09 में 5778 करोड़ रूपये हो गया जो पिछले वर्ष से 405 प्रतिशत अत्यधिक था।

- राज्य का राजस्व कर 2007–08 के 5086 करोड़ रूपये से बढ़कर 2008–09 में 6173 करोड़ रूपये (21 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया लेकिन राजस्व कर की प्रतिशतता 2007–08 एवं 2008–09 में लगभग बराबर थी।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का हस्तांतरण

भारत सरकार निधियों का बड़ा अंश राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों[1] को विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के योजनाओं जिनकी पहचान कठिन क्षेत्र के रूप में की गई है, कार्यक्रमों, जो विशेष प्रकार से चिन्हित है, को सीधे हस्तांतरण कर देती है। चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार से होकर व्यय नहीं की जाती हैं अतः वार्षिक वित्त लेखा इन निधियों के प्रवाह को अंकित नहीं करता है इस प्रकार राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय के साथ–साथ अन्य वित्तीय परिवर्तनशीलता तथा उससे निकलकर आने वाले परिचालिका को कम कर आंका जाता है। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का हस्तांतरण **परिशिष्ट 1.5** में दिखलाया गया है।

- राज्य बजट के बाहर केन्द्रीय निधियों (प्राप्ति एवं व्यय) के हस्तांतरण के प्रतिशतता में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 16.53 प्रतिशत एवं 17.31 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष 2007–08 के 11.24 प्रतिशत एवं 10.63 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी।
- राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त निधियों के लेखा संधारण का न तो निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है और न ही समय पर प्रतिवेदन की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी निधियों का उपयोग उनके द्वारा किया जा सका। यह सुनिश्चत करने की तुरंत आवश्यकता है कि इन व्ययों पर अच्छे निर्देशन या तो राज्य या भारत सरकार द्वारा किया जाय।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखा का विवरण–11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेत्तर राजस्व केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। **परिशिष्ट 1.3** में वर्ष 2004–09 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्ति को दिखलाया गया है जिसे क्रमशः **चार्ट 1.4 एवं 1.5** में भी दर्शाया गया है।

[1] राज्य क्रियान्वयन अभिकरण में वैसे संगठन/संस्थान साथ ही गैर सरकारी संस्थान शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशेष कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किए गए हों राज्य क्रियान्वयन अभिकरण संस्था जैसे सर्व शिक्षा अभियान, एवं राज्य स्वास्थ्य मिशन जिसे राष्ट्रीय ग्रामिण स्वास्थ्य योजना लागू करना है आदि।

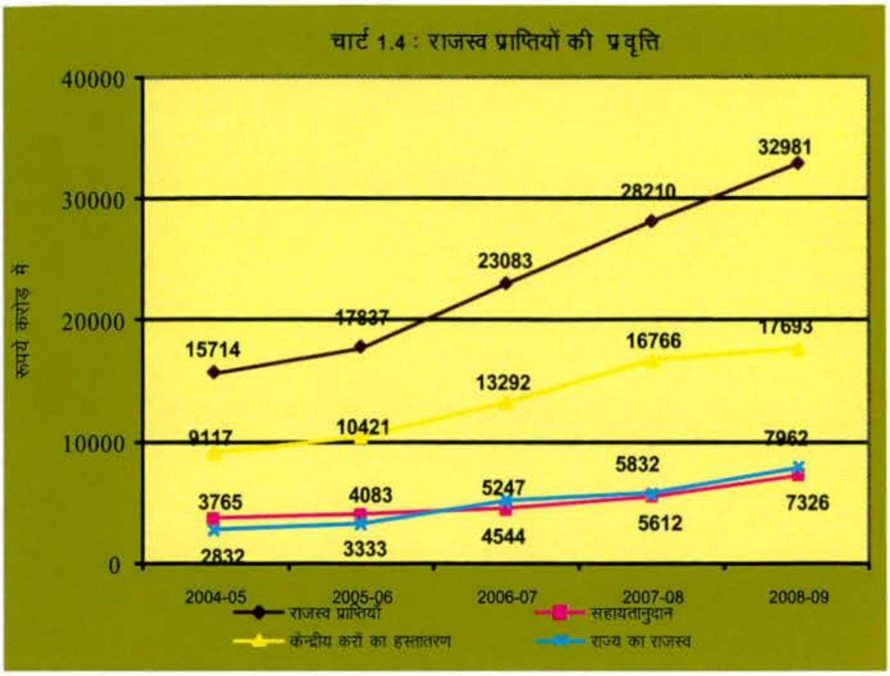
चार्ट 1.4 : राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति
रुपये करोड़ में
40000
30000
20000
10000
0
15714
17837
23083
28210
32981
9117
10421
13292
16766
17693
3765
4083
4544
5612
7326
2832
3333
5247
5832
7962
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
राजस्व प्राप्तियाँ
सहायतानुदान
केन्द्रीय करों का हस्तांतरण
राज्य का राजस्व

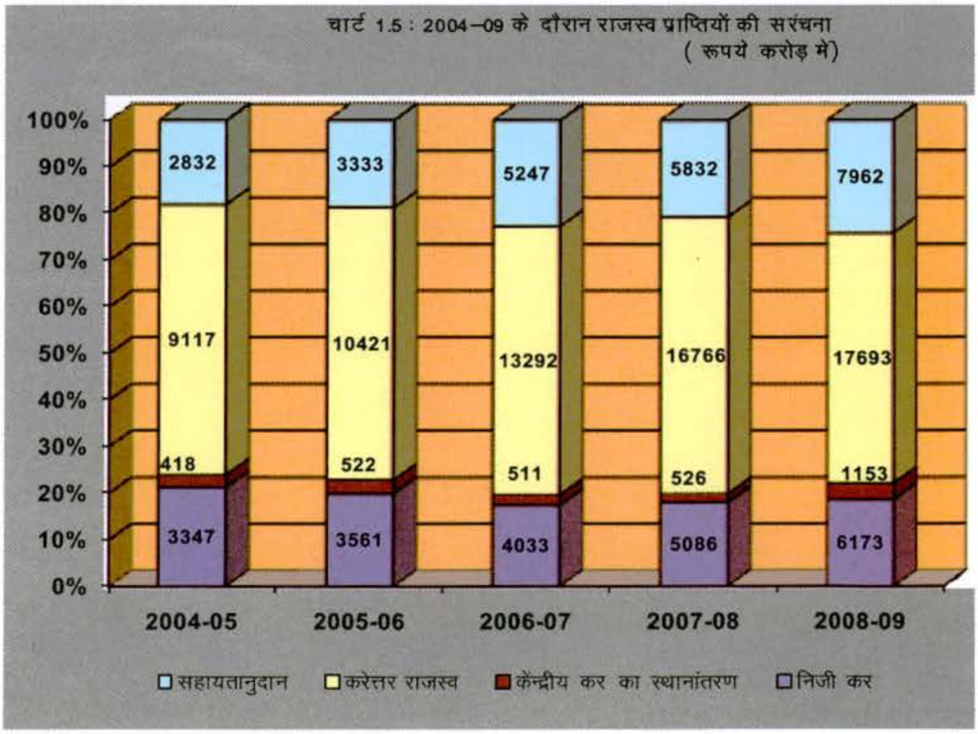
चार्ट 1.5 : 2004–09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संरचना
(रूपये करोड़ में)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2832
3333
5247
5832
7962
9117
10421
13292
16766
17693
418
522
511
526
1153
3347
3561
4033
5086
6173
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
सहायतानुदान
करेत्तर राजस्व
केंद्रीय कर का स्थानांतरण
निजी कर

- राज्य के अपने कर राजस्व में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में मूलतः बिक्री एवं व्यापार कर आदि 481.68 करोड़ रूपये (19 प्रतिशत), मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क 62.05 करोड़ रूपये (9.48 प्रतिशत), राज्य उत्पाद 153.72 करोड़ रूपये (29.26 प्रतिशत) और माल एवं यात्री कर 341.54 करोड़ रूपये (36.42 प्रतिशत) मदों मे हुई।

- करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का मुख्य कारण रोकड़ शेष के निवेश पर प्राप्त ब्याज (133.86 करोड़ रूपये) 78.41 प्रतिशत, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (66.35 करोड़ रूपये) 37.14 प्रतिशत वृद्धि का कारण था और विविध सामान्य सेवाओं के अंतर्गत (384.93 करोड़ रूपये) 61.32 प्रतिशत की वृद्धि भारत सरकार द्वारा ऋण समेकन पर पुनर्भुगतान के लिए दी गई ऋण सहायता थी।

- वर्ष 2004–05 एवं उससे आगे, चालू वर्ष को छोड़कर, राजस्व वृद्धि राज्य सकल घरेलु उत्पाद के वृद्धि दर से ज्यादा था। वर्ष 2008–09 में, यद्यपि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत वृद्धि की तुलना में राजस्व संग्रहण में 0.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

  प्रवृत्ति को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों को **तालिका 1.2** में दिखलाया गया है।

तालिका 1.2 : राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजस्व प्राप्तियाँ (आर आर) (करोड़ रूपयों में)	**15714**	**17837**	**23083**	**28210**	**32981**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	26.16	13.51	29.41	22.21	16.91
आर आर / जी एस डी पी (प्रतिशत)	21.46	22.25	23.33	26.83	25.00
उत्पलवता अनुपात[2]					
राजस्व उत्पलवता संदर्भ में जी एस डी पी	2.49	1.43	1.25	3.55	0.67
राज्य के निजी कर उत्पलवता जी एस डी पी के संदर्भ में	1.50	0.67	0.57	4.17	0.84
राजस्व उत्पलवता राज्य के निजी कर के संदर्भ में	1.66	2.13	2.19	0.85	0.79

(स्रोत : बिहार सरकार का वित्त–लेखा)

1.3.1 राज्य का निजी स्रोत

लेखा के प्रमुख शीर्षों में कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व में राशि के वास्तविक संग्रहण एवं बजट अनुमान में भारी अन्तर था जो यह दर्शाता है कि बजट आकलन वर्ष 2008–09 में कम कर आंका गया था। बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद एवं मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता 2007–08 में समूचे भारत के औसत प्रतिशतता से ज्यादा थी।

कर राजस्व / करेत्तर राजस्व राज्य बारहवें वित्त आयेाग के प्रेक्षण मानक से काफी कम था। यद्यपित करेत्तर राजस्व (385 करोड़ रूपये ऋण सहायता को छोड़कर) वर्ष के लिए बारहवें

[2] उत्प्लावकता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय परिवर्तनीयता के सापेक्षता एवं अवस्था के प्रतिक्रियाशीलता को दर्शाता है, उदाहरण के लिए राजस्व उत्प्लावकता 0.6 है तो राजस्व प्राप्तियाँ में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है यदि जी एस डी पी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है।

वित्त आयोग के प्रक्षेपण का मात्र 56 प्रतिशत था परन्तु राज्य के निजी प्रक्षेपण राजकोषीय सुधार पथ (एफ0सी0पी0) से अधिक था।

1.3.2 करों का अपवंचन के कारण राजस्व की हानि

31 मार्च 2009 तक, वाणिज्यिक कर विभाग में कर अपवंचन के 90 मामले चिन्हित किए गए-। वर्ष 2008–09 में 25 मामले (28 प्रतिशत) में जाँच/कर निर्धारण पूरा कर लिए गए थे, शेष 65 मामले जिसमें 6.87 लाख रूपये सन्निहित थे अंतिम जाँच के लिए लंबित थे।

वर्ष 2008–09 में, वर्ष के प्रारंभ में वापसी के लंबित मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकार्य वापसी एवं वर्ष के अन्त (मार्च 2009) में लंबित मामले, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, **तालिका 1.3** में दिखलाया गया है।

तालिका 1.3 : विभाग–वार वापसी के लंबित मामले

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	विवरण	बिक्री कर		स्थानीय क्षेत्र में मालों के प्रवेश पर कर		राज्य उत्पाद		मनोरंजन कर	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावा	1995	4,423.04	5	20.34	335	417.71	5	0.12
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावा	126	4,287.03	2	30.29	1,355	1,781.52	1	2.58
3.	वर्ष के दौरान वापसी	91	3,892.06	1	0.99	1,511	2,030.83	1	2.58
4.	वर्ष के अंत में शेष बकाया	2,030	4,818.01	6	49.64	179	168.40	5	0.12

(स्रोत : राज्य सरकार के विभाग)

1.3.3 राजस्व बकाया

विभागों द्वारा सूचित राजस्व के मुख्य शीर्ष में 31 मार्च 2009 को राजस्व बकाया 1703.52 करोड़ रूपये थे जिसमें 414.32 करोड़ रूपये पाँच वर्षों से ज्यादा समय से लंबित थे (**परिशिष्ट 1.6**), वर्ष 2008–09 के अंत तक अन्य विभागों से संबंधित राजस्व बकाया की स्थिति (नवम्बर 2009) नहीं दिए गए। मई से अक्टूबर 2009 तक बार–बार इसके लिए आग्रह किया गया था।

1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य स्तर पर व्यय के विनिधान का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें ही सुपुर्द है। राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम के व्यवस्था के अंतर्गत राजकीय व्यय को राज्यकोषीय घाटा या कर्ज लेकर बढ़ाने में बजटीय दबाव बना रहता है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य स्तर पर जारी वित्तीय

सुधार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर किए जाने वाले व्यय की कीमत पर न हो विशेष कर वैसा जो विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में होने वाले व्यय से हो।

1.4.1 व्यय की संरचना एवं विकास

चार्ट 1.6 पाँच वर्षों (2004–09) के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। आर्थिक वर्गीकरण एवं क्रियाकलापों के आधार पर व्यय के संबंध में उसकी संरचना को क्रमशः **चार्ट 1.7 एवं 1.8** में दिखलाया गया है।

चार्ट 1.6 : कुल व्यय : प्रवृत्ति एवं संरचना

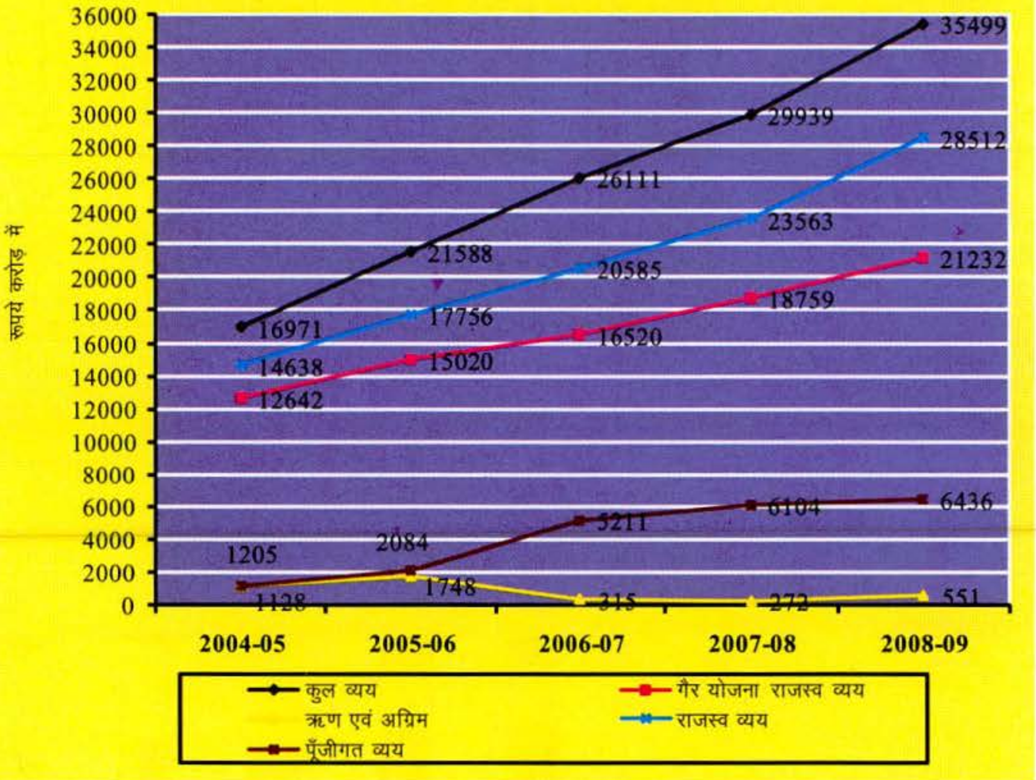

- राज्य का कुल व्यय 2004–05 के 16971 करोड़ रूपये से बढ़कर 2008–09 में 35499 करोड़ रूपया हो गया। चालू वर्ष में कुल व्यय में पूर्व वर्ष की अपेक्षा 5560 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई जिसमें राजस्व व्यय 4949 करोड़ रूपये एवं पूँजीगत व्यय, ऋण एवं अग्रिमों के संवितरणों को मिलाकर 611 करोड़ रूपये था। विद्युत परियोजना को ऋण एवं अग्रिमों में वृद्धि (200 करोड़ रूपये) पूँजीगत व्यय में वृद्धि के मुख्य घटक थे। योजना एवं गैर–योजना के मामले में गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 2735 करोड़ रूपये एवं योजना व्यय में वर्ष के दौरान 2824 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई। चालू वर्ष की अवधि में कुल व्यय का 92.91 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों से एवं शेष पूँजीगत प्राप्तियों एवं उधार निधि से पूरा किया गया। हाल के वर्षों में, बिहार के जी एस डी पी का विकास दर काफी ऊँचा रहा जिसके चलते चालू वर्ष में कुल व्यय से जी एस डी पी का उत्प्लवता 0.73 प्रतिशत रहा। यह आय में वृद्धि की तुलना में

कम व्यय की प्रवृत्ति एवं जी एस डी पी की तुलना में कुल व्यय में अधिक लचीलापन को दर्शाता है।

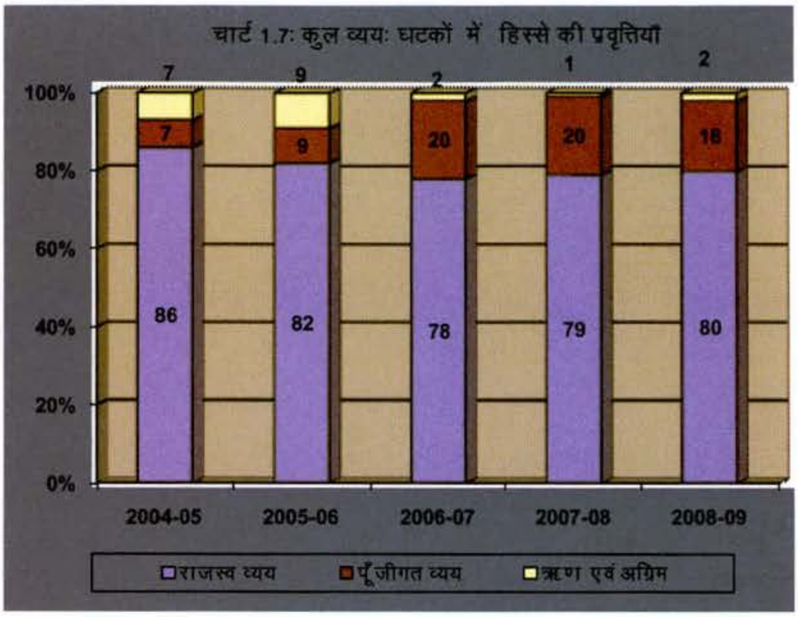

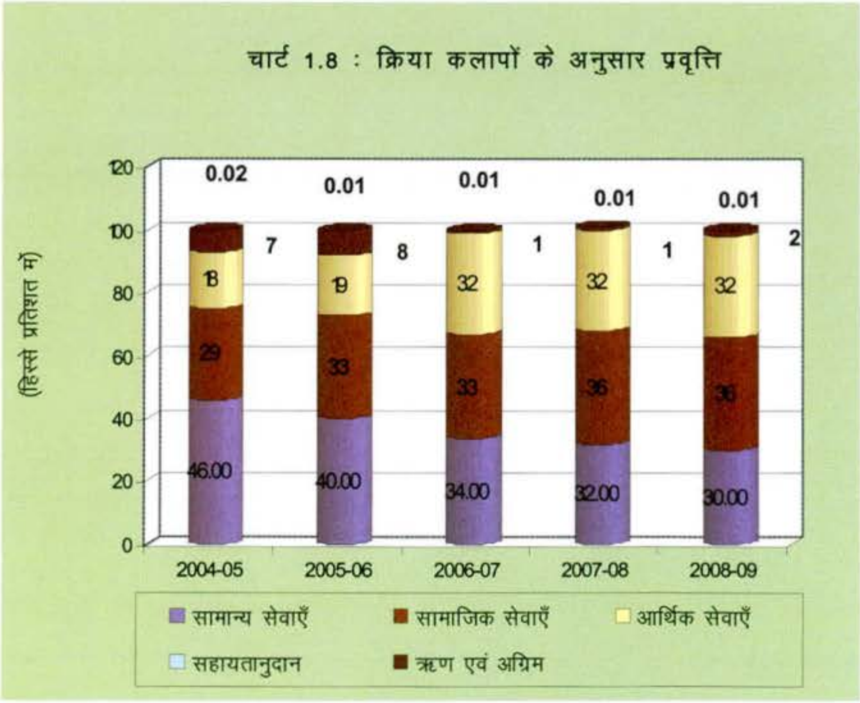

- कार्यकलाप के संदर्भ में कुल व्यय की संरचना में सामान्य सेवाओं पर ब्याज भुगतान सहित व्यय सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायतानुदान तथा ऋणों एवं अग्रिमों को समायुक्त माना जा सकता है। व्यय के इन घटकों के पारस्परिक अंश का संचालन यह प्रदर्शित करता है कि कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं के अंश 2004–05 के 29.06

प्रतिशत से बढ़कर 2008–09 में 36.32 प्रतिशत हो गया, कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं का अंश (2004–05) 17.89 प्रतिशत से बढ़कर (2008–09) 31.88 प्रतिशत हो गया इन वर्षों के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों का भुगतान 15.27 प्रतिशत से घटकर 1.55 प्रतिशत रह गई 2004–09 के दौरान सहायतानुदान के पारस्परिक अंश लगभग वही रहा। सामान्य सेवाओं का अंश जो कि वर्ष 2004–05 में कुल व्यय (46.38 प्रतिशत) का प्रभावी वृहद अंश था, घटते प्रवृत्ति की ओर था एवं वर्ष 2008–09 में कुल व्यय का 30.24 प्रतिशत रहा।

- राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में क्रमशः 4949 करोड़ रूपये (21 प्रतिशत) एवं 611 करोड़ रूपये (9.58 प्रतिशत) वृद्धि हुई। राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का अंश कुल व्यय का क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत था जो राजस्व व्यय के अंश में कुल व्यय का पिछले वर्ष से एक प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार जी एस डी पी का विकास चालू वर्ष के राजस्व व्यय के विकास से अधिक था।

- गैर योजना राजस्व व्यय जो 21232 करोड़ रूपये था न सिर्फ बारहवें वित्त आयोग के मानक प्रक्षेपण (18380 करोड़ रूपये) से 2852 करोड़ रूपये (15.51 प्रतिशत) ज्यादा था बल्कि राजकोषीय सुधार पथ (रूपये 17785 करोड़) से 3447 करोड़ रूपये (19.38 प्रतिशत) अधिक था लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान 22625 करोड़ रूपये से 1393 करोड़ रूपये (6.16 प्रतिशत) कम था। मुख्य रूप से वृद्धि, शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति (1210 करोड़ रूपये) जलापूर्ति, सफाई आवास और शहरी विकास (700 करोड़ रूपये) समाज कल्याण एवं पोषाहार (623 करोड़ रूपये), कृषि एवं उससे संबंधित कार्यक्रमों (5.36 करोड़ रूपये) ग्रामीण विकास (456 करोड़ रूपये), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (142 करोड़ रूपये) एवं परिवहन में (86 करोड़ रूपये) थी।

1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेशन एवं रियायतों पर व्यय सम्मिलित होते हैं। **तालिका 1.4** में वर्ष 2004–09 के दौरान इन अवयवों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: प्रतिबद्ध व्यय के अवयव

(रूपये करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी जिसमें से	5005.36 (31.85)	5783.35 (32.42)	6061.21 (26.06)	6469.53 (22.93)	7967	7545.61 (22.88)
गैर योजना शीर्ष	4564.16	5152.79	5538.57	5914.81	7379	6996
योजना शीर्ष *	441.20	630.56	477.64	554.72	588	550
ब्याज अदायगियाँ	3474 (22.11)	3649 (20.46)	3416 (14.80)	3707 (13.14)	3796	3753 (11.38)
पेंशन पर व्यय	2325 (14.80)	2456 (13.77)	2497 (10.82)	2789 (9.89)	3438	3479.03 (10.55)
रियायतें	-	-	-	-	-	861.58 (2.61)

कोष्टक में दिये गये आंकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता दिखलाते हैं

**योजना शीर्ष में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर किया गया व्यय शामिल है ।*

(स्रोत : बिहार सरकार के वित्त लेखे)

गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत गैर योजना राजस्व व्यय में निवल ब्याज भुगतान एवं पेंशन को कुल वेतन का 49.97 प्रतिशत था जो कि बारहवें वित्त आयेाग की अनुशंसा मानक 35 प्रतिशत से अधिक था। वर्ष 2008–09 में ब्याज एवं पेंशन भुगतान राजकोषीय सुधार पथ के प्रक्षेपित व्यय 4840 करोड़ रूपये एवं 3527 करोड़ रूपये के अन्तर्गत थे एवं बारहवें वित्त आयेाग के निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 4876.31 करोड़ रूपये एवं 3563.79 करोड़ रूपये से भी कम थे। राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय पद्धति पर एक नई अंशदायी पेंशन योजना की शुरूआत की थी जो 1 सितम्बर 2005 को या उसके बाद योगदान देने वाले कर्मचारियों पर लागू है। वर्ष 2008–09 में पेंशन मद में वृद्धि का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा घोषित सेवा निवृति की दो साल स्थगन को खत्म करना (मार्च 2007) था। रूपये 861.58 करोड़ सब्सीडी में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को संसाधनों के अभाव की प्रतिपूर्ति के लिए 720 करोड़ रूपये दिए गए।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को पूर्व के वर्षों की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान अनुदानों एवं ऋणों के रूप में दी गई सहायता की मात्रा **तालिका 1.5** में प्रस्तुत की गई है:–

तालिका 1.5 स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(रूपये करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
					बजट अनुमान*	वास्तविक
शैक्षणिक संस्थाएं (सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि)	564.99	803.65	845.17	808.58	925.04	966.80
नगर निगम एवं नगर पालिकाएं	117.91	277.56	141.13	209.40	1055.35	950.04
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	2.63	3.75	6.50	13.16	1441.95	900.05-
विकास एजेंसियाँ	110.15	18.56	3.20	1.88	46.31	26.84
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	5.00	3.00	--	5.00	28.00	20.51
अन्य संस्थाएँ	12.68	3.92	21.23	95.35	1909.05	1558.25
कुल	813.36	1,110.44	1,017.23	1,133.37	5405.70	4422.49
राजस्व –व्यय प्रतिशतता के अनुसार सहायता	5.56	6.25	4.94	4.81		15.51

(स्रोतः– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार द्वारा लेखा संकलित की गई)

*विभिन्न अनुदानों एवं बजट अनुमान के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों के आधार पर गणना की गई कुल राशि।

बजट अनुमान से अधिक व्यय की गई राशि अनुदानों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन के माध्यम से जुटायी गई।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन बातों पर निर्भर होती है जैसे, व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान); व्यय के उपयोग की दक्षता एंवं व्यय की प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं के लिए व्यय–परिणाम का मूल्यांकन)।

1.5.1 लोक–व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्वों को बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को सौंपा जाता है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी विशेष राज्य द्वारा किसी क्षेत्र पर व्यय के निम्न स्तर या तो राज्य सरकार से संबद्ध निम्न राजकोषीय प्राथमिकता अथवा राज्य सरकार की निम्न राजकोषीय क्षमता के अथवा एक साथ दोनों कारणों से हो सकता है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय की श्रेणी और कुल व्यय का अनुपात) एक खास क्षेत्र से संबद्ध होगा यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम होगा, जबकि यदि राज्य का प्रति व्यक्ति व्यय राष्ट्रीय औसत से कम होता है, तो राजकोषीय प्राथमिकता के राष्ट्रीय औसत से अधिक अथवा उसके बराबर होने के बाद भी निम्न राजकोषीय क्षमता–प्रकट होगी। **तालिका 1.6** चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण, विकास, व्यय सामाजिक क्षेत्र के व्यय एवं पूँजीगत व्यय के संबंध में है।

तालिका–1.6 राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं क्षमता 2005–06 एवं 2008–09 में

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	एई/जी0एस0 डी0पी0	डीई/एई	एसएसई/एई	सीई/एई
सभी राज्यों /राष्ट्रीय औसत * (अनुपात) 2005–06	19.50	61.44	30.41	14.13
बिहार का औसत (अनुपात)2005–06	31.53	60.17	33.31	9.65
सभी राज्यों का /राष्ट्रीय औसत * (अनुपात)2008–09	19.16	67.68	33.90	16.07
बिहार का औसत (अनुपात)*	26.92	69.72	36.32	18.13
राज्यों का राजकोषीय क्षमता	डीई #	एसएसई	सीई	
सभी राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय 2005–06	3,010	1,490	692	
बिहार का प्रति व्यक्ति व्यय (राशि रूपये में)2005–06 में	1,443	799	232	
समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय राशि (रूपये में) 2005–06 में	1474	NR	339	
सभी राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय 2008–09	5,030	2,520	1,254	
बिहार का प्रति व्यक्ति व्यय (राशि रूपये मे) 2008–09 में	2,625	1,367	683	
समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय (राशि रूपये) में 2008–09 में	एन आर	एन आर	एन आर	

* जी एस डी पी के अनुसार प्रतिशत
** **परिशिष्ट 1.2** में वर्णित प्रणाली से की गई गणना
एई: कुल व्यय; डीई: विकास व्यय; एस एस ई सामाजिक क्षेत्र व्यय
सी0 ई : पूँजीगत व्यय
बिहार की जनसंख्या : 2005–06 में नौ करोड़ एवं 2008–09 में 9.43 करोड़
विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा वितरित किए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल है।
स्रोत : (1) जी एस डी पी के लिए राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से सूचना संग्रहित की गई थी।
(2) जनसंख्या के आंकड़े भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त की परियोजना 2001–2026 से लिए गए थे।
(बेवसाईट : http ://www. Census india . gov.in.) जनसंख्या = 2005 एवं 2006 के लिए प्रक्षेपित जनसंख्या का औसत।
एन आर =समायोजन की आवश्यकता नहीं क्योंकि राज्य पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता दे रहा है ।
(3) व्यय का आंकड़ा बिहार सरकार के वित्त लेखे से है।
नोट:– अरूणाचल प्रदेश का डाटा शामिल नहीं किया गया है।

1.5.2 राजकोषीय प्राथमिकता

2005–06 में बिहार सरकार ने कुल व्यय (एई) एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय को देश में अन्य राज्यों की तुलना में पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता दी क्योंकि कुल व्यय/जी एस डी पी एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय/कुल व्यय बिहार के मामले में राष्ट्रीय औसत से उच्चतर था। बिहार में फिर भी विकास व्यय (डी ई) एवं पूँजीगत व्यय (सी ई) पर्याप्त नहीं थे क्योंकि बिहार के लिए

डी ई/ए ई अनुपात और सी ई /ए ई अनुपात इस श्रेणी के लिए सभी राज्यों के औसत से निम्नवत था। वर्ष 2008–09 में स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ और राज्य सरकार ने व्यय की सभी श्रेणियों में पर्याप्त प्राथमिकता दिया और बिहार का सभी अनुपात सभी राज्यों के औसत से उच्चतर था।

1.5.3 राजकोषीय क्षमता

वर्ष 2005–06 में राज्य का प्रति व्यक्ति 1443 रूपये का विकास व्यय, 799 रूपये का सामाजिक क्षेत्र व्यय एवं 232 रूपए का पूँजीगत व्यय सभी राज्यों के क्रमशः 3010 रूपए, 1490 रूपये एवं 692 रूपये के औसत से निम्नतर था। सभी राज्यों के औसत के अनुसार यदि सरकार विकास व्यय अधिक किया होता, तो विकास व्यय एवं पूँजीगत व्यय (**परिशिष्ट 1.2** में की गई प्रणाली के अनुसार की गई गणना) का समायोजन 1474 रूपये एवं 339 रूपये होता जो तब भी सभी राज्यों के इन श्रेणियों से कम होता। इसका अर्थ यह हुआ कि बिहार में अवशोषी क्षमता[3] कम थी और लोगों को अधिक लाभ पहुँचाने के लिए प्रभावशाली प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता थी।

2008–09 में भी यद्यपि सरकार द्वारा पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता दी गई थी, व्यय की सभी श्रेणियों में अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति व्यय बहुत निम्नतर थी जिसके कारण राज्य की क्षमता में सुधार हेतु विकास योजनाओं को इस ढंग से कार्यान्वित करने हेतु तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी कि अन्य राज्य के निवासियों के बराबर लाभ यहाँ के निवासियों को मिल सके।

1.5.4 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास मदों पर लोक व्यय के महत्व के मद्धेनजर राज्य सरकार के लिए उपर्युक्त व्यय के तर्कसंगत उपायों एवं कोर पब्लिक गुड्स एवं मेरिट गुड्स[4] के प्रावधानों पर जोर देना महत्वपूर्ण होगा। विकास व्यय की ओर आवंटन[5] में सुधार के अलावे हाल के वर्षों में ऋण वितरण में कमी के कारण विशेष रूप से राजकोषीय अंतर बढ़ गया। पूँजीगत व्यय के अनुपात से कुल व्यय (और/या जी एस डी पी) तथा वर्त्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण पर राजस्व व्यय के अनुपात के द्वारा व्यय उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिंबित होती है। इन अवयवों और कुल व्यय (एवं/या जी एस

---

[3] अवशोषी क्षमता इस मामले में राज्य की विकास संबंधी योजना को इस ढंग से दिए गए संसाधनों से क्रियान्वित करने की योग्यता को दर्शाती है जिससे लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। यह आम तौर पर तभी प्राप्त हो सकता है जब योजना की रूपरेखा सुनियोजित और जोखिम को कम करनेवाली युक्ति को सावधानीपूर्वक लागू किया जाय, प्रशासनिक लागत कम हो, प्रचालन, अनुरक्षण, संवीश्रण एवं नियंत्रण की प्रणालियों को अपनाया जाय ताकि राज्य लक्षित परिणाम को प्रभावशाली ढंग प्राप्त करने के योग्य हो सके।

[4] कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते हैं कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस के उपभोग से कोई अन्तर नहीं पड़ता है, जैसे विधि–व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि। मेरिट गुड्स वे सौदा हैं जिन्हें सार्वजनकि क्षेत्र मुफ्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसायटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए वह इनके उपभोग को बढ़ाना चाहती है। ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बिमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेय जल एवं स्वच्छता आदि शामिल हैं।

[5] व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर–विकास व्यय के रूप में अलग–अलग किया गया है। राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है। विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास सम्बन्धी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर–विकास व्यय माना गया है।

डी पी) का अनुपात के उच्चतर होने से व्यय की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। **तालिका 1.7** 2004–09 के दौरान राज्य के कुल व्यय की अपेक्षा विकास–व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है एवं **तालिका 1.8** 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर किए गए राजस्व व्यय के अवयवों तथा पूँजीगत व्यय का ब्योरा प्रदान करता है।

तालिका -1.7: विकास व्यय

(रूपये करोड़ में)

विकास व्यय के अवयव	2004-05	2005-0(	2006-07	2007-08	2008-09
विकास व्यय (क से ग तक)					
क. विकास राजस्व व्यय	6831 (40.25)	9229 (42.75)	11938 (45.72)	14306 (47.78)	**17978 (50.64)**
ख. विकास पूँजीगत व्यय	1137 (6.70)	2012 (9.32)	5056 (19.36)	5881 (19.64)	6230 (17.55)
ग. विकास ऋण एवं अग्रिम	1125 (6.63)	1744 (8.08)	308 (1.18)	265 (0.89)	544 (1.53)
कोष्ठकों में दिया गया आंकड़ा कुल व्यय की प्रतिशतता इंगित करता है ।					

(स्रोत : बिहार सरकार का वित्त–लेखा)

तालिका 1.8 यह दर्शाती है कि विद्युत एवं ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों को छोड़कर पूँजीगत व्यय से कुल व्यय की प्रतिशतता में कमी (गिरावट) रही है जो बहुत स्वस्थ लक्षण नहीं है। सामान्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मामले को छोड़कर वेतन एवं मजदूरी मामले में राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी की प्रतिशतता में गिरावट रही। ऐसा 2008–09 के दौरान वेतन आयोग के निर्णय के लागू नहीं होने के कारण हुआ। प्रचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय का ब्योरा वित्त लेखा में तत्काल उपलब्ध नहीं था।

तालिका - 1.8 : चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के व्यय–उपयोग की दक्षता

(प्रतिशतता)

समाजिक /आर्थिक आधारभूत संरचना	2007-08		2008-09	
	पूँजीगत व्यय से कुल व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में हिस्सा वेतन एवं मजदूरी का	पूँजीगत व्यय से कुल व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में हिस्सा वेतन एवं मजदूरी का
सामाजिक सेवाएं (एस एस)				
सामान्य शिक्षा	नगण्य	66.72	01	67.64
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	18	53.14	08	61.23
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	32	16.33	12	9.85
योग (एस एस)	07	34.50	05	32.46
आर्थिक सेवाएं (ई एस)				
कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियाँ	03	30.89	01	20.42
सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण	61	63.10	62	58.61
विद्युत एवं ऊर्जा	14	-	36	-
परिवहन	85	28.91	83	27.83
योग (ई एस)	**53**	**21.96**	**52**	**21.27**
कुल योग (एस एस+ ई एस)	**29**	**30.61**	**28**	**28.89**
टी ई: कुल व्यय ; सी ई: पूँजीगत व्यय; आर ई: राजस्व व्यय ; एस एण्ड डब्ल्यु : वेतन एवं मजदूरी				

(स्रोत : बिहार सरकार का वित्त लेखा)

विकास राजस्व व्यय में 2004–05 में 40 प्रतिशत से 2008–09 में 51 प्रतिशत तक लगातार वृद्धि हुई। विकास पूँजीगत व्यय में भी 2004–05 में 7 प्रतिशत से 2007–08 में 20 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रवृत्ति देखा गया परन्तु 2008–09 में घटकर 18 प्रतिशत रहा। ऋण एवं अग्रिम पर विकास व्यय 2004–05 में सात प्रतिशत से घटकर 2007–08 में एक प्रतिशत रही और 2008–09 में दो प्रतिशत बढ़ गई।

1.6 सरकारी व्यय एवं निवेश का विश्लेषण

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लागू होने के बाद राज्य से यह आशा की जाती है कि वह अपने वित्तीय घाटे (और उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखे बल्कि अपना पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋण एवं अग्रिमों के साथ) को भी पूरा करें। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए एवं उधार निधि के अपने व्यय की वापसी के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है न कि उसे अपने बजट में निहित आर्थिक सहायता के रूप में ढोने और वित्तीय कार्यवाही में पारदर्शिता दर्शाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। यह भाग चालू वर्ष यथा पूर्व वर्षों के दौरान सरकार के निवेशों एवं अन्य पूँजी व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.6.1 निवेश एवं वापसी

31 मार्च 2009 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में 832.18 करोड़ रूपये का निवेश किया था **(तालिका 1.9)**।

तालिका 1.9: निवेश पर वापसी

निवेश /वापसी/ऋणों पर लागत	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
वर्ष के अंत में निवेश (करोड़ रूपयों में)	708.66	805.64	821.10	828.68	832.18
वापसी (करोड़ रूपयों में)	0.04	0.04	0.04	3.19	2.14
वापसी (प्रतिशत)	0.00	0.00	0.00	0.38	0.26
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.59	8.20	7.15	7.15	7.93
ब्याज दर और वापसी का अन्तर (प्रतिशत)	9.59	8.20	7.15	7.03	7.67

(स्रोतः बिहार सरकार के वित्त लेखे)

मार्च 2009 तक सरकार ने 832.18 करोड़ रूपये का निवेश किया था यथा सांविधिक निगमों में 105.63 करोड़ रूपये, सरकारी कम्पनियों में 351.17 करोड़ रूपये, संयुक्त पूँजी कम्पनियों में 3.88 करोड़ रूपये तथा बैंकों और समितियों में 371.50 करोड़ रूपये का निवेश किया गया था।

वर्ष 2005–07 में 805.64 करोड़ रूपये से 821.10 करोड़ रूपये के निवेश के विरूद्ध मात्र 0.04 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की वापसी थी तथा वर्ष 2007–08 में 828.68 करोड़ रूपये के निवेश के विरूद्ध 3.19 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2008–09 में 832.18 करोड़ रूपये के विरूद्ध वापसी 2.14 करोड़ रूपये थी जो मात्र 0.2 प्रतिशत था। विगत तीन वर्षों में इस निवेश पर औसत वापसी 0.21 प्रतिशत थी जबकि सरकार ने अपने ऋणों पर 7.41 प्रतिशत ब्याज की औसत दर से भुगतान किया।

1.6.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश करने के अतिरिक्त सरकार कई संस्थानों एवं संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम धन राशि देती रही है। **तालिका 1.10** में 31 मार्च 2009 तक के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति को तथा विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियाँ यथा ब्याज के भुगतानों को दर्शाती है।

तालिका–1.10 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(करोड़ रूपये में)

ऋण /ब्याज प्राप्ति /ऋण लागत की मात्रा	2006-07	2007-08	2008-09
आदि शेष	13573.65	13881.57	14128.10
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	315.32	272.70	551.05
वर्ष के दौरान वापसी राशि	7.40	26.16	11.32
अंत शेष	**13881.57**	**14128.10**	**14667.83**
जिसमें से बकाया जिनकी शर्तें नियत की गई है			
निबल योग	307.92	246.54	539.73
ब्याज प्राप्ति	175.99	170.71	304.57
बकाये ऋण एवं अग्रिम के ब्याज प्राप्ति की प्रतिशतता	1.27	1.21	2.08
राज्य सरकार के बकाया वित्तीय दायित्व बयाज के भुगतान की प्रतिशतता	6.96	7.27	6.83
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्ति का अन्तर (प्रतिशत)	5.69	6.06	4.75

(स्रोत : बिहार सरकार के वित्त लेखे)

वर्ष 2008–09 के दौरान 551.05 करोड़ रूपये के कुल सरकारी ऋण का वृहत प्राप्तकर्त्ता विद्युत परियोजनाएँ थीं (436.89 करोड़ रूपये) जिसने वर्ष 2008–09 में सरकार के द्वारा दिये गये कुल ऋण एवं अग्रिम के 79.28 प्रतिशत का उपभोग किया। सरकार उर्जा क्षेत्र को ऋण एवं अग्रिम बिना उसकी वापसी और ब्याज भुगतान का इकरार किये हुए दे रही थी। 14668 करोड़ रूपये के कुल बकाया ऋणों के विरूद्ध 12290 करोड़ रूपये का ऋण उर्जा क्षेत्र में लंबित था। विद्युत परियोजना के 437 करोड़ रूपये में से 99 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जो एकरारनामा (87 करोड़ रूपये) तथा 12 करोड़ रूपये के ब्याज भुगतान के विरूद्ध बकाया की राशि थी। मार्च 2009 तक सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों में से मूल एवं सूद को मिलाकर कुल 15886.08 करोड़ रूपये, जिला बोर्ड, नगरपालिका एवं अन्य स्थानीय निकायों, राज्य विद्युत बोर्ड, निजी संस्थानों कम्पनियों एवं व्यक्तियों (मूल 6026.81 करोड़ रूपये एवं सूद 9679.27 करोड़ रूपये) से वसूलनीय थे।

1.6.3 नकद शेष एवं नकद शेष का निवेश

तालिका 1.11 में नकद शेष तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान उपलब्ध नकद शेष का निवेश चित्रित है।

तालिका -1.11: नकद शेष एवं नकद शेष का निवेश

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	1 अप्रैल 2008 को	31 मार्च 2009 को	वृद्धि /कमी
नकद शेष	-2400.20	-740.05	-1660.15
नकद शेष से निवेश (क से घ)	4471.06	3978.90	-492.16
क. भारत सरकार के ट्रेजरी बिल	0.00	0.00	0.00
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	4466.40	3974.24	-492.16
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.66	4.66	0.00
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
तारांकित शेष (क से ग) से निवेश का निधिवार विखंडन	0.0961	140.0961	140.00
क. अकाल राहत कोष	0.0961	0.0961	0.00
ख . निक्षेप निधि	-	140.00	140.00
ब्याज प्राप्ति	165.29	249.64	+84.35

(स्रोतः बिहार सरकार के वित्त लेखे)

रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अर्थोपाय अग्रिम सीमा के अन्तर्गत एक अप्रैल 2008 से बिहार सरकार के लिए 425 करोड़ रूपये की सीमा निर्धारित की गई। एक अप्रैल 2008 के प्रभाव से 19.12 करोड़ रूपये, दो जुलाई 2008 से 18.17 करोड़ रूपये, एक अक्टूबर 2008 से 18.38 करोड़ रूपये एवं पहली जनवरी 2009 से मार्च 2008 के प्रभाव से भारत सरकार के प्रतिभूति पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराये गये थे। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेने के पूर्व सरकार को बैंक के निर्धारित दर से एक प्रतिशत कम के दर पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेना था। यदि अधिकतम अग्रिम दिया जा चुका हो और न्यूनतम रोकड़ शेष में कमी रह जाती है तो वह यथावत् होगा। यदि अधिकतम अग्रिम के बाद भी न्यूनतम रोकड़ शेष में कमी रह जाती है तो बैंक द्वारा ओभरड्राफ्ट दिया जा सकता है।

विगत चार वर्षों (2006–09) में सरकार द्वारा कोई भी अर्थोपाय अग्रिम या ओभरड्राफ्ट नहीं किया गया।

निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (3974.24 करोड़ रूपये) तथा राज्य सरकार प्रतिभूतियों (4.66 करोड़ रूपये) में किये गये थे।

1.7 परिसंपत्ति एवं देनदारी

1.7.1 परिसंपत्ति एवं देनदारी की संरचना एवं विकास

सरकार की वर्त्तमान लेखा प्रणाली में सरकार की भूमि और भवन जैसी निर्धारित परिसंपत्ति के विस्तृत लेखा को शामिल नहीं किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे में सरकार की वित्तीय देनदारी तथा खर्च करके परिसंपत्ति सृजित करने का व्यय शामिल होता ही है। **परिशिष्ट 1.7** में 31 मार्च 2009 तक की ऐसी देनदारी एवं परिसंपत्ति का सार दिया गया है जिसकी तुलना 31 मार्च 2008 की समरूप स्थिति से की गई है। हालांकि इस परिशिष्ट में दर्शाई गई देनदारी में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम राशि लोक लेखा से प्राप्तियाँ तथा आरक्षित निधि शामिल है, परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजी परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम धन तथा रोकड़ शेष शामिल होता है।

बिहार राजकोषीय दायित्व अधिनियम, 2006 में राज्य की समग्र देनदारी की परिभाषा राज्य की संचित निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत आने वाली देनदारी के रूप में दी गई है जिसमें केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम धन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के ऋण और विशेष उद्धेश्य हेतु स्पेशल पर्पस वेहिकल्स गारंटी जिनके मूलधन या ब्याज की देनदारी राज्य के बजट से ही की जाती हो सम्मिलित है।

1.7.2 राजकोषीय दायित्व

परिशिष्ट 1.3 में राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्वों के प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। फिर भी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष यथा पूर्व के वर्षो के राजकोषीय दायित्वों के संरचना को **चार्ट 1.9 एवं 1.10** में दर्शाया गया है।

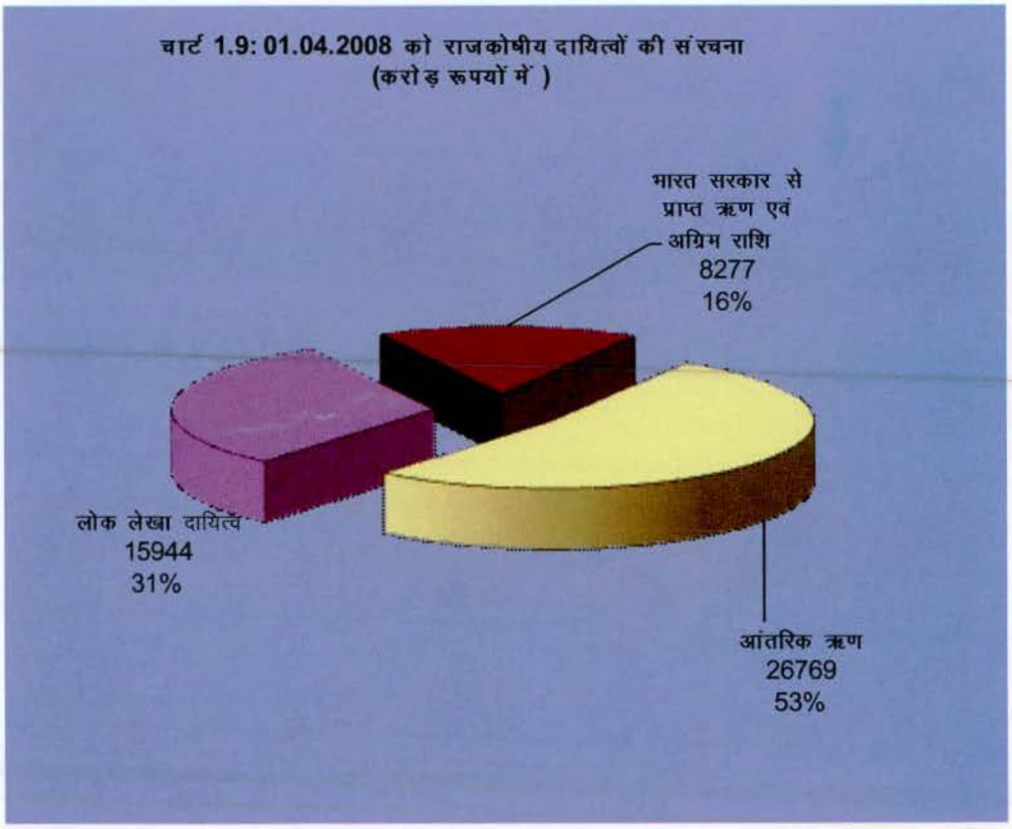

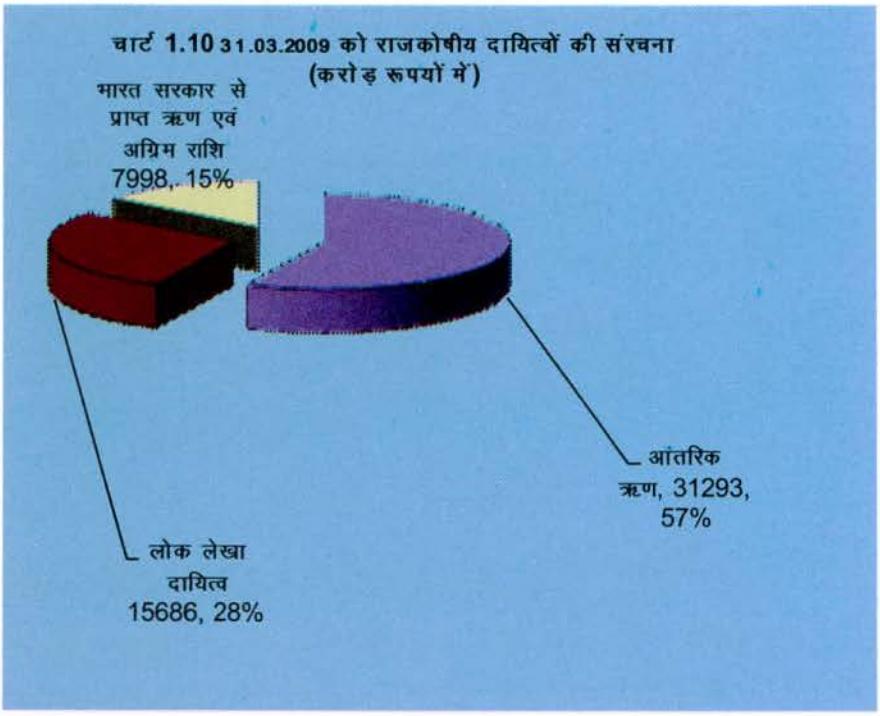

राजकोषीय दायित्व का विकास 3.87 प्रतिशत (2007–08) से 7.82 प्रतिशत (2008–09) की वृद्धि हो गई और जी एस डी पी के प्रति राजकोषीय दायित्व के अनुपात में 58.02 प्रतिशत (2004–05) से 41.69 प्रतिशत की कमी वर्ष 2008–09 के दौरान आ गई। इस प्रकार वर्ष 2008–09 के अंत तक राज्य का दायित्व राजस्व प्राप्ति के 1.67 गुणा तथा राज्य के निज्ञ संसाधन के 7.50 गुणा तक स्थिर रही। वर्ष के दौरान जी एस डी पी के संबंध में इन दायित्वों की उत्प्लावकता 0.31 प्रतिशत थी। सरकार ने अपने द्वारा उठाये गये ऋणों के परिशमन के लिए 140 करोड़ रूपये के निक्षेप निधि का गठन किया है। राजकोषीय देनदारी वर्ष 2004–05 में 42483 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 54977 करोड़ रूपये हो गई जिसमें आंतरिक ऋण वर्ष 2005–09 के दौरान 52 से 57 प्रतिशत के बीच रहा।

1.7.3 गारंटी की स्थिति – आकस्मिक दायित्व

यदि उधार लेने वाले द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है एवं गारंटी का विस्तार किया जाता है, गारंटी राज्य के संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होते हैं। वित्त लेखे के विवरण 6 के अनुसार राज्य के द्वारा दी गई गारंटी की अधिकतम राशि तथा विगत तीन वर्षों की बाकी गारंटी का विवरण **तालिका 1.12** में दिया गया है।

तालिका-1.12: सरकार के द्वारा दी गई गारंटी

(करोड़ रूपयों में)

गारंटी	2006-07	2007-08	2008-09	
			बजट आकलन	वास्तविक
गारंटी की अधिकतम राशि	1537.73	1537.73	--	1547.73
गारंटी की लंबित राशि	607.76	516.31	--	704.23
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम गारंटी राशि की प्रतिशतता	6.66	5.45	--	4.69

(स्रोत:– बिहार सरकार के वित्त लेखे)

बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा पूँजी (39.95 करोड रूपये) उठायी गई, ऋण, ऋण पत्र, बंध पत्र इत्यादि (839.05 करोड़ रूपये) सांविधिक निगमों एवं बोर्डों द्वारा उठाये गये, स्वायत्त निकायों (36.18 करोड़ रूपये) सरकारी कंपनी (84.20 करोड़ रूपये) संयुक्त पूँजी कंपनी (2.24 करोड़ रूपये) सहकारी बैंक तथा अन्य सहकारी समितियाँ (546.11 करोड़ रूपये)। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल ने कोई कानून पारित नहीं किया है जो गारंटी की सीमा निर्धारित कर जिसके भीतर सरकार राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दे सके।

1.7.4 बजट से बाहर ऋण

किसी राज्य का ऋण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत शासित होता है। **तालिका 1.12** में दर्शाये गये ऋणों के अतिरिक्त राज्य सरकारी कंपनियों/निगमों के द्वारा लिये गये ऋणों की भी गारंटी देता है। ये कंपनी/निगम राज्य बजट से बाहर परियोजित अनेक राज्य योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु बाजार/वित्त संस्थान से निधि उधार लेते हैं। यद्यपि राज्य सरकार योजना बनाती है कि इन कार्यक्रमों के लिए निधि जुटाने का काम इन्हीं कंपनियों/निगमों द्वारा परिचालित संसाधनों से पूरा किया जाय जो राज्य बजट के बाहर हैं। वास्तव में इनमें से अधिकांश प्रतिष्ठानों के ऋण अंततः राज्य सरकार की देनदारी में बदल जाते हैं जिन्हें बजट से बाहर ऋण कहा जाता है।

राज्य सरकार से संबंधित कोई बजट से बाहर ऋण नहीं था।

1.8 ऋण निर्वाहता

राज्य सरकार के ऋण महत्ता से पृथक होकर विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य के ऋण धारण करने की निर्वाहता[6] को निर्धारित करते हैं। यह भाग राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता को ऋण स्थिरता[7] के शर्तों में निर्वाहित करता है। गैर ऋण प्राप्ति[8] की यथेष्टता, उधार कोष की निवल उपलब्धता[9], ब्याज भुगतान का बोझ (राजस्व प्राप्ति अनुपात ब्याज भुगतान) तथा बिहार सरकार के प्रतिभूति की परिपक्वता पर निर्भर करता है। इन सूचकों के आधार पर राज्य सरकार के ऋण की निर्वहता वर्ष 2006–07 से तीन वर्षों के अवधि को **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

[6] किसी समयावधि तक ऋण और जी एस डी पी अनुपात को स्थिर रखने की सरकार की सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसमें ऋण चुकाने की सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू या प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपत्ति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है। एवं अतिरिक्त ऋणों की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण को चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होनी चाहिए।

[7] स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो ऋण जी एस डी पी अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जी एस डी पी वृद्धि दर–ब्याज दर) एवं परिमाण विस्तार (ऋण ×दर विस्तार), ऋण निर्वाहता की स्थिति दर्शाता है कि यदि आरंभिक घाटा के साथ परिमाण विस्तार शून्य है तो ऋण–जी० एस० डी० पी० अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि आरंभिक घाटा के साथ परिमाण विस्तार ऋणात्मक हो तो ऋण–जी एस डी पी अनुपात बढ़ेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी०एस०डी० पी० अनुपात अंततः घटेगा।

[8] राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जायेगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एवं बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सके। यदि आरंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।

[9] उधार निधियों की निवल उपलब्धता– इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋणमोचन अनुपात (मूलधन +ब्याज) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपभोग किया जाता है।

तालिका 1.13 : ऋण निर्वाहता : सूचक और प्रवृत्ति

(करोड़ रूपये में)

ऋण निर्वाहता	2006-07	2007-08	2008-09
ऋण स्थिरता (परिमाण विस्तार +प्रारंभिक अधिशेष)	8396.51	1366.64	11328.78
गैर ऋण प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	679.00	1318.00	-804.00
उधार निधियों की शुद्ध उपलब्धता	-692.00	-1496.00	93
ब्याज भुगतान का भार (सूद भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.15	0.13	0.11
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)*			
0 - 1	28	27	23
1 – 3	10	12	12
3 – 5	16	14	14
5 – 7	02	02	02
7 और ऊपर	-	-	05

(स्रोतः– बिहार सरकार के वित्त लेखे)

चूँकि बिहार में 2008–09 में आरंभिक अधिशेष था तथा जी एस डी पी विकास भी बहुत उँचा था (25.42) अतः ऋण स्थिरता संकेतकों में किसी चिंता का कारण नहीं बनता। तथापि चालू वर्ष में बढ़ती हुई गैर ऋण प्राप्ति बढ़ते हुए व्यय को पूरा नहीं कर सकी। अन्य सूचक जैसे निवल उपलब्ध उधार निधि का धनात्मक होने एवं संचालनीय ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात भी यह दर्शाता है कि बिहार के ऋणों का पुनर्भुगतान कोई समस्या नहीं हो सकता है बशर्ते कि यह प्रवृत्ति जारी रहे ।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय मानक – राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे – निर्धारित अवधि में राज्य सरकार के वित्त की सम्पूर्ण राजकोषीय असंतुलन दर्शाते हैं। सरकारी लेखे में हानि इसके प्राप्ति और व्यय के बीच की दूरी दर्शाता है। घाटा की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का संकेतक है। आगे वे तरीके जिनके द्वारा घाटे का वित्त पोषण किया जाता है तथा स्रोत बनाए तथा प्रयोग में लाए जाते हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। यह भाग इन घाटे की प्रवृत्ति, विस्तार तथा वित्त पोषण के तरीके को व्यक्त करता है तथा राजस्व के वास्तविक स्तर के निर्धारण तथा 2008–09 वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा की तुलना में एफ0 आर0 बी0 एम0 अधिनियम/नियम के तहत निर्धारित लक्ष्य को भी व्यक्त करता है।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.11 तथा **1.12** 2004–09 की अवधि में घाटे सूचक की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

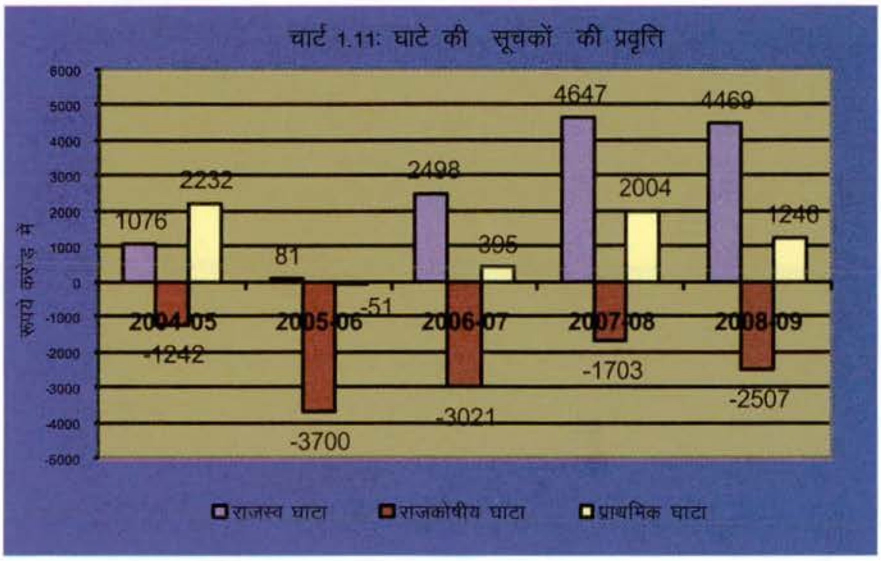

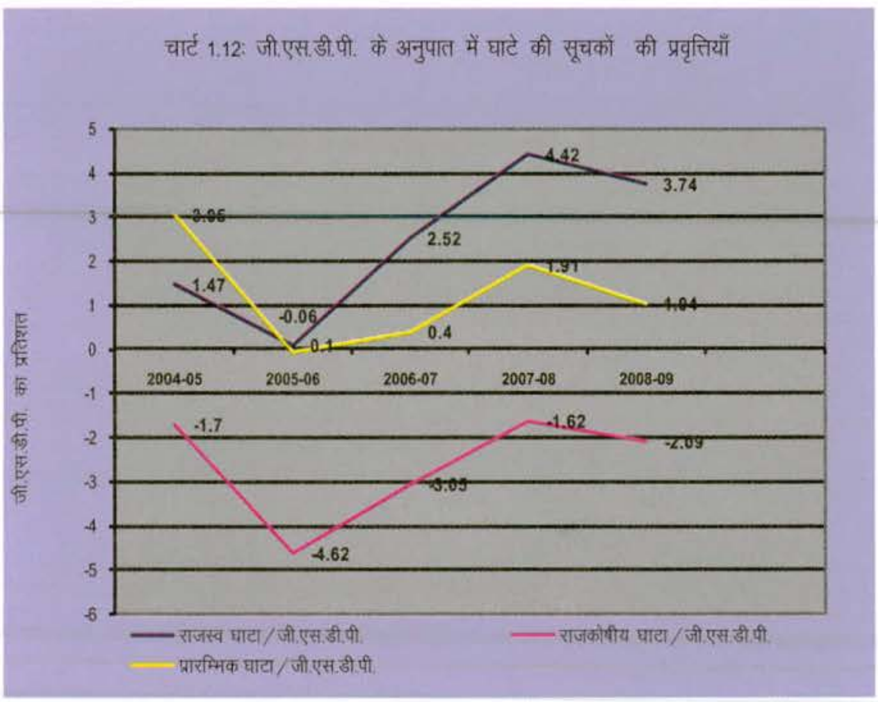

बड़े परिवर्तन के साथ राज्य 2004–05 से राजस्व अधिशेष में चल रहा था, लेकिन 2008–09 के दौरान राजस्व अधिशेष पूर्व के वर्ष से 178 करोड़ रूपये कम हो गया। राज्य एफ आर बी एम/बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित समय रेखा के बहुत पहले ही वास्तविक घाटा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। राजकोषीय घाटा 2007–08 में 1703 करोड़ रूपये से 2008–09 में

बढ़कर 2507 करोड़ रूपये हो गया तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद से इसका अनुपात बढ़कर 1.62 प्रतिशत से 1.90 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय घाटा के अनुपात में कमी एफ आर बी एम द्वारा तय प्रक्षेपण से अधिक था। चालू वर्ष में प्राथमिक अधिशेष 2004 करोड़ रूपये (2007–08) से घटकर 1246 करोड़ रूपये हो गया।

1.9.2 राजकोषीय घाटा तथा इसके वित्तपोषण प्रतिमान के घटक

राज्य ने 2004–05 में राजस्व अधिशेष का अनुभव किया तथा तब से यह अधिशेष बड़े परिवर्तन के साथ बना रहा। राजस्व अधिशेष 2007–08 में 4647 करोड़ रूपये से 2008–09 में घटकर 4469 करोड़ रूपये हो गया कारण कि राजस्व प्राप्ति 2008–09 के दौरान बढ़कर 4770.97 करोड़ रूपये (16.91 प्रतिशत) रहा। राजस्व व्यय पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़कर 4469.11 करोड़ रूपये (21 प्रतिशत) हो गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष 2008–09 में घटकर 178 करोड़ रूपये रह गया। बाजार ऋण का प्रतिशत राजकोषीय घाटा का 150 प्रतिशत था।

राजकोषीय घाटा का वित्तपोषण प्रतिमान के घटक **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14 : राजकोषीय घाटा तथा इसके वित्त पोषण प्रतिमान के घटक

(रूपये करोड़ में)

	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजकोषीय घाटा का अपघटन		-1241.80	-3700.15	-3020.91	-1703.46	-2506.97
1	राजस्व घाटा /राजस्व अधिशेष	1075.73	80.71	2498.14	4646.85	4469.11
2	निवल पूँजीगत व्यय	-1204.52	-2083.90	-5211.13	-6103.78	-6436.35
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	-1113.01	-1696.96	-307.92	-246.53	-539.73
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण प्रतिमान						
1	बाजार ऋण	1596.90	343.13	-412.72	-779.56	3757.12
2	भारत सरकार से ऋण	-1068.54	-486.04	-314.15	39.75	-278.81
3	एन एस एस एफ की विशेष प्रतिभूति	2404.20	2446.59	2040.69	661.59	529.08
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	1646.30	485.92	-314.15	58.26	238.22
5	छोटी बचत, भविष्य निधि इत्यादि	403.50	365.02	395.05	268.40	144.41
6	जमा और अग्रिम	-39.17	414.56	869.48	1700.04	-690.52
7	उचंत तथा विविध	-4420.89	-39.91	583.65	-2190.35	395.96
8	विप्रेषण	6.26	11.34	-63.14	618.30	-221.57
9	अन्य	76.75	439.62	nil	-44.60	293.24
10	संपूर्ण अधिशेष/घाटा	-676.49	298.88	97.01	-1371.62	1660.14

*ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल से वितरण/वहिर्गमन

(स्रोत: वित्त लेखे)

1.9.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटा से राजस्व घाटा का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन तथा पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) राज्य वित्त के घाटे की गुणवत्ता इंगित करता है। राजकोषीय घाटा से राजस्व घाटा का अनुपात चालू संघटन के लिए उधार निधि के उपयोग का प्रसार इंगित करता है। पुनः राजकोषीय घाटे राजस्व घाटों का लगातार उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार सिकुड़ती जा रही है तथा ऋण एक–एक भाग (राजकोषीय दायित्व) की कोई परिसंपत्ति बल नहीं था। प्राथमिक घाटे का विभाजन **(तालिका 1.15)** घाटे के उस विस्तार को इंगित करता है जो

पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुआ है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता की समृद्धि में वांछनीय है।

तालिका 1.15 : प्राथमिक घाटा/अधिशेष – कारकों का विभाजन

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) /अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-) /अधिशेष (+)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (3+4+5)**	**7 (3-6)**	**8 (2-6)**
2004-05	15729	11164	1205 (09)	1128	13497	-2333	+2232
2005-06	17888	14107	2084 (12)	1748	17939	-3832	-51
2006-07	23090	17169	5211 (23)	315	22695	-5526	+395
2007-08	28236	19856	6104 (23)	272	26232	-6376	+2004
2008-09	32992	24759	6436 (20)	551	31746	-6987	+1246

(स्रोतः वित्त लेखे)

राजस्व लेखा के प्राथमिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य की गैर ऋण प्राप्ति पर्याप्त थी तथा वस्तुतः पूँजीगत लेखा के अन्तर्गत व्यय को पूरा करने के लिए कुछ प्राप्ति बची रहती है। गैर ऋण प्राति अधिशेष पूँजीगत लेखा के अन्तर्गत आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था फलतः 2005–06 में प्राथमिक घाटा हुआ। वर्ष 2005–09 के दौरान गैर ऋण प्राप्ति प्राथमिक व्यय से अधिक था फलतः इन वर्षों में प्राथमिक अधिशेष हुआ। राजकोषीय घाटे के साथ–साथ ब्याज भुगतान में वृद्धि (46 करोड़ रूपये) के कारण प्राथमिक अधिशेष में 2008–09 के दौरान 2004 करोड़ रूपये से घट कर 1246 करोड़ रूपये हो गया।

1.9.4 राज्य का अपना राजस्व तथा घाटा सुधार

राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों को विकसित करने के लिए घाटा सुधार का जो सार्थक प्रेक्षण किया गया जो घाटा सुधार सूचक के टिकाउपन का द्योतक है। **तालिका 1.16** राज्य के राजस्व प्राप्ति में परिवर्तन तथा विगत तीन वर्षों में घाटा सुधार को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.16 : राजस्व प्राप्ति में परिवर्तन तथा घाटे में सुधार

(राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

मानक	2006-07	2007-08	2008-09	
			बजट प्राक्कलन	वास्तविक
राजस्व प्राप्तियाँ (क से घ)	**23083**	**28210**	**33550.98**	**32981**
क. राज्य का अपना राजस्व–कर	4033	5086	5258.88	6173
ख. राज्य का अपना करेत्तर राजस्व	511	526	421.83	1153
ग. केन्द्रीय करों एवं. शुल्क में राज्य का अंश	13292	16766	19094.31	17693
घ. सहायता अनुदान	5247	5832	8775.96	7962
राजस्व व्यय	**20585**	**23563**	**28937.89**	**28512**
राजस्व घाटा/ आधिक्य	**-2498**	**-4647**	**-4613**	**-4469**
राजकोषीय घाटा/आधिक्य	**3021**	**1703**	**3325**	**2507**

(स्रोतः वित्त लेखे)

*बजट प्राक्कलन एक सकल आँकड़ा है

राजस्व प्राप्ति वर्ष 2006–07 के 23083 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 32981 करोड़ रूपये हो गई और राजस्व व्यय भी 20585 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2008–09 से 28512 करोड़ रूपये हो गया। परन्तु ये चालू वर्ष के बजट प्राक्कलन से कम ही रहे। राजस्व अधिशेष

2006–07 के 2498 करोड़ रूपये से बढ़कर 2007–08 में 4647 करोड़ रूपये हो गया, इसके उपरान्त 2008–09 में घटकर 4469 करोड़ रूपये रह गया लेकिन यह भी प्रक्षेपित बजट प्राक्कलन से कम था। राजकोषीय घाटा 2006–07 के 3021 करोड़ रूपये से घटकर वर्ष 2007–08 में 1703 करोड़ हो गया, लेकिन पुनः वर्ष 2008–09 में बढ़कर 2507 करोड़ रूपये हो गया लेकिन, यह भी बजट प्राक्कलन से कम था।

1.10 निष्कर्ष

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राजस्व घाटे को शून्य करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया तथा राज्य राजस्व अधिशेष में चलने लगा। राजस्व प्राप्तियों में 4770.97 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई जिसमें 3056.67 करोड़ रूपये (64 प्रतिशत) भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय कर के हिस्सा तथा सहायतानुदान के कारण था।

2007–08 तथा 2008–09 के दौरान क्रमशः 3355.61 करोड़ रूपये तथा 6434.66 करोड़ रूपये राज्य बजट के बाहर राज्य क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों को सीधे उपलब्ध कराये गये थे।

सरकार ने वापसी तथा ब्याज भुगतान के दायित्व के संतुष्टि के बिना ही ऋण एवं अग्रिम का वितरण कर दिया। कुल लम्बित ऋण 14,668 करोड़ रूपये के विरूद्ध उर्जा क्षेत्र से 12290 करोड़ रूपये का ऋण लम्बित था। निवेश का औसत रिटर्न 2006–09 में 0.21 प्रतिशत हुआ जबकि सरकार ने 2006–09 के दौरान अपने ऋण पर औसतन 7.21 प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान किया। बजट से बाहर कोई ऋण नहीं था।

2006–08 के दौरान प्राप्त ऋण का उपयोग राज्य द्वारा पुराने ऋण दायित्वों के विमुक्ति के लिए किया गया। जबकि 2008–09 में ब्याज एवं ऋण के पुनर्भुगतान के उपरान्त निवल उपलब्ध निधि 5243 करोड़ रूपये (26 प्रतिशत) था। पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम वितरण में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई।

1.11 अनुशंसाएँ

- भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे विमुक्त की गई निधि के उपयोग अनुश्रवण करने के लिए सरकार द्वारा एक केन्द्रीकृत प्रणाली स्थापित की जा सकती है।
- सरकारी निवेशों पर नगण्य दर से लाभ एवं ऋण एवं अग्रिमों से न्यूनतम ब्याज प्राप्ति के कारण बढ़ रहे राजकोषीय दायित्वों जो मध्य एवं लंबे कालखण्ड में ऋण अनिर्वाहिता की स्थिति में जा सकता है जिसे गैर योजना राजस्व व्यय में कमी तथा कर एवं करेत्तर दोनों श्रोतों के माध्यम से संसाधनों में वृद्धि के लिए समुचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन
एवं
बजटीय नियंत्रण

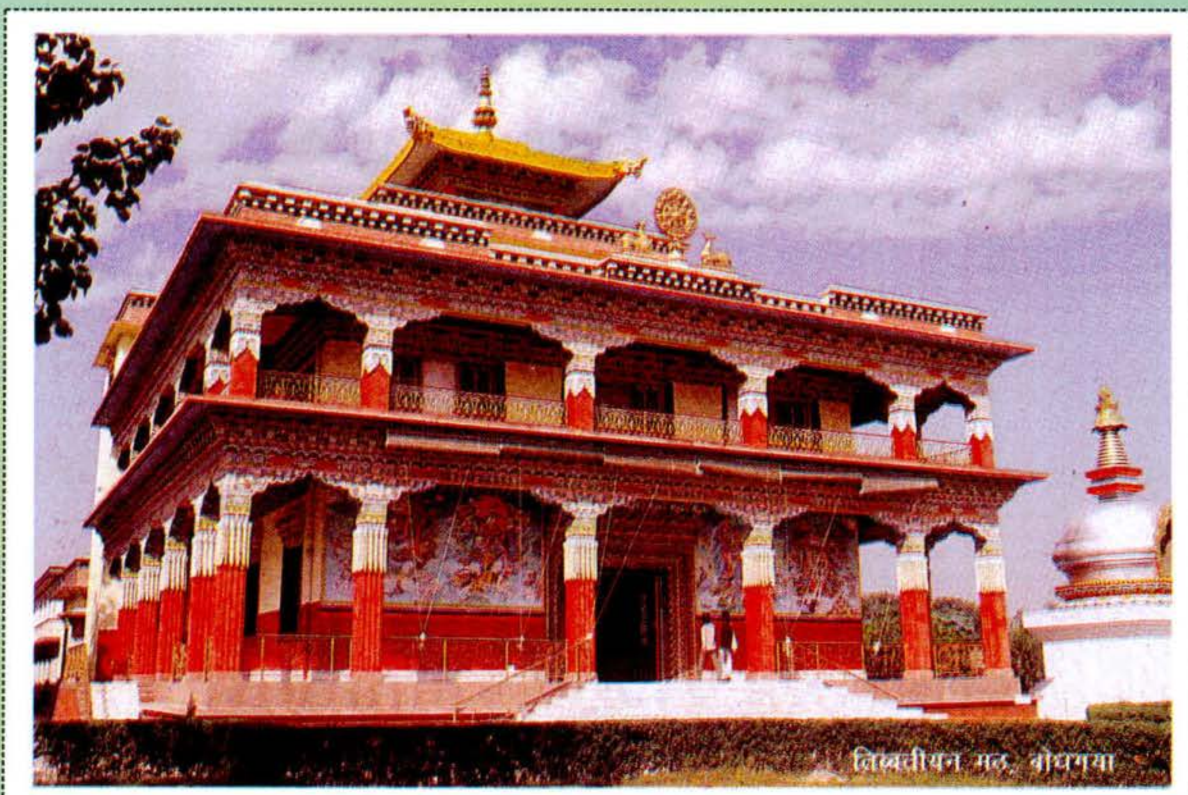

तिब्बतीयन मठ, बोधगया

अध्याय–II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 यह अध्याय बिहार सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय संव्यवहारों को विनियोग लेखों की लेखा परीक्षा के माध्यम से रूपरेखा प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखा सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दत्तमत एवं भारित व्ययों का लेखा है जो विनियोग अधिनियम के उल्लिखित अनुसूचि में विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुदान मांगों एवं भारित विनियोग के अनुरूप है। ये लेखायें मूल बजट अनुमान, अनुपूरक मांगें, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोग को दर्शाता है तथा विभिन्न उल्लेखित सेवाओं के लिए पूँजीगत एवं राजस्व लाभों को दर्शाता है साथ ही विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत भारित एवं मत्देय दोनों प्रकार के बजट मद को दर्शाता है। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी वित्त लेखा के रूप में रखता है।

विनियोजन की लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न मांगों में किया गया वास्तविक व्यय विनियोग अधिनियम के प्राधिकृत राशि के अंतर्गत है तथा भारत के संविधान के अनुरूप भारित है। यह भी सुनिश्चित करता है कि किया गया व्यय विधि सम्मत नियम कानून एवं निदेश के अनुरूप हैं।

2.2 विनियोजन लेखाओं का सारांश

वर्ष 2008–09 की अवधि में 51 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध किये गये वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शित है।

तालिका– 2.1 वास्तविक व्यय यथा मूल/पूरक प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान /विनियोजन	पूरक अनुरूप /विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (–) अधिक(+)
दत्तमत	I- राजस्व	25248.38	6314.60	31562.98	24955.13	(-)6607.85
	II- पूँजीगत	7635.39	3177.53	10812.92	6436.97	(-)4375.95
	III-ऋण एवं अग्रिम	324.63	518.62	843.25	551.05	(-)292.20
कुल दत्तमत		**33208.40**	**10010.75**	**43219.15**	**31943.15**	**(-)11276.00**
भारित	IV-राजस्व	*3852.10*	*4.31*	*3856.41*	*3820.40*	*(-)36.01*
	V- पूँजीगत	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	VI-लोक ऋण एवं पुनर्भुगतान	*1676.21*	*7.20*	*1683.41*	*1682.28*	*(-)1.13*
कुल भारित		***5528.31***	***11.51***	***5539.82***	***5502.68***	***(-)37.14***
आकस्मिकता निधि में विनियोजन (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		**38736.71**	**10022.26**	**48758.97**	**37445.83**	**(-)11313.14**

(स्रोत – राज्य का विनियोजन लेखा)

नोटः–कुल व्यय में राजस्व व्यय में रूपये 263.95 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय में 0.61 करोड़ की वसूली व्यय में कमी का समायोजन सम्मिलित है।

सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में 48758.97 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया गया था। वर्ष के दौरान मूल प्रावधान रूपये 38736.71 करोड़ के परिप्रेक्ष्य में रूपये 37445.83 करोड़ की राशि ही उपयोग किया गया जो मूल प्रावधान से 1290.88 करोड़ रूपये कम था। दत्तमत पूँजीगत व्यय 6436.97 करोड़ रूपये कुल प्रावधान का 13.20 प्रतिशत था एवं पूँजीगत के लिए मूल बजट आकलन से 1198.42 करोड़ रूपये कम था। कुल राजस्व व्यय भी मूल बजट प्रावधान रूपये 29100.48 करोड़ से रूपये 324.95 करोड़ कम था।

समग्र बचत रूपये 11369.44 करोड़ राजस्व मद के 47 अनुदानों/विनियोगों तथा पूँजीगत मद के 33 अनुदानों/विनियोजनों में बचत का परिणाम था जिसमें राजस्व खण्ड के चार अनुदानों/विनियोजनों के कुल अधिक्य 56.33 करोड़ रूपये के कारण कमी आई।

विस्तृत विनियोग लेखों के अनुसार बचत/आधिक्य की सूचना नियंत्री अधिकारी को दे दी गई थी (अक्टूबर 2009) तथा उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करें। विभाग/नियंत्री अधिकारी ने बचत/आधिक्य के कारणों की सूचना नहीं दी थी (दिसंबर 2009)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 विनियोजन यथा आवंटन प्राथमिकता

विगत तीन वर्षों के अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, वास्तविक व्यय आदि जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर विभागों को अपने प्राक्कलन तैयार करने की आवश्यकता थी। लेकिन बजट का निर्माण तथा बजट प्रबंधन के सिद्धांत्तों को नहीं लागु करने के कारण निधियों का अविवेकपूर्ण विनियोग हुआ। विनियोजन लेखा परीक्षा के दौरान प्रत्येक मामले में 10 करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक बचत कुल 41 अनुदानों में रूपये 11352.44 करोड़ का बचत परिलक्षित हुआ **(परिशिष्ट –2.1)**।

21 मामलों में जैसा कि **परिशिष्ट 2.2** में दिखलाया गया है 9785.95 करोड़ रूपये की बचत (कुल बचत का 86.50 प्रतिशत) विभिन्न विभागों में हुई जहाँ प्रत्येक मामले में 100 करोड़ रूपये से ज्यादा की बचत हुई जैसे आपदा प्रबन्धन विभाग (1551.84 करोड़ रूपये), जल संसाधन विभाग (1359.52 करोड़ रूपये), मानव संसाधन विभाग (1203.22 करोड़ रूपये), नगर विकास एवं आवास विभाग (623.49 करोड़ रूपये), उर्जा विभाग (520.76 करोड़ रूपये), सड़क निर्माण विभाग (505.36 करोड़ रूपये) इत्यादि। किसी भी विभाग द्वारा बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया था।

2.3.2 सतत् बचत

विगत पांच वर्षों में 13 मामलों में जिसमें प्रत्येक मामले में 20 करोड़ से अधिक की बचत प्रकाश में आयी जो कुल अनुदानों का 11 से 81 प्रतिशत है **(परिशिष्ट–2.3)**। अधिकांश मामलों में सतत् बचत क्षेत्रिय कार्यालयों से बिना पर्याप्त विवरण के बजट तैयार करने तथा विभाग/सरकार के स्तर से योजना एवं अनुश्रवण की कमी के कारण थी।

2.3.3 आधिक्य व्यय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को यह बाध्यता है कि बजट प्रावधान से अधिक किये गये व्यय के लिए लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों पर बहस की पूर्णता के पश्चात् विधान मण्डल में इसे विनियमित किया जाना है। दो मामले (दत्तमत अनुदान) में कुल 46.10 करोड़ रूपये का अधिकाई व्यय किया गया तथा एक भारित मद में 8.53 करोड़ रूपये का व्यय **(तालिका 2.2)** प्रावधान से अधिक था। यद्यपि अधिकाई व्यय को विनियमित नहीं कराया गया था। इसी प्रकार वर्ष 1977 से 2008 तक

में 7026.64 करोड़ रूपये प्रावधान से आधिक्य व्यय को भी नियमित नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका– 2.2 नियमन हेतु आधिक्य व्यय

(करोड़ रूपयों में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विनियोजन का नाम	कुल अनुदान /विनियोजन	व्यय	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
दत्तमत					
1	15	पेन्शन	3435.52	3481.24	1.33
2	17	वाणिज्य कर विभाग	46.30	46.68	0.82
		कुल	3481.82	3527.92	
भारित					
1	28	उच्च न्यायालय, बिहार	44.07	52.60	19.36
		कुल	**44.07**	**52.60**	

(स्रोतः विनियोग लेखा)

अधिकाई व्यय पर स्पष्टीकरण विलंब से/नहीं दिये जाने से वित्तीय अनियमितता का जाँच रहित रह जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

2.3.4 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 34 मामलों (प्रत्येक मामले में 10 लाख रूपये से ज्यादा) में कुल 2345.12 करोड़ रूपये की पूरक प्रावधान किये गए जो अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि इन मामलों में व्यय अपने मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है। दो मामलों में रूपये 2.22 करोड़ का पूरक प्रावधान जो प्रत्येक मामले में एक करोड़ रूपये से अधिक राशि से अपर्याप्त साबित हुए जिसके चलते 54.24 करोड़ रूपये की कुल राशि अनाच्छादित रह गया। **(तालिका 2.3)**

तालिका– 2.3: अपर्याप्त पूरक प्रावधान (एक करोड़ रूपये से ज्यादा)

(करोड़ रूपयों में)

अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	आधिक्य
15 **(दत्तमत)**	पेन्शन	3435.46	0.07	3435.53	3481.24	45.71
28 **(भारित)**	उच्च न्यायालय बिहार	41.92	2.15	44.07	52.60	8.53
	कुल	**3477.44**	**2.22**	**3479.66**	**3533.64**	**54.24**

(स्रोत – विनियोजन लेखा)

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि वास्तविक आवश्यकता पर विचार किये बगैर उप शीर्षों में पूरक प्रावधान किये गए थे।

2.3.5 निधि का अत्यधिक/अनावश्यक/पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन में निधि का स्थानान्तरण एक ही अनुदान के अन्तर्गत एक ईकाई से, जहाँ बचत की सम्भावना हो, दूसरी इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो में की जाती है। 38.62 करोड़ रूपये का पुनर्विनियोजन अधिक साबित हुआ जिसके फलस्वरूप 19 उप शीर्षों में, जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दिखाया गया है, 124.46 करोड़ रूपये की

बचत हुई। इसी प्रकार तीन मामले जो तीन अनुदानों से सम्बन्धित थे, निधि का पुनर्विनियोजन अनुचित साबित हुए क्योंकि 2.70 करोड़ रूपये का पुनर्विनियोजन द्वारा आहरण किया गया जबकि 9.28 करोड़ रूपये का अधिक व्यय हुआ जिसे **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका– 2.4: पुनर्विनियोजन के द्वारा निधि का अनावश्यक आहरण

(लाख रूपयों में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विवरणी	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम रूप से बचत /आधिक्य
1	12	0001-कार्यालय लेखन सामग्री	2058-00-101-0001	-0.65	+32.85
2	16	0004-ग्राम पंचायतों में लिपिक सह रोकड़पाल को पारिश्रमिक	2515-00-198-0004	-60.30	+698.29
3	48	0131-इंजिनियरिंग सेल के लिए	2217-80-800-0131	-208.95	+197.20
		कुल		**-269.90**	**928.34**

(स्रोतः विनियोजित लेखों से)

इसके अतिरिक्त 24 मामलों में पुनर्विनियोजन के द्वारा रू0 111.56 करोड़ की राशि का आहरण अपर्याप्त था क्योंकि इसके बावजूद 121.79 करोड़ रूपये की बचत थी जिसे **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि नियंत्री पदाधिकारी इन शीर्षों के तहत निधि की वास्तविक आवश्यकता बचत के पुर्वानुमान में विफल रहे।

2.3.6 महत्वपूर्ण अभ्यर्पण

व्यय करने वाले विभागों के द्वारा बचत का अनुमान होते ही अनुदानों/विनियोजनों अथवा उसके किसी भाग को वित्त विभाग में अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए ।

69 उपशीर्षों में कुल प्रावधान रूपये 996.18 करोड़ में से 752.41 करोड़ रूपये (कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत तथा 50 लाख से अधिक) का अभ्यर्पण किया गया जिसे **परिशिष्ट 2.8** में दर्शाया गया है, योजनाओं/कार्यक्रमों के लागू नहीं किये जाने अथवा धीमी प्रगति के कारण हुआ। 31 योजनाओं में निधियों का शत प्रतिशत अभ्यर्पण (103.23 करोड़ रूपये) किया गया था।

2.3.7 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

सात मामलों (**परिशिष्ट 2.9**) में रूपये 1093.85 करोड़ के वास्तविक बचत के विरूद्ध रूपये 1262.73 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था (प्रति मामले 50 लाख एवं अधिक) जो वास्तविक बचत से ज्यादा था। यह दर्शाता है कि इन विभागों में बजटीय नियंत्रण का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप 168.88 करोड़ रूपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ। संबंधित विभागों द्वारा वास्तविक बचत से अधिक राशि के अर्भ्यपण के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई।

2.3.8 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना

वर्ष 2008–09 के अन्त में 23 अनुदानों में कुल रूपये 8736.38 करोड़ (प्रत्येक मामलें में 10 करोड़ एवं अधिक) की बचत के विरूद्ध रूपये 2628.44 करोड़ का अभ्यर्पण (कुल बचत का 30 प्रतिशत) नहीं किया गया था जिसे **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

उसी प्रकार 10 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत कुल 1065.63 करोड़ रूपये के बचत (एक करोड़ से 10 करोड़ के बीच) में से 40.85 करोड़ का अभ्यर्पण नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.11** में दिखलाया गया है।

इसके अतिरिक्त 50 मामलों में 6310.70 करोड़ रूपये का अभ्यर्पण (प्रत्येक मामले में रूपये 10 करोड़ एवं अधिक) मार्च 2009 के अंतिम दो दिनों में किया गया **(परिशिष्ट 2.12)**, जो अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

यह दर्शाता है कि नियंत्री पदाधिकारी अपने बजटीय उत्तरदायित्व के निर्वहन में विफल रहे जिसके कारण निधियों का उपयोग उस उद्धेश्य के लिए जिसके लिए प्रावधानित थे एवं राज्य के अन्य विकासात्मक कार्य के लिए नहीं किया जा सका।

2.4 लम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

बिहार वित्तीय नियमावली (नियम 322(2) के नीचे टिप्पणी) के तहत सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्रों पर आहरित अग्रिम का सामंजन विस्तृत आकस्मिक (डि0 सी0) विपत्रों महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को कोषागार से आहरण की तिथि से छठे महीने की 25 तारीख तक भेजकर करनी चाहिए।

अभिलेखों के जाँच से ज्ञात होता है कि वर्ष 2002–2003 से 2007–08 के दौरान 50384 सार आकस्मिक विपत्रों पर 11924.44 करोड़ रूपये आहरित किए गए एवं 964.84 करोड़ रूपये के मात्र 5394 विस्तृत आकस्मिक विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार को प्रस्तुत किया गया तथा बारंबार लेखा परीक्षा आपत्ति के बावजूद 10959.59 करोड़ रूपये के 44990 सार आकस्मिक विपत्रों के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए **(तालिका 2.5)**।

वर्ष 2008 के दौरान कुल 2384.04 करोड़ रूपये का 8039 ए0सी0 विपत्र आहरित किया गया था जिसमें से 77.27 करोड़ रूपये का 412 डी0 सी0 विपत्र भेजे गये थे। इस प्रकार 13203.39 करोड़ रूपये का 52617 ए0 सी0 विपत्र समायोजन हेतु लम्बित थे।

तालिका 2.5–लम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्र

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	आकस्मिक सार विपत्र		विस्तृत आकस्मिक विपत्र		सार आकस्मिक विपत्रों का विस्तृत आकस्मिक विपत्रों से प्रतिशतता	बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2002-03	6988	332.22	464	8.33	2.51	6524	323.89
2003-04	12570	548.41	627	37.70	6.87	11943	510.71
2004-05	10701	957.72	1006	97.62	10.19	9695	860.10
2005-06	6064	2376.31	919	220.42	9.28	5145	2155.89
2006-07	6980	3849.31	899	204.29	5.31	6081	3645.02
2007-08	7081	3860.47	1479	396.49	10.27	5602	3463.98
कुल	50384	11924.44	5394	964.85		44990	10959.59

{स्रोत : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त विवरणी}

2.5 व्यय आँकडों का मिलान नही किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) के अनुसार विभागीय प्रमुखों द्वारा व्यय के विभागीय आंकड़े का मिलान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) द्वारा दर्ज आँकड़ों से प्रत्येक

मासिक/तिमाही पर कराया जाना चाहिए। हालांकि विभागीय आँकड़ों के मिलान नहीं किए जाने की ओर लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इंगित किया जाता रहा है। वर्ष 2008–09 के दौरान, जैसा कि **परिशिष्ट 2.13** में दर्शाया गया है, 112 प्रमुख शीर्षों में से 73 शीर्षों में कुल 37445.83 करोड़ रूपये के विरूद्ध 32793.95 करोड़ रूपये का मिलान विभागीय प्रमुखों द्वारा नहीं कराया गया था।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) एवं 283(2) के प्रावधान के अन्तर्गत बिहार आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के द्वारा आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। आकस्मिक एवं अप्रत्याशित तरह का व्यय, जिसे विधानमंडल की स्वीकृति तक टाला नहीं जा सकता, के लिए इस निधि से अग्रिम दिया जा सकता है। वर्ष 2008–09 के दौरान सरकार ने 1346.78 करोड़ रूपये के 165 आहरण स्वीकृत किया (कुल बजट प्रावधान का 2.76 प्रतिशत) जिसमें 472.46 करोड़ रूपये के 122 आहरण **(परिशिष्ट 2.14)** सामान्य उद्धेश्य के लिए थे, जैसे कि वाहन का क्रय, पुलिस भवन का निर्माण, जल आपूर्ति, भूमि का अधिग्रहण, कार्यालय व्यय, वेतन एवं भत्तें आदि। ये सभी व्यय प्रत्याशित थे जिसे राज्य के आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में लिए गए और वर्ष के दौरान पूरी राशि की पूर्ति कर दी गई थी।

2.7 निष्कर्ष

वर्ष 2008–09 में 48758.97 करोड़ रूपये के अनुदानों/मांगों के विरूद्ध 37445.83 करोड़ रूपये का व्यय किया गया, परिणामतः कुल 11313.14 करोड़ रूपये की शुद्ध बचत हुई। अनुदान/विनियोग से 54.63 करोड़ रूपये के अधिकाई व्यय को भारत के संविधान की धारा 205 के तहत विनियमित किया जाना आवश्यक था। विभागों द्वारा अपना प्राक्कलन अर्थव्यवस्था की प्रवृति विगत तीन वर्षों का वास्तविक व्यय तथा अन्य विश्वस्त कारकों आदि को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। वृहत तथा सतत् बचत, प्रावधानों से अधिक, अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त, पूरक प्रावधान/पुनर्विनियोजन तथा प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं किया जाना अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

2.8 अनुशंसाएँ

- विभाग के विश्वस्त कारकों जैसे अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति, निधि की वास्तविक आवश्यकता, विगत तीन वर्षों से व्यय तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखकर अधिक वास्तविक बजट प्राक्कलन तैयार करना चाहिए।

- सरकारी विभागों में प्रावधानों के विरूद्ध व्यय के सूक्ष्म अनुश्रवण द्वारा बजटीय नियंत्रण को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

- सम्भावित बचतों को समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिए एवं वर्ष के अंत में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण आदेश निर्गत करने से बचना चाहिए।

- अनुदान अथवा विनियोजन से अधिक सभी व्यय को संविधान के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

एक अच्छी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली जो प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना देती हो, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावकारी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियम के अनुपालन के साथ प्रक्रिया एवं निर्देश सही समय एवं गुणवत्ता के साथ की गई रिपोर्टिंग एवं उसका अनुपालन एक अच्छे शासक की छवि बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नियंत्रण एवं अनुपालन पर रिपोर्ट अगर प्रभावकारी एवं क्रियात्मक हो तो सही योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को प्रबंधनात्मक उत्तरदायित्व निर्वहन में सहायक होगा। यह अध्याय राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों के स्थिति का विंहगावलोकन प्रस्तुत करती है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार सहायता अनुदान की प्रथम दो तिमाही किस्त या प्रथम छमाही किस्त अंतिम अनुदान किस्त के संबंध में बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए स्वीकृत की जा सकती है। फिर भी अनुदान की शेष रकम को स्वीकृत करने के लिए पूर्व के अनुदानों के अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रशासनिक विभागों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और उन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेजा सकता है। यह पाया गया कि अक्टूबर 2007 तक विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा दिए गए कुल 4557.81 करोड़ रूपये का ऋण एवं अनुदान का 21142 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

3.2 विभागीय वाणिज्यिकी उपक्रम

विभागीय उपक्रम जो अर्द्धवाणिज्यिक प्रवृत्ति के कार्यों का संचालन करते हैं उनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रोफार्मा लेखा बनाया जाना है जिसमें कार्य परिणाम एवं वित्तीय परिचालन को दिखाया जाना है, जिससे सरकार उनके कार्यों की समीक्षा कर सकें। विभाग द्वारा संचालित वाणिज्यिकी एवं अर्द्धवाणिज्यिकी उपक्रमों द्वारा अंतिम रूप से तैयार लेखा उनके पूर्ण वित्तीय स्वास्थ्य एवं कार्य संपादन में उनकी दक्षता को दर्शाता है। समय पर लेखा नहीं तैयार होने के कारण सरकार द्वारा किए गए निवेश, लेखा परीक्षा एवं राज्य विधायिका द्वारा समीक्षा से बाहर रह जाता है। परिणामस्वरूप सुधारात्मक प्रक्रिया, यदि आवश्यक हो, जिससे उत्तरदायित्व एवं दक्षता में सुधार का कार्य समय पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावे, इस तरह का विलंब, जिसका संभावना ज्यादा है, सरकारी धन के दुर्विनियोग एवं दुरूपयोग का रास्ता खोल सकता है।

सरकार के अंतर्गत विभागीय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे लेखाओं को तैयार करें और निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत महालेखाकार को लेखा परीक्षा के लिए समर्पित करें। मार्च 2009 तक राज्य के विभागीय वाणिज्यक उपक्रम ने 2007–08 तक के लेखे तैयार नहीं किये थे जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : विभागीय वाणिज्यकी उपक्रमों की विवरणी

क्रम सं0	उपक्रमों का नाम	उपक्रमों की सं0
1	आदर्श आयरण वर्कशॉप	12
2	हस्तकरघा बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र	06
3	साल्ट पिटर रिफाइनरी केन्द्र, महेशी , पूर्वी चम्पारण	01
4	हस्तकरघा कॉम्पलेक्स / मधुबनी	01
5	पॉलिस्टर बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, बरारी, भागलपुर	01
6	उपेन्द्र महर्षि शिल्प अनुसंधान संस्था, दीघा , पटना	01
7	केन्द्रीय रूपांकन केन्द्र, राजेन्द्र नगर, पटना	01
	योग	**23**

(स्रोतः विभागीय प्रमुख से प्राप्त सूचनाओं पर संकलित)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिवेदन (सिविल) लेखाओं को तैयार करने में हो रहे विलंब पर बार–बार टिप्पणी की है लेकिन उपक्रमों द्वारा प्रोफार्मा लेखे तैयार करने में कोई सुधार नहीं हुआ है।

3.3 दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि

बिहार वित्तीय नियमावली में यह प्रावधान है कि यदि कोई हानि हो या हानि होने का संदेह हो या सरकारी राशि या सरकारी राशि के बकाये का गबन किया गया हो तो संबंधित अधिकारी को अपने से उच्चतर अधिकारी, वित विभाग साथ ही महालेखाकार को तुरंत इसकी सूचना देनी है। जाँचोंपरांत हानि की प्रवृत्ति, किस हद तक हानि हुई तथा कोई वसूली हुई हो तो इसका पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित करेगें। प्रतिवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, विभागीय जाँच के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करेंगे।

मार्च 2009 तक 890 गबन, हानि, दुर्विनियोजन से संबंधित मामले लंबित थे। लंबित मामलों का वर्ष वार संक्षिप्त विवरणी **परिशिष्ट 3.2** एवं सार **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2
लंबित मामलों की वयवार विवरणी

(राशि : करोड़ रूपयों में)

सीमा अवधि	मामलों की संख्या	राशि
5 वर्षों तक	813	247.81
5 - 10	77	133.18
कुल	**890**	**380.99**

(स्रोत : विभागीय प्रमुख से प्राप्त सूचनाओं पर संकलित)

परिशिष्ट 3.3 मे दिए गए दुर्विनियोजन, गबन, हानि के प्रत्येक वर्ग में लंबित मामलों की संख्या का संक्षिप्त विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3
लंबित मामलों की प्रकृति

(राशि करोड़ रूपयों में)

लंबित मामलों की प्रकृति	लंबित मामलों की संख्या	राशि
दुर्विनियोजन	562	304.56
हानि	175	64.80
गबन	153	11.63
लंबित मामलों की कुल संख्या	**890**	**380.99**

(स्रोतः विभागीय प्रमुख से प्राप्त सूचनाओं पर संकलित)

दुर्विनियोजन, गबन, हानि से संबंधित राशि समाधान हेतु लंबित थी, लेकिन उत्तरदायी अधिकारियों पर जिम्मेवारी निर्वहन की कार्रवाई नहीं की गई।

3.4 निष्कर्ष

राजकीय संस्थानों/उपक्रमों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्रों, वार्षिक लेखे एवं प्रोफार्मा लेखा आदि का जमा किया जाना वित्तीय प्रतिवेदन का मौलिक तत्व है एवं उनके कालबद्ध रूप में जमा किया जाना तथा प्रतिवेदन की गुणवत्ता प्रभावी एवं स्वच्छ प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व है। तथापि उपयोगिता प्रमाण पत्रों एवं लेखाएँ राजकीय संस्थानों/उपक्रमों द्वारा न तो समय पर और न पूर्ण रूप में जमा किए जा रहे हैं, जो राज्य सरकार को उत्तरदायित्व निर्धारण एवं कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु उचित कदम उठाने से रोकती है।

3.5 अनुशंसाएँ

- विभागाध्यक्षों को समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जमा कर दिया गया है।

प्रेमन दिनाराज

(प्रेमन दिनाराज)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांक 6 JUL 2010

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 8 JUL 2010

परिशिष्ट

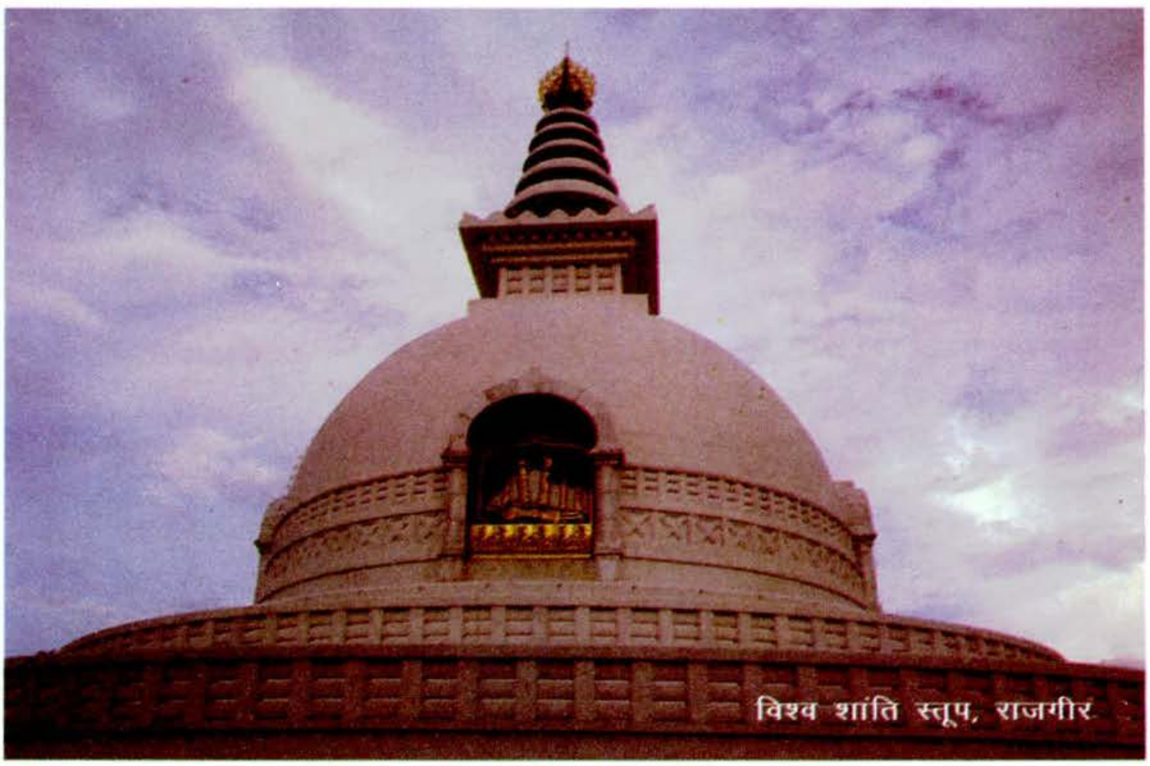
विश्व शांति स्तूप, राजगीर

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ–1)

भाग– क

सरकारी लेखे की संरचना

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग–I संचित निधि : राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, बाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है।

भाग–II आकस्मिकता निधिः संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैय्या करता है । तत्पश्चात विधानमंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है।

भाग–III लोक लेखाः कुछ विशेष लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ : कंडिका 1.1 पृष्ठ–1)

भाग–ख

वित्त लेखे का अभिन्यास

विवरणी सं0	अभिन्यास
1.	राज्य के संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियों एवं व्यय , राजस्व एवं पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियों एवं संवितरण इत्यादि राज्य सरकार के लेन–देन तथा सारांश प्रस्तुत करता है।
2.	पूँजीगत परिव्यय की संक्षिप्त विवरणी जो वर्ष 2008–09 के अंत तक प्रगामी व्यय को प्रदर्शित करती है।
3.	सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियाँ, कार्य व्यय एवं अनुरक्षण प्रभार, पूँजीगत परिव्यय, निवल लाभ या हानि इत्यादि देता है ।
4.	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश इंगित करता है जिसमें, आंतरिक ऋण से, भारत सरकार से उधार, अन्य दायित्व एवं ऋण की परिचर्चा शामिल है।
5.	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम, किए गए पुनर्भुगतान, बकाये की वसूली इत्यादि का संक्षिप्त विवरण है।
6.	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा इकट्ठा किये गये ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई गारंटी का संक्षिप्त विवरण देता है।
7.	रोकड़ शेष एवं उससे किए गए निवेश का संक्षिप्त विवरण देता है।
8.	31 मार्च 2009 को संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश है।
9.	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के लिए कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व एवं व्यय प्रदर्शित करता है ।
10.	वर्ष के दौरान भारित एवं दत्तमत व्यय के वितरण को इंगित करता है।
11.	लघु शीषों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखा को इंगित करता है।
12.	अलग–अलग योजना एवं गैर योजना के अंतर्गत लघुशीर्षों द्वारा राजस्व व्यय एवं वृहत शीर्षवार पूँजीगत व्यय का लेखा प्रदर्शित करता है ।
13.	वर्ष 2008–09 की अवधि एवं उसके अंत तक विस्तृत पूँजीगत व्यय को दर्शाता है।
14.	वर्ष 2008–09 के अंत तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियाँ अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों , सहाकारिता बैंकों एवं सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश को प्रदर्शित करता है ।
15.	वर्ष 2008–09 के अंत तक पूँजीगत एवं अन्य व्यय एवं प्रधान स्रोत जिससे उस व्यय के लिए निधि उपलब्ध कराई गई, का वर्णन करता है ।
16.	ऋण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत, प्राप्तियों, भुगतान एवं शेष का विस्तृत लेखा है।
17.	बिहार सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज वाले दायित्वों के विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है ।
18.	बिहार सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण राशि का भुगतान 31 मार्च 2009 को शेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है ।
19.	आरक्षित निधि के कर्णांकित शेष का विस्तृत वर्णन करता है ।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः कंडिका 1.1; 1.5.1 और 1.5.3; पृष्ठ 1, 13 और 14)

भाग–'क' – राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी कार्य प्रणाली

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (पैरा–1.1) के अन्तर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा आधार प्रतिनिधित्व के संदर्भ में प्रासंगिक राजकोषीय परिवर्तनशीलता उत्प्लावकता गुणांक की गणना संसाधनों के संघटन व्यय के तरीके इत्यादि आधार में परिवर्तन की कदम हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद को छोड़कर अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं ।

विगत पॉच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई हैः–

सकल घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) की प्रवृति

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (रूपये करोड़ में)	73221	80157	98957	105148	131873
जी.एस.डी.पी. का विकास दर	10.52	9.47	23.45	6.26	25.42
श्रोतः सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार					

क्षमता के आकलन की कार्य प्रणाली

राज्य के राजकोषीय क्षमता के गणना के लिए बारहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में दिए गए निम्नांकित कार्य प्रणाली को अपनाया गया है ।

स्टेप –1 कुल व्यय–सकल घरेलू उत्पाद एवं सी0ओ0/डी0 ई0/एस0एस0 ई0–ए0 ई0 के राष्ट्रीय औसत की गणना की जानी है।

स्टेप –2 राष्ट्रीय औसत पर आधारित पर ए0ई0 जी एस डी पी अनुपात इस प्रकार निकाला जाना है कि कुल व्यय किसी भी राज्य के ए0ई0 जी एस डी पी अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से कम न हो , अर्थात, अगर

जहॉं "एक्स" ए0डी0 जी एस डी पी अनुमापत का राष्ट्रीय औसत है जहॉं राज्य का ए.इ./जी एस डी पी अनुपात राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है वहां किसी तरह का समायोजन नहीं किया गया है । जहां यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है वहां यह राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया है ।

स्टेप–3 विकास व्यय/कुल व्यय (डी0ई0/ए0ई0)सामाजिक सेवाएँ पर व्यय /कुल व्यय (एस0एस0ई/ए0ई0)एवं पूँजिगत व्यय /कुल व्यय /सी0ई0/ए0 ई0) के राष्ट्रीय औसत के आधार पर डी0ई0, एस0 एस. ई एवं सी.ओ. को इस प्रकार निकाला जाना है कि किसी भी राज्य का यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न हो, अर्थात् अगर

डी.ई. /ए.ई.= वाई

डी0ई0= वाई' कुल व्यय ....(2)

जहॉं वाई राष्ट्रीय औसत है डी0ई/ए0ई0 के अनुपात का (1) से (2) को प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं ।

डी.ई.= वाई *एक्स* जी एस डी पी ....(3)

जहॉं राज्य का डी.ई. /ए.ई.,एस.एस.ई. और सी.ई./ए.ई. अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया गया है। जहॉं यह अनुपात औसत से कम है वहां इसे राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया है।

स्टेप–4: समीकरण (3) के आधार पर निकाले गए डी.ई., एस.एस.ई. एवं सी.ई. से प्रतिव्यक्ति व्यय की गणना, अर्थात

पी.सी.डी.ई.=डी.ई./पी.....................................(4) यहां पी.सी.डी.ई. से तात्पर्य प्रतिव्यक्ति विकास व्यय एवं पी. का अर्थ जनसंख्या है ।

(3) में (4) के प्रतिस्थापन के बाद हम पाते हैं

पी.डी.ई.=(वाई *एक्स* जी एस डी पी)पी.. (5)

समीकरण (5) समायोजित प्रतिव्यक्ति व्यय को दर्शाता है । यदि समायेाजित प्रतिव्यक्ति व्यय यदि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति व्यय से कम है, तो राज्य के कम व्यय करने की क्षमता उसके कम राजकोषीय क्षमता के कारण है । जबकि सभी राज्य सरकारें उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत के समतूल्य राजकोषीय महत्व दे रही है यह वास्तविक व्यय के स्तर को दर्शाता है।

कुछ चुने हुए शब्दों जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृति एवं प्रतिकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए हैं।

शब्द	गणना का आधार
मानक की प्लवनशीलता	मानक वृद्धि की दर/जी.एस.डी.पी.वृद्धि
एक दूसरे मानक (वाई) की तुलना में मानक (एक्स) की प्लवनशीलता	मनक (एक्स) की वृद्धि दर /मानक (वाई) की वृद्धि दर
विकास का दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष राशि /पूर्व वर्ष राशि))-1]* 100
विकास का व्यय	सामाजिक सेवायें +आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान /[(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्वों की राशि +चालू वर्ष का राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी.वृद्धि–भारित ब्याज दर
मात्रा विस्तार	जमा पूँजी *ब्याज विस्तार
ऋण बकाया के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+ पूँजीगत व्यय +निवल ऋण एवं अग्रिम –राजस्वप्राप्ति –निवल पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा–ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर–योजना राजस्व व्यय

भाग–'ख'– राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2006

राज्य ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम) के लिए अप्रील 2006 में अधिनियम बनाया । अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार, राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता में दूरदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एवं सामाजिक तथा भौतिक आधारभूत संरचना तथा मानव संसाधन का विकास, राजस्व घाटा का प्रगतिशील विलोपन, राजकोषीय घाटा में कमी, राजकोषीय धारणीयता के साथ–साथ संगत दूरदर्शी ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय क्रिया प्रणाली में अधिक पारदर्शिता एवं माध्यम रूप के ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन हेतु उत्तरदायी है।

अधिनियम में पारित राजकोषीय प्रबंधन उद्धेश्यों को राज्य सरकार द्वारा अन्य विषयों में भी लागू करना चाहिए।

- वित्तीय वर्ष 2006–07 के शुरूआत से यदि राजस्व घाटा होता है तो राजस्व घाटा /सकल राज्य घरेलु उत्पाद अनुपात में प्रत्येक वर्ष आर्थिक स्थिति के अनुसार कम से कम 0.1 प्रतिशत की कमी, जिससे 2008–09 तक राजस्व घाटा का विलोपन हो जाये एवं उसके बाद राजस्व अधिशेष उत्पन्न हो।

- वित्तीय वर्ष 2006–07 के शुरूआत से राजकोषीय घाटा/ सकल घरेलू राज्य उत्पाद अनुपात में प्रत्येक वर्ष कम से कम 0.3 प्रतिशत तक की कमी करनी होगी यदि यह तीन प्रतिशत से अधिक एवं वर्ष 2008–09 तक तीन प्रतिशत से अधिक न हो ।

परिशिष्ट–1.3
(संदर्भः कंडिका 1.1, 1.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 1, 5 एवं 19)
राज्य सरकार के वित्त कालबद्ध आंकड़े

(रूपये करोड़ में)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09
खण्ड अः प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**15714**	**17837**	**23083**	**28210**	**32981**
(i) कर राजस्व	**3347(21)**	**3561(20)**	**4033(17)**	**5086(18)**	**6173(19)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1891(57)	1734(49)	2081(52)	2535(50)	3016(49)
राज्य उत्पाद	272(8)	319(9)	382(9)	525(10)	679(11)
वाहन पर कर	213(6)	302(8)	181(4)	273(5)	298(5)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	429(13)	505(14)	455(11)	654(13)	716(12)
भू–राजस्व	33(1)	55(2)	75(2)	82(2)	102(1)
माल एवं यात्री कर	473(14)	613(17)	783(19)	938(18)	1279(21)
अन्य कर	36(1)	33(1)	76(2)	79(2)	83(1)
(ii) गैर राजस्व कर	**418(3)**	**522(3)**	**511(2)**	**526(2)**	**1153(3)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**9117(58)**	**10421(58)**	**13292(58)**	**16766(59)**	**17693(54)**
(iv) भारत सरकार से सहायतानुदान	**2832(18)**	**3333(19)**	**5247(23)**	**5832(21)**	**7962(24)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	**15**	**51**	**7**	**26**	**11**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**15729**	**17888**	**23090**	**28236**	**32992**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**7623**	**3770**	**2358**	**1612**	**5928**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	5969	3768	2355	1144	5778
आंतरिक अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1654	2	3	468	150
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**23352**	**21658**	**25448**	**29848**	**38920**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**4092**	**5695**	**9224**	**12837**	**16941**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**27444**	**27353**	**34672**	**42685**	**55861**
खण्ड –ब –व्यय /संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**14638**	**17756**	**20585**	**23563**	**28512**
योजना	1996(14)	2736(15)	4065(20)	**4804(20)**	**7280**
गैर –योजना	**12642(86)**	**15020(85)**	**16520(80)**	**18759(80)**	**21232**
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	7803(53)	8523(48)	8643(42)	9252(39)	10530
सामाजिक सेवाएँ	4795(14)	6862(38)	7917(38)	9868(42)	12252
आर्थिक सेवाएँ	2036(33)	2367(13)	4021(20)	4438(19)	5726
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	5	4
11. पूँजीगत व्यय	**1205**	**2084**	**5211**	**6104**	**6436**
योजना	1170(97)	2061(99)	5132(98)	5991(98)	6336
गैर –योजना	35(3)	23(1)	79(2)	113(2)	100
स्रामान्य सेवाएँ	68(6)	72(3)	155(3)	223(4)	206
समाजिक सेवाएँ	137(11)	328(16)	596(11)	799(13)	640
आर्थिक सेवाएँ	1000(83)	1684(81)	4460(86)	5082(83)	5590
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**1128**	**1748**	**315**	**272**	**551**
13. कुल (10+11+12)	**16971**	**21588**	**26111**	**29939**	**35499**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**3084**	**981**	**1025**	**1632**	**1682**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	361	493	708	1203	1254

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2723	488	317	429	42
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	20055	22569	27136	31571	3718
17.आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	
18. लोक लेखा संवितरण	5519	4415	8016	10334	1731
19. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	25574	26984	35152	41905	5449
खण्ड –स– घाटा					
20. राजस्व घाटा (–)/ राजस्व आधिक्य (+) (1–10)	1076	81	2498	4647	446
21. राजकोषीय घाटा (–)/ राजकोषीय आधिक्य (+) (4–13)	(-)1242	(-)3700	(-)3021	(-)1703	(-)250
22. प्रारम्भिक घाटा (21+23)	(+)2232	(-)51	(+)395	(+)2004	(+)124
खण्ड –द– अन्य आंकड़े					
23.ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	3474	3649	3416	3707	375
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	813	1110	1017	1133.37	4422.
25. उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम ओभरड्राफ्ट (दिन)	3	शून्य	शून्य	शून्य	शू
उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट (दिन)					
उपयोग किये गये ओभरड्राफ्ट (दिन)					
26.अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट पर ब्याज नगण्य	नगण्य	शून्य	शून्य	शून्य	शू
27. सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)[@]	73221	80157	98957	105148	1318
28. लंबित राजकोषीय दायित्व (वर्षांत)	42483	46495	49089	50989	549
29. ब्याज सहित लंबित प्रत्याभूति (वर्षांत)	473	605	608	516	7
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्षांत)	1531	1531	1538	1538	15
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	18	6	6	9	
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	1183	2393	2393	2793	1016.08
खण्ड – ई– राजकोषीय स्थिति का सूचक					
I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
निजी राजस्व कर / जी.एस.डी.पी.	4.58	4.44	4.07	4.83	4.68
निजी करेत्तर राजस्व / जी.एस.डी.पी.	0.57	0.65	0.52	0.53	0.90
केन्द्रीय स्थानांतरण/ जी.एस.डी.पी.	12.45	13.00	13.43	15.95	13.42
II. व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/ जी.एस.डी.पी.	23.18	26.93	26.39	28.47	26.92
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियाँ	107.99	121.08	113.11	106.12	107.63
राजस्व व्यय/कुल व्यय	86.25	82.25	78.84	78.70	80.31
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय	29.06	33.31	32.60	35.63	36.32
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय	17.89	18.76	32.48	31.80	31.88
पूँजीगत व्यय /कुल व्यय	7.10	9.65	19.95	20.38	18.13
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	6.69	9.32	19.36	19.64	17.34
III.राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/ जी.एस.डी.पी.	1.47	0.10	2.52	4.48	3.39
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी.	-1.70	-4.62	-3.05	-1.62	-1.90
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	3.05	-0.06	0.40	1.91	0.94
राजस्व घाटा /राजकोषीय घाटा	-86.63	-2.19	82.69	-272.87	-178.26
आरंभिक राजस्व शेष / जी.एस.डी.पी.	-3.19	-4.78	-5.58	-6.06	-5.30

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09
IV.राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व / जी.एस.डी.पी.	**58.02**	**58.00**	**49.61**	**48.49**	**41.69**
राजकोषीय दायित्व /आर.आर.	**270.35**	**260.67**	**212.66**	**180.75**	**166.69**
आरंभिक धाटा यथा मात्रा विस्तार	**5.65**	**-0.09**	**0.05**	**-4.41**	**0.14**
ऋण विमोचन (मुलधन+ ब्याज) / कुल ऋण प्राप्तियाँ	**34.29**	**65.93**	**134.52**	**321.59**	**64.55**
V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.38**	**0.25**
चालू राजस्व से शेष (करोड़ रूपयों में)	**924**	**685.02**	**2995.78**	**5124.24**	**3952.78**
वित्तीय परिसंपत्तियॉ /दायित्व	**78**	**80**	**86**	**96**	**96**

कोष्टक में दिये गये आँकड़ें प्रत्येक उपशीर्षों के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं।

@ सरकार द्वारा अपनायी गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़ें

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ :कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

वर्ष 2008–09 की प्राप्तियाँ एवं संवितरण

(रूपये करोड़ में)

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2007-08			2008-09		2007-08			2008-09		
		खण्ड : अ राजस्व						गैर योजना	योजना	योग
28209.72	**I**	राजस्व प्राप्तियाँ		**32980.69**	**23562.87**	**I**	राजस्व व्यय	**21231.29**	**7280.29**	**28511.58**
5086.17		कर राजस्व	6172.74		9251.97		सामान्य सेवाएँ	10247.72	281.79	10529.51
525.59		करेत्तर राजस्व	1153.32		9867.99		समाजिक सेवाएँ	7885.71	4366.39	12252.10
16766.29		संघीय करों का राज्यांश	17692.51		5495.99		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	5149.89	1556.02	6705.91
1505.08		गैर योजना अनुदान	2550.44		1141.48		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1039.35	154.02	1193.37
2913.83		राज्य योजना हेतु अनुदान	3600.09		713.39		जलापूर्ति स्वच्छता,आवास एवं नगर विकास	675.11	738.29	1413.40
1412.76		केन्द्रीय योजना एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	1811.59		25.16		सूचना एवं प्रसारण	37.91	6.08	43.99
					247.87		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	56.06	174.40	230.46
					281.38		श्रम एवं श्रम कल्याण	43.86	23.53	67.39
					1939.53		समाज कल्याण एवं पोषण	860.68	1701.54	2562.22
					23.19		अन्य	22.85	12.50	35.35
					4437.90		आर्थिक सेवाएँ	2632.11	3093.90	5726.01
					736.84		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	386.82	885.87	1272.69
					1653.10		ग्रामीण विकास	646.05	1463.15	2109.20
					-		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	-	-
					561.93		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	637.01	67.31	704.32
					726.28		उर्जा	720.00	2.50	722.50
					232.92		उद्योग एवं खनिज	27.73	198.34	226.07
					407.54		परिवहन	493.37	-	493.37
					-		विज्ञान, प्रौद्यौगिकी एवं पर्यावरण	-	-	-
					119.24		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	182.92	14.94	197.86
					5.01		सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.96	-	3.96
							कुल			28511.58

	II	खंड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे			4646.85	II	खंड ब में ले जाए गए राजस्व अधिशेष			4469.11
28209.72		कुल		**32980.69**	**28209.72**		कुल			**32980.69**
		खंड ब अन्य								
1407.58	**III**	**स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष**		**2188.06**		**III**	**भारतीय रिजर्व बैक से प्रारंभिक ओभर ड्राफ्ट**			
	IV	**विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ**			**6103.78**	**IV**	**पूँजीगत परिव्यय**	**99.55**	**6336.80**	**6436.35**
					222.51		सामान्य सेवाएँ	63.91	142.74	206.65
					798.92		सामाजिक सेवाएँ	30.87	609.15	640.02
					57.28		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-	176.51	176.51
					245.55		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	97.21	97.21
					339.33		जलापूर्ति स्वच्छता,आवास एवं नगर विकास	4.51	182.05	186.57
					-		सूचना एवं प्रसारण	-	4.93	4.93
					44.75		अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	41.77	41.77
					107.52		समाज कल्याण एवं पोषाहार	-	100.76	100.76
					4.49		अन्य	26.36	10.84	37.20
					5082.32		आर्थिक सेवाएँ	4.77	5584.91	5589.68
					22.37		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1.00	10.04	11.04
					1491.52		ग्रामीण विकास	-	1273.79	1273.79
					-		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	-	-
					887.77		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3.78	1136.90	1140.68
					115.00		उर्जा	-	400.00	400.00
					164.59		उद्योग एवं खनिज	-	276.72	276.72
					2299.50		परिवहन	-	2463.42	2463.42
					101.60		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	-	24.04	24.04
26.16	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		11.32	272.70	V	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	354.39	196.66	551.05
-		विद्युत परियोजनाओं से		-	237.23		उर्जा परियोजनाओं हेतु	273.05	163.84	436.89
4.76		सरकारी सेवकों से		9.09	7.33		सरकारी सेवकों को	7.19	-	7.19
21.40		अन्य से		2.23	28.14		अन्य को	74.15	32.82	106.97
4646.85	VI	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए		4469.11	-	VI	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए	-	-	-

1611.90	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ		5927.89	1631.85	VII	लोक ऋण का पर्नभुगतान			1682.28
-		बाहरी ऋण		-	-		बाहरी ऋण			-
1143.64		अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण		5778.03	12335.00		अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओभर ड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			1253.60*
-		अर्थोपाय अग्रिमें के अन्तर्गत निवल लेन–देन		-	-		अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओभर ड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन			-
-		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन– देन		-	428.50		भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुर्नभुगतान			428.68
468.26		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम		149.86						
-	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		-	-	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन			-
-	IX	आकस्मिकता निधि को राशि का स्थानांतरण		-	-	IX	आकस्मिकता निधि से व्यय			-
12837.48	X	लोक लेखा प्राप्तियाँ		16941.02	10333.58	X	लोक लेखा संवितरण			17310.63
1083.81		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1153.36		815.41		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ			1008.95
391.70		आरक्षित निधि	1302.48		436.50		आरक्षित निधि			869.24
190.07		उच्चंत एवं विविध	184.45		228.29		उच्चंत एवं विविध			219.61
6687.34		प्रेषण	7090.79		6069.05		प्रेषण			7312.36
4484.56		जमा एवं अग्रिम	7209.94		2784.53		जमा एवं अग्रिम			7900.47
	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवरड्राफ्ट			2188.06	XI	अंतिम रोकड़ शेष			3557.09
					-		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			-
					-2400.21		रिजर्व बैंक के पास जमा			-740.06
					117.12		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम आदि सहित			178.16
					4471.15		रोकड़ शेष निवेश			4118.99
20529.97		कुल		**29537.40**	**20529.97**		कुल			**29537.40**

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भः कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 5)

राज्य क्रियान्वयन समितियों को निधि का सीधा हस्तान्तरण

(रूपये करोड़ों में)

कार्यक्रम / योजना	राज्य में क्रियान्वयन करने वाले समितिया	2007-08			2008-09		
		केन्द्रांश	राज्यांश, यदि लागू हो	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश, यदि लागू हो	कुल
सर्व शिक्षा अभियान	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद	1326.10	816.00	2142.10	1659.24	855.00	2514.24
एन. पी. ई.जी.ई.एल	वही	0	9.23	9.23	36.20	30.00	66.20
कस्तुरबा गॉधी बालिका विद्यालय	वही	51.38	6.62	58.00	166.14	53.25	219.39
योग (एस.एस.ए.+एन.पी.ई.जी.ई.एल.+के. जी.बी.वी.)		**1377.48**	**831.85**	**2209.33**	**1861.58**	**938.25**	**2799.83**
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण समिति स्वास्थ्य मीशन –ए	राज्य स्वास्थ्य समिति	247.45	175.37	422.82	351.17	-	351.17
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मीशन –बी					217.20	-	217.20
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मीशन –सी					76.73	0.19	76.92
कुल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मीशन –डी		13.34		13.34	12.44	-	12.44
कुल एन.आर.एच.एम.		**260.79**	**175.37**	**436.16**	**657.54**	**0.19**	**657.73**
एन. आर.ई.जी.पी.	डी.आर.डी.ए.	544.79	74.18	618.97	1369.03	144.28	1513.31
एस.जी.एस.वाई		105.21	44.75	149.96	240.75	35.11	275.86
इन्दिरा आवास योजना आई ए0 वाई (न्यू)		1054.12	369.43	1423.55	2187.24	494.79	2682.03
आई ए0 वाई (अपग्रेडेशन)							
आई ए0 वाई (5%)		0		0	0	0.31	0.31
आई ए0 वाई (कालाजार प्रभावित) 2006+2008		1.63	0.54	2.17	97.58	0.53	98.11
आई. डबलू. डी. पी.		1.18	0.57	1.75	7.32	0.79	8.11
डी.आर.डी.ए. (प्रशासन)		10.41	5.06	15.47	13.62	4.64	18.26
योग डी.आर.डी.ए.		**1717.34**	**494.53**	**2211.87**	**3915.54**	**680.45**	**4595.99**
राज्य बजट से बाहर भारत सरकार की कुल निधि		3355.61			6434.66		
बिहार सरकार की प्राप्तियाँ		29848.00			38920.00		
बिहार सरकार का व्यय		31571.00			37181		
कुल योजना अनुदान (राज्य योजना+केन्द्र प्रायोजित योजना+केन्द्र योजना)		4326.59			5411.68		
कुल केन्द्रिय अनुदान (योजना + गैर योजना)		5831.67			7962.12		
राज्य बजट से बाहर केन्द्रीय निधियों का प्रतिशत (प्राप्ति)		11.24			16.53		
राज्य बजट से बाहर केन्द्रीय निधियों का प्रतिशत (व्यय)		10.63			17.31		
बिहार सरकार के बजट के बाहर केन्द्रीय निधि कुल केन्द्रीय योजना अनुदान का प्रतिशत (राज्य योजना+केन्द्रीय योजना + केन्द्र प्रायोजित योजना)		77.56			118.90		
बिहार सरकार के बजट के बाहर केन्द्रीय निधि कुल केन्द्रीय अनुदान का प्रतिशत		57.54			80.82		

परिशिष्ट 1.6
(संदर्भः कंडिका 1.3.3; पृष्ठ 8)
राजस्व बकायों का विभागवार विवरण

(करोड़ रूपयो में)

कम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2009 को बकाया राशि	31 मार्च 2009 को पाँच वर्षो से अधिक पुराना बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	966.69	350.03	966.69 करोड़ रुपये में से 304.70 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। 334.51 करोड़ रुपये एवं 4.62 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। 1.15 करोड़ रुपये की वसूली आवेदन के भूल–सुधार/पुनर्विचार के कारण रोकी गई थी तथा 321.71 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
2.	वाहनों पर कर	118.50	अनुपलब्ध	118.50 करोड़ रुपये में से 113.06 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। शेष 5.44 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गई स्पष्ट कार्रवाई की माँग (मई एवं अक्तूबर 2009) किए जाने के बावजूद सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2009)।
3.	भू–राजस्व	145.70	अनुपलब्ध	संग्रहण के लिए लम्बित बकायों की स्थितियों की माँग (मई एवं अक्तूबर 2009) किए जाने के बावजूद सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2009)।
4.	राज्य उत्पाद[1]	30.41	1.63	30.41 करोड़ रुपये में से 24.89 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। 86.57 लाख रुपये एवं 11.20 लाख रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। 16.21 लाख रुपये एवं 0.56 लाख रुपये की वसूली आवेदन के क्रमशः भूल–सुधार/पुनर्विचार तथा दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी। 36.21 लाख रुपये की राशि अपलेखन योग्य थी तथा 4.01 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
5.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	2.83	2.81	संग्रहण के लिए लम्बित बकायों की स्थितियों की माँग (मई एवं अक्तूबर 2009) किए जाने के बावजूद सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2009)।
6.	प्रवेश कर	28.42	0.99	28.42 करोड़ रुपये में से 2.77 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। 96 लाख रुपये की वसूली पर न्यायालय/सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा 24.69 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
7.	मनोरंजन कर	9.31	2.50	9.31 करोड़ रुपये में से 7.65 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। 2.12 लाख रुपये की वसूली पर न्यायालय/सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा 1.64 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
8.	ईख पर कर	19.57	4.21	19.57 करोड़ रुपये में से 3.50 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। 12.64 लाख रुपये और 10.89 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय और सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। शेष 5.05 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी स्पष्ट कार्रवाई की माँग (मई एवं अक्तूबर 2009) किए

[1] बकाये की राशि में बाँका, कैमूर, लखीसराय एवं मुंगेर जिला उत्पाद कार्यालयों के प्रतिवेदन की अनुपलब्धता के कारण आँकड़े सम्मिलित नहीं है।

कम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2009 को बकाया राशि	31 मार्च 2009 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
				जाने के बावजूद सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2009)।
9.	जल दर	204.25	अनुपलब्ध	संग्रहण के लिए लम्बित बकायों की स्थितियों की माँग (मई एवं अक्तूबर 2009) किए जाने के बावजूद सूचित नहीं किए गए (नवम्बर 2009)।
10.	खान एवं खनिज	177.84	52.15	177.84 करोड़ रुपये में से 151.99 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे तथा 25.85 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
कुल		**1,703.52**	**414.32**	

परिशिष्ट 1.7
(संदर्भः कंडिका 1.7.1 पृष्ठ 18)
31 मार्च 2009 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार

(रूपये करोड़ में)

31 मार्च 2008 को	देयता		31.03.2009 को
26768.85	**आंतरिक ऋण**		**31293.27**
9613.12	ब्याज वाले बाजार ऋण	13370.12	
0.07	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.20	
24.44	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	22.18	
17131.22	अन्य संस्थाओं से ऋण	17900.77	
2400.21	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट		**740.06**
8276.61	**केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम**		**7997.79**
3.91	1984–85 से पूर्व ऋण	3.91	
88.46	गैर योजना ऋण	79.19	
8110.28	राज्य योजनाएँ ऋण	7842.94	
7.93	केन्द्रिय योजना हेतु ऋण	7.33	
23.07	केन्द्रिय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	21.46	
42.96	अर्थोपाय अग्रिम	42.96	
350.00	**आकस्मिकता निधि**		**350.00**
9429.18	**लघु बचत,अग्रिम निधि आदि**		**9573.58**
5583.00	**जमा**		**4887.30**
931.65	**आरक्षित निधि**		**1364.90**
	प्रेषण शेष		
53739.50			**56206.90**

लगातार....

	परिसम्पत्तियाँ		
30483.48	**सकल वित्तीय परिव्यय**		**36919.83**
828.68	कंपनियां निगमों आदि के शेयरों में निवेश	832.28	
29654.80	अन्य पूँजीगत परिव्यय	36087.55	
14128.10	**ऋण एवं अग्रिम**		**14667.83**
11853.09	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	12289.98	
2206.22	अन्य विकास ऋण	2310.95	
68.79	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	66.90	
1057.59	आरक्षित निधि निवेश		**1279.15**
191.85	**अग्रिम**		**186.67**
986.78	**उचंत और विविध शेष**		**1021.94**
4588.27	**रोकड़**		**4297.16**
0.00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
0.00	रिजर्व बैंक में जमा	0.00	
116.77	विभागीय रोकड़ शेष साथ में	177.76	
0.35	स्थायी अग्रिम	0.40	
4471.15	**रोकड़ शेष निवेश**	4119.00	
2303.43	सरकारी खाते में घाटा		**2165.68**
(-)4646.85	घटावें : चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य	(-)4469.11	
0.00	(ii)विविध घाटा	0.00	
6950.28	वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	2303.43	
53739.50			**56206.90**

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 28)

वैसे अनुदान/विनियोजन की विवरणी जहाँ प्रावधान के 10 करोड़ रूपये से ज्यादा या 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत हुई

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	कृषि विभाग	786.19	223.86	28.47
2	2	पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	356.67	64.55	10.10
3	3	भवन निर्माण विभाग	365.50	147.93	40.47
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	83.18	26.88	32.32
5	6	निर्वाचन विभाग	103.32	33.55	32.47
6	7	निगरानी विभाग	17.77	4.90	27.57
7	8	कला ,संस्कृति एवं युवा विभाग	84.12	15.58	18.52
8	9	सहकारिता विभाग	367.93	37.89	10.30
9	10	उर्जा विभाग	2103.83	523.55	24.89
10	11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	73.00	10.84	14.85
11	12	वित्त विभाग	295.80	49.67	16.79
12	13	ब्याज भुगतान	3796.04	43.09	1.14
13	16	पंचायती राज विभाग	1401.75	406.19	28.98
14	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	215.23	22.43	10.42
15	19	पर्यावरण एवं वन विभाग	101.03	21.60	21.38
16	20	स्वास्थ्य विभाग	1758.27	469.38	26.70
17	21	मानव संसाधन विकास विभाग	7867.81	1222.75	15.54
18	22	गृह विभाग	2455.93	463.90	18.89
19	23	उद्योग विभाग	644.28	166.29	25.81
20	25	सूचना प्रावैद्यिकी विभाग	105.81	76.46	72.26
21	26	श्रम संसाधन विभाग	149.78	58.41	39.00
22	27	विधि विभाग	263.23	70.45	26.76
23	29	खनन एवं भूगर्भ विभाग	32.74	13.20	40.32
24	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	71.33	16.47	23.09
25	32	विधान मंडल	65.65	10.36	15.78

क्रम सं0	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम	कुल अनुदान / विनियोजन	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	33	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	69.37	25.37	36.57
27	35	योजना एवं विकास विभाग	448.52	197.66	44.07
28	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	945.28	522.07	55.23
29	37	ग्रामीण कार्य विभाग	1957.12	498.49	25.47
30	39	आपदा प्रबंधन विभाग	2977.95	1551.84	52.11
31	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	686.20	372.85	54.34
32	41	पथ निर्माण विभाग	3386.92	620.12	18.31
33	42	ग्रामीण विकास विभाग	1304.99	194.60	14.91
34	43	विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	207.37	59.03	28.47
35	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	265.74	63.29	23.81
36	45	गन्ना उद्योग विभाग	118.19	59.34	50.21
37	47	परिवहन विभाग	192.01	174.15	90.70
38	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	1792.27	623.49	34.79
39	49	जल संसाधन विभाग	2970.99	1409.70	47.45
40	50	लघु जल संसाधन विभाग	424.74	131.37	30.93
41	51	समाज कल्याण विभाग	2055.01	648.89	31.58
		योग	**43368.86**	**11352.44**	

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ कंडिका 2.3.1 ; पृष्ठ 28)

100 करोड़ रूपये से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों की सूची

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
	राजस्व दत्तमत					
1	1.कृषि विभाग	409.26	374.01	783.27	559.41	223.86
2	16.पंचायती राज विभाग	1062.53	251.68	1314.21	995.56	318.65
3	20.स्वास्थ्य विभाग	1501.27	86.01	1587.28	1191.67	395.61
4	21.मानव संसाधन विकास विभाग	7122.26	702.03	7824.29	6621.07	1203.22
5	22.गृह विभाग	2003.32	104.84	2108.16	1789.48	318.68
6	23.उद्योग विभाग	315.93	34.18	350.11	195.97	154.14
7	35.योजना एवं विकास विभाग	430.35	3.35	433.70	236.04	197.66
8	39.आपदा प्रबंधन विभाग	796.80	2154.79	2951.59	1399.75	1551.84
9	41.पथ निर्माण विभाग	403.22	19.05	422.27	307.52	114.75
10	42.ग्रामीण विकास विभाग	990.82	134.37	1125.19	1015.65	109.54
11	48.नगर विकास एवं आवास विभाग	1051.84	740.43	1792.27	1168.78	623.49
12	51.समाज कल्याण विभाग	1613.87	218.43	1832.30	1383.42	448.88
	कुल	**17701.47**	**4823.17**	**22524.64**	**16864.32**	**5660.32**
	पूँजीगत दत्तमत					
13	10.उर्जा विभाग	1141.99	220.24	1362.23	841.47	520.76
14	22.गृह विभाग	133.72	214.05	347.77	202.55	145.22
15	36.लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	628.11	50.00	678.11	182.22	495.89
16	37.ग्रामीण कार्य विभाग	1168.33	440.00	1608.33	1179.65	428.68
17	40.राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	3.73	298.85	302.58	2.88	299.70
18	41.पथ निर्माण विभाग	1912.46	1052.19	2964.65	2459.29	505.36
19	47.परिवहन विभाग	0.00	180.59	180.59	10.09	170.50
20	49.जल संसाधन विभाग	2128.90	329.93	2458.83	1099.31	1359.52
21	51.समाज कल्याण विभाग	22.71	200.00	222.71	22.71	200.00
	कुल	**7139.95**	**2985.85**	**10125.80**	**6000.17**	**4125.63**
	महायोग					**9785.95**

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भः कंडिका 2.3.2 ; पृष्ठ 28)

वैसे अनुदानों की सूची जहाँ वर्ष 2004–09 में सतत् बचत हुए

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2004-05	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**
	राजस्व दत्तमत					
1	2-पशुपालन एवं मतस्य संसाधन विभाग	24.39 (26)	24.75 (25.29)	20.10 (12.27)	26.18 (14.94)	64.55 (18.10)
2	6-निर्वाचन विभाग	32.68 (18)	37.30 (26.98)	19.79 (53.90)	22.29 (58.02)	33.55 (32.47)
3	12-वित्त विभाग	**415.81** **(81)**	39.65 (42.99)	21.04 (22.40)	94.54 (54.74)	35.16 (12.83)
4	20-स्वास्थ्य विभाग	207.41 (26)	457.13 (34.35)	355.35 (28.24)	292.10 (22.03)	395.61 (24.92)
5	27-विधि विभाग	41.15 (25)	74.10 (34.89)	29.54 (16.49)	35.32 (16.68)	70.45 (26.76)
6	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	42.14 (17)	54.71 (20.04)	36.53 (12.57)	38.58 (11.26)	73.16 (19.07)
7	41-पथ निर्माण विभाग	**26.64** **(11)**	31.94 (10.94)	37.82 (10.96)	123.15 (29.98)	114.75 (27.17)
8	50-लघु जल संसाधन विभाग	29.95 (10.74)	128.97 (31.08)	289.99 (68.09)	33.72 (17.33)	70.75 (21.92)
9	51-समाज कल्याण विभाग	163.72 ((34)	212.86 (29.40)	284.66 (33.30)	348.13 (46.09)	448.88 (24.50)
	कुल राजस्व दत्तमत	**1004.26**	**1088.05**	**1144.22**	**1179.96**	**1516.31**
	पूँजीगत दत्तमत					
10	3-भवन निर्माण विभाग	37.17 (41)	97.33 (71.76)	75.94 (59.98)	39.03 (57.17)	53.82 (58.81)
11	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	97.98 (59)	209.96 (63.44)	318.63 (56.21)	389.41 (53.87)	495.89 (73.13)
12	49-जल संसाधन विभाग	241.73 (39)	313.30 (35.32)	463.82 (44.29)	593.42 (42.19)	1359.51 (55.29)
13	50-लघु जल संसाधन विभाग	20.34 (25.50)	42.49 (59.87)	60.72 (55.68)	79.06 (51.45)	60.63 (59.44)
	कुल पूँजीगत दत्तमत	**397.22**	**663.08**	**919.11**	**1100.92**	**1969.85**

(स्रोत– राज्य का विनियोजन लेखा)

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ कंडिका 2.3.3 ; पृष्ठ 29)

विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना है

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	अनुदान /विनियोजन की संख्या	अनुदान /विनियोजन की संख्या	अधिकाई वयय	लोक लेखा समिति में विचारार्थ की स्थिति
1977-78	2	5, 24	0.40	अविनियमित
1978-79	2	17, 27	16.17	वही
1979-80	1	17	33.46	वही
1980-81	2	12, 17	26.03	वही
1981-82	7	3, 11, 12, 13, 15, 17, 24	39.24	वही
1982-83	2	12, 22	4.79	वही
1983-84	2	11, 12	9.98	वही
1984-85	2	3,14	2.62	वही
1985-86	2	10, 13	14.83	वही
1986-87	1	13	65.62	वही
1987-88	6	9, 19, 25, 38, 48	244.76	वही
1988-89	3	9, 25, 38	85.15	वही
1989-90	3	25, 27, 38	99.4	वही
1990-91	4	37, 38, 42, 43	92.07	वही
1991-92	2	6, 38, 43	85.11	वही
1992-93	2	25, 38	93.25	वही
1993-94	2	25, 37	157.68	वही
1994-95	1	37	170.61	वही
1995-96	3	25, 36, 37	213.22	वही
1996-97	3	20, 23, 37	22.44	वही
1997-98	1	7	0.01	वही
1998-99	1	30	0.33	वही
1999-00	5	10, 13, 14, 40, 50	196.23	वही
2000-01	5	5, 13, 15, 25, 32	712.34	वही
2001-02	1	15	491.24	वही
2002-03	2	15, 47	10.15	वही
2003-04	7	10,11,14,15,30,32, 50	3782.34	वही
2004-05	4	19,20,21,46	5.68	वही
2005-06	4	10,39,40,46	349.56	वही
2007-08	2	17, 42	1.93	वही
कुल			**7026.64**	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भः कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 29)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में रूपये 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	पूरक प्रावधान
क राजस्व दत्तमत					
1	3- भवन निर्माण विभाग	215.97	179.87	36.10	58.02
2	4-मंत्रि मंडल सचिवालय विभाग	52.49	52.26	0.23	17.99
3	8-कला संस्कृति एवं युवा विभाग	33.08	29.59	3.49	5.54
4	10-उर्जा विभाग	739.93	738.81	1.12	1.67
5	11-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	49.34	47.81	1.53	9.31
6	16-पंचायती राज विभाग	1062.53	995.56	66.97	251.68
7	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	82.00	78.43	3.57	18.04
8	20-स्वास्थ्य विभाग	1501.27	1191.67	309.60	86.01
9	21-मानव संसाधन विकास विभाग	7122.26	6621.07	501.19	702.03
10	22-गृह विभाग	2003.32	1789.48	213.84	104.85
11	23-उद्योग विभाग	315.93	195.97	119.96	34.18
12	25-सूचना प्रावैद्यिकी विभाग	63.01	4.63	58.38	0.15
13	26-श्रम एवं संसाधन विभाग	120.89	85.47	35.42	15.89
14	27-विधि विभाग	241.71	192.78	48.93	21.51
15	32- विधान मंडल	62.86	55.28	7.58	2.48
16	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	36.38	27.91	8.47	16.60
17	35-योजना एवं विकास विभाग	430.35	236.04	194.31	3.35
18	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	373.75	310.46	63.29	9.87
19	41-पथ निर्माण विभाग	403.22	307.52	95.70	19.05
20	43-विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	53.13	34.75	18.38	10.58
21	44-अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	217.76	186.19	31.57	17.45
22	45-गन्ना उद्योग विभाग	43.09	29.50	13.59	16.64
23	47-परिवहन विभाग	10.25	7.77	2.48	1.18
24	51-समाज कल्याण विभाग	1613.87	1383.42	230.45	218.43
कुल राजस्व (दत्तमत)		**16848.39**	**14782.24**	**2066.15**	**1642.50**

क्रम सं0	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	पूरक प्रावधान
ख– पूँजीगत दत्तमत					
1	3- भवन निर्माण विभाग	54.20	37.69	16.51	37.32
2	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	8.00	4.04	3.96	4.70
3	10-उर्जा विभाग	1141.99	841.47	300.52	220.24
4	12-वित्त विभाग	15.10	7.19	7.91	6.60
5	20-स्वास्थ्य विभाग	130.34	97.21	33.13	40.65
6	21-मानव संसाधन विकास विभाग	42.34	23.98	18.36	1.18
7	26-श्रम संसाधन विभाग	11.01	5.91	5.1	2.00
8	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	628.11	182.23	445.88	50.00
9	44- अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग	20.54	16.27	4.27	10.00
10	49-जल संसाधन विभाग	2128.90	1099.31	1029.59	329.93
कुल –पूँजीगत दत्तमत		**4180.53**	**2315.30**	**1865.23**	**702.62**
महायोग		**21028.92**	**17097.54**	**3931.38**	**2345.12**

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भः कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 29)

निधि का अधिक पुनर्विनियोजन

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	व्यौरा	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+) बंचत (–)
1	1	0105- कृषि प्रोत्साहन प्रणाली	2401-00-113-0105	741.69	-256.34
2	16	0002- जिला बोर्ड/पंचायत समिति /ग्राम पंचायत का निर्वाचन	2015-00-109-0002	60.30	-698.29
3	20	0001-अधीक्षण	2210-01-001-0001	1.00	-422.50
4	20	0006-मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया	2210-01-110-0006	94.40	-245.70
5	20	0010इन्दिरा गॉधी कार्डियक संस्थान, पटना	2210-01-110-0010	50.53	-536.78
6	20	0001-अन्य औषधालय (टी0वी0 उन्मूलन कार्यक्रम)	2210-01-200-0001	191.87	-103.56
7	20	0002-अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2210-03-101-0002	200.00	-2328.73
8	20	0003-स्वास्थ्य उपकेन्द्र	2210-03-101-0003	410.00	-688.88
9	20	0007-मगध चिकित्सा महाविद्यालय	2210-05-105-0007	84.23	-235.94
10	20	0012-नर्स ट्रेनिंग	2210-05-105-0012	44.04	-80.61
11	20	0001-औषधि नियंत्रण स्थापना	2210-06-104-0001	32.00	-105.70
12	20	0007-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2251-00-090-0007	4.03	-0.34
13	40	0001-सामान्य विभाग	2052-00-099-0001	45.00	-151.20
14	49	0002-अन्य रख रखाव व्यय	2700-02-101-0002	410.00	-30.68
15	49	0001-स्थापना	2700-02-101-0002	40.62	-82.49
16	49	0101- स्थापना	4700-01-001-0101	102.00	-35.32
17	49	0101- स्थापना	4700-03-001-0101	900.00	-5764.41
18	49	0101- स्थापना	4701-04-001-0101	50.00	-269.12
19	49	0111-बाढ़ नियंत्रण तटबंध सड़क योजना (नाबार्ड सम्पोषित योजना) (कार्य)	4711-01-001-0111	400.00	-409.17
		कुल			**-12445.76**

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 30)

पुनर्विनियोजन द्वारा निधि की अपर्याप्त निकासी

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	व्यौरा	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+) बंचत (–)
1	1	0011-कृषि प्रसार योजना	2401-00-109-0011	-250.90	-48.29
2	3	0003-पर्यवेक्षण	2059-80-001-0003	-28.63	-22.74
3	4	0147-सचिवालय पुस्तकालय का आधुनीकिकरण और किताबों की खरीद	2052-00-090-0147	-10.00	-25.74
4	20	0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी	2210-01-001-0002	-69.01	-13.68
5	20	0013-सदर अस्पताल	2210-01-110-0013	-200.00	-161.59
6	20	0014-अनुमंडलीय अस्पताल	2210-01-110-0014	-132.00	-1543.57
7	20	0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2210-03-103-0001	-410.00	-2160.64
8	20	0001-रेफरल अस्पताल	2210-03-110-0001	-200.00	-278.95
9	20	0003-दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय	2210-05-105-0003	-44.04	-23.79
10	20	0001-अधीक्षण	2210-06-001-0001	-15.50	-24.83
11	32	0006-सदस्य	2011-02-102-0006	-77.00	-60.10
12	35	0011-मशीनीकरण योजना का विस्तार	2052-00-090-0011	-2.50	-1.44
13	35	0102- मशीनीकरण योजना का विस्तार	2053-00-800-0102	-1952.00	-299.95
14	35	0105-मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	2053-00-800-0105	-4312.00	-74.08
15	40	0001-अनुमंडलीय स्थापना	2053-00-094-0001	-20.00	-2559.63
16	48	0103-म्यूनिसिपल काउन्सिल के प्रशासनिक एवं तकनिकी भवन का निर्माण एवं जीर्णोद्वार के लिए अनुदान	2217-80-193-0103	-175.00	-3.75
17	48	0125- ई0 गवर्नेंश /नगरीय सुधार	2217-80-800-0125	-225.00	-3.00
18	49	0001-स्थापना	2701-04-001-0001	-30.00	-79.97
19	49	0002-अन्य रख–रखाव व्यय	2701-04-101-0002	-387.00	-10.51
20	49	0003-क्षेत्रीय स्थापना	2711-01-001-0003	-1.00	-617.45
21	49	0101-सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	4700-03-800-0101	-1701.75	-3586.87
22	49	0101-सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (स्थापना)	4700-80-005-0101	-59.79	-30.69
23	49	0103- सोन बेसिन (कार्य) के लिए सिंचाई परियोजना कार्य (ए.आई.बी.पी.)	4701-03-800-0103	-802.50	-508.23
24	49	0105-बाढ़ नियंत्रण तटबंध पथ योजना (कार्य)	4711-01-001-0105	-50.00	-39.48
		कुल		**-11155.62**	**-12178.97**

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 30)

वर्ष के दौरान पर्याप्त अभ्यर्पण (रूपये 50 लाख या उससे अधिक)

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	अनुदान का शीर्षक और संख्या	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभयर्पण की प्रतिशतता
1	1- कृषि विभाग	खाद प्रबंधन (माईक्रोमोड 90:10) 2401-00-103-0615	450.00	404.53	89.90
2		राज्य में डी.ए.पी. का परिवहन एवं हस्तलन 2401-00-105-0104	400.00	400.00	100.00
3		समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम 2401-00-107-0602	270.00	185.82	68.83
4		जूट तकनीकी अभियान 2401-00-108-0617	450.00	354.63	78.81
5		दाल,तेलहन,बीज इत्यादि के लिए समेकित योजना (आईसोपोन 25:75) 2401-00-108-0114,	1200.00	1144.19	95.35
6		कृषि प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं प्रोत्साहन 2401-00-109-0412	142.05	109.79	77.29
7		गहन कृषि विकास एवं प्रशिक्षण प्रोत्साहन 2401-00-109-0106	700.00	692.49	98.93
8		आर.ए.यू. के द्वारा मशरूम उत्पादन कार्य 2401-00-119-0122	1766.78	1325.09	75.00
9		राज्य बागबानी अभियान 2401-00-119-0123	1000.00	600.00	60.00
10		पुनपुन और कोशी (एफ.आर. आर) (मायक्रोमोड 90:10) 2402-00-102-0601	90.00	55.69	61.88
11	2 – पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	अभी (ए.भी आई)और आजा (ए.ए. जेड. ए)का पोषण और विकास 2403-00-104-0102	97.75	97.75	100.00
12		पशु में होनेवाली बीमारी / रोग के निवारण एवं नियंत्रण के लिए योजना 2403-00-106-0104	412.00	291.82	70.83
13		मत्सय निदेशालय का पुनर्गठन 2405-00-001-0101	919.50	583.18	63.42
14		मतस्यपालन प्रसार 2405-00-001-0102	179.94	137.99	76.69
15		मत्स्य बीज का विकास 2405-00-101-0103	200.00	197.30	98.65
16		मत्स्य तालाब का विकास एवं जीर्णोद्धार 2405-00-101-0104	407.00	245.40	60.29
17		पशु जनगणना 3454-01-001-0602	1630.58	898.83	55.12
18	25- सूचना प्राद्यौगिकी विभाग	राष्ट्रीय . ई. शासन योजना एवं सामान्य सेवा केन्द्र 2852-07-202-0101	1500.00	1500.00	100.00
19		ई0 गवर्नेंश परियोजना का डी0 पी0 आर0 2852-07-202-0103	215.00	215.00	100.00
20		ई. क्रय योजना 2852-07-202-0104	100.00	100.00	100.00
21		राज्य पोर्टल येाजना 2852-07-202-0105	200.00	200.00	100.00
22		ज्ञान सिटी परियोजना 2852-07-202-0106	2720.00	2720.00	100.00
23		सूचना प्राद्यौगिकी की प्रसारण योजना 2852-07-202-0107	320.00	320.00	100.00

क्रम सं0	अनुदान का शीर्षक और संख्या	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभयर्पण की प्रतिशतता
24		सूचना प्राद्यौगिकी विभाग 3451-00-090-0027	581.01	517.55	89.08
25		सूचना प्राद्यौगिकी भवन 4859-02-800-0102	300.00	300.00	100.00
26	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पंचायत में नलकूप के मरम्मत के लिए सहायक अनुदान 2215-01-198-0001	500.00	500.00	100.00
27		केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 4215-01-102-0602	39710.00	29871.84	75.22
28		त्वरित नगर जलापूर्ति कार्यक्रम 4215-01-102-0603	400.00	284.55	71.14
29		ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना कार्य 4215-01-102-0101	6078.34	4440.76	73.06
30		ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना (चापाकल, कुँआ इत्यादि) 4215-01-102-0103	4657.85	3408.57	73.18
31		केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का राज्यांश भूगर्भिय जल रिचार्ज एवं रेनवाटर हारवेस्टिंग 4215-01-102-0112	150.00	141.06	94.04
32		ग्रामीण क्षेत्र में पेय जलापूर्ति के लिए सरंचना का विकास हेतु नावार्ड से ऋण 4215-01-102-0116	4500.00	3012.42	66.94
33		ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना ,एम. एन.पी 4215-01-102-0117	400.00	281.85	70.46
34		प्राथमिक / मध्य स्कूल में ग्रामीण जलापूर्ति याजना 4215-01-102-0118	1500.00	956.12	63.74
35		त्वरित ग्रामीण कूँआ जलापूर्ति योजना 4215-01-102-0120	400.00	371.89	92.97
36		क्रैश ग्रामीण जलापूर्ति योजना 4215-01-102-0121	50.00	50.00	100.00
37		सरकारी भवनों में जलापूर्ति 4215-01-800-0001	765.00	478.95	62.61
38		ग्रामीण स्वच्छता 4215-02-106-0101	7500.00	4983.00	66.44
39		शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का सुदृढ़िकरण 4215-02-106-0104	300.00	187.75	62.58
40		श्मशान घाट का आधुनिकीकरण एवं विकास 4215-02-800-0102	500.00	500.00	100.00
41		जल स्वच्छता अभियान का अनुश्रवण एवं अन्य कार्य 4215-02-800-0103	100.00	100.00	100.00
42	39 – आपदा प्रबंधन विभाग	आपदा में घायल / मृत व्यक्तियों / परिवारों के लिए अनुदान 2235-60-200-0008	100.00	65.00	65.00
43		ट्रक एवं टैंकर के द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति 2245-01-102-0001	100.00	100.00	100.00
44		जलापूर्ति के लिए कुँआ इत्यादि की मरम्मत 2245-01-800-0001	200.00	200.00	100.00
45		कृषि विभाग हेतू कृषि इन्पुट अनुदान 2245-01-800-0003	500.00	500.00	100.00
46		स्वरोजगार 2245-01-800-0004	145.00	145.00	100.00
47		संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान 2245-02-101-0003	2850.00	1497.79	52.55
48		आग से क्षति हुई कपड़ों के लिए अनुदान 2245-02-101-0007	150.00	92.26	61.51

क्रम सं0	अनुदान का शीर्षक और संख्या	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	अभयर्पण की प्रतिशतता
49		पेयजलापूर्ति 2245-02-102-0001	2300.00	1505.49	65.46
50		चारे की आपूर्ति 2245-02-104-0001	2110.00	1534.98	72.75
51		पशु के लिए दवा 2245-02-105-0001	1300.00	1177.15	90.55
52		सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना 2245-02-107-0001	150.00	150.00	100.00
53		सरकारी आवासीय भवनों का मरम्मत एव पुनःस्थापना 2245-02-108-0001	510.00	510.00	100.00
54		आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतू बचाव निष्क्रमण यंत्रों का क्रय 2245-02-112-0003	100.00	100.00	100.00
55		आग के कारण क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती एवं पुनः स्थापन 2245-02-113-0002	200.00	200.00	100.00
56		अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति एवं पुनः स्थापन 2245-02-113-0003	50.00	50.00	100.00
57		फसल के लिए अनुदान 2245-02-114-0002	200.00	200.00	100.00
58		वार्षिक फसल के लिए अनुदान 2245-02-114-0003	600.00	600.00	100.00
59		बागवानी फसल के लिए अनुदान 2245-02-114-0004	50.00	50.00	100.00
60		पेरेनियल फसलों के लिए अनुदान 2245-02-114-0005	50.00	50.00	100.00
61		मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद,बालू आदि का निस्कासन 2245-02-115-0002	100.00	100.00	100.00
62		खराब नलकूप के मरम्मति हेतु किसानों को अनुदान 2245-02-116-0001	50.00	50.00	100.00
63		दुधारू पशुओं का बदलाव 2245-02-117-0002	65.00	65.00	100.00
64		मानव जीवन के लिए दवा की आपूर्ति 2245-02-282-0001	2100.00	1430.21	68.11
65		चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पेट्रोल की आपूर्ति 2245-02-282-0003	520.00	429.44	82.58
66		भूखमरी से प्रभावित परिवार के लिए खाद्यान्न का संग्रह 2245-02-800-0003	50.00	50.00	100.00
67		ग्रामिण विकास विभाग को स्वरोजगार योजना हेतु राशि की आपूर्ति 2245-02-800-0005	200.00	200.00	100.00
68		कल्याण विभाग हेतू अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति 2245-02-800-0006	1025.00	963.46	94.00
69		बिहार राज्य का आपदा प्रबन्धन 2245-80-001-0002	80.66	59.18	73.37
	कुल		**99618.46**	**75240.77**	

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भः कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 30)

वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
	राजस्व दत्तमत				
1	6-निर्वाचन विभाग	103.32	33.55	34.89	1.34
2	9-सहकारिता विभाग	308.67	23.34	23.35	0.01
3	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य–निषेध विभाग	64.57	2.60	10.69	8.09
	पूँजीगत –दत्तमत				
4	10-उर्जा विभाग	1362.23	520.76	521.34	0.58
5	26-श्रम संसाधन विभाग	13.01	7.10	7.31	0.21
6	41-पथ निर्माण विभाग	2964.66	505.36	635.90	130.54
	पूँजीगत –भारित				
7	14-ऋण का पुनर्भुगतान	1683.41	1.14	29.25	28.11
	कुल	**6499.87**	**1093.85**	**1262.73**	**168.88**

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 30)

अभ्यर्पित नहीं की गई 10 करोड़ रूपये और उससे अधिक बचत की राशि की विवरणी

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया	प्रतिशत
1	1 - कृषि विभाग	223.86	167.69	56.17	25.54
2	4 – मंत्रिमंडल संचिवालय	26.88	3.28	23.60	87.80
3	8 - कला संस्कृति एवं युवा विभाग	15.58	1.91	13.67	86.25
4	12 - वित्त विभाग	49.67	29.49	20.18	40.63
5	13 - ब्याज भुगतान	43.09	21.94	21.15	49.08
6	16 - पंचायती राज विभाग	406.19	374.20	31.99	7.87
7	20 - स्वास्थ्य विभाग	469.38	236.46	232.92	57.34
8	21 - मानव संसाधन विकास विभाग	1222.75	1049.08	173.67	14.20
9	22 - गृह विभाग	463.90	415.98	47.92	10.32
10	23 – उद्योग विभाग	166.29	0.08	166.21	99.95
11	26 – श्रम संसाधन विभाग	58.41	38.22	20.19	34.56
12	27 - विधि विभाग	70.45	55.66	14.79	21.00
13	29 - खनन एवं भूगर्भ विभाग	13.20	2.15	11.05	83.71
14	30 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	16.47	1.20	15.27	92.71
15	37 - ग्रामीण कार्य विभाग	498.49	207.83	290.66	42.05
16	39 - आपदा प्रबंधन विभाग	1551.84	337.52	1214.32	78.25
17	40 - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	372.85	355.43	17.42	4.67
18	42 - ग्रामीण विकास विभाग	194.60	115.13	79.47	50.00
19	43 - विज्ञान एवं प्रौवैद्यिकी विभाग	59.03	38.42	20.61	34.91
20	48 - नगर विकास एवं आवास विभाग	623.49	609.97	13.52	2.16
21	49 - जल संसाधन विभाग	1409.70	1340.39	69.31	4.91
22	50 - लघु जल संसाधन विभाग	131.37	108.30	23.07	17.56
23	51 -समाज कल्याण विभाग	648.89	597.61	51.28	7.90
	कुल	**8736.38**	**6107.94**	**2628.44**	**30.08**

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 31)

एक करोड़ रूपये से ज्यादा एवं रूपये 10 करोड़ के अन्दर की बचत की राशि जो अभ्यर्पित नहीं की गई की विवरणी

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया	प्रतिशत
1	2 - पशुपालन एवं मतस्य संसाधन विभाग	64.55	59.15	5.4	8.36
2	3 - भवन निर्माण विभाग	147.93	138.64	9.29	6.27
3	7 - सतर्कता विभाग	4.90	2.50	2.4	48.97
4	11 -पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	10.84	8.10	2.74	25.27
5	18 - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	22.43	21.19	1.24	5.52
6	19 - पर्यावरण एवं वन विभाग	21.60	20.59	1.01	4.67
7	32 - विधान मंडल	10.36	6.46	3.9	37.64
8	35 - योजना एवं विकास विभाग	197.66	193.10	4.56	2.30
9	36 - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	522.07	519.68	2.39	0.45
10	44 - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	63.29	55.37	7.92	12.51
	कुल	**1065.63**	**1024.78**	**40.85**	**3.83**

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 31)

30 एवं 31 मार्च 2009 को अभ्यर्पित की गई निधियों के मामले (रूपये 10 करोड़ से ज्यादा)

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पित रकम	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	2401 – फसल कृषि –कर्म	91.47	14.19
2	2	2404 -दुग्ध विकास	11.95	11.55
3	3	2059- लोक निर्माण कार्य	71.68	27.02
4		4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	37.83	48.08
5	6	2015- निर्वाचन	34.89	33.76
6	9	6425- सहकारिता के लिए ऋण	14.00	28.70
7	10	6801- उर्जा परियोजना के लिए ऋण	65.57	13.02
8		4801- उर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	54.86	53.20
9	13	2049-- ब्याज भुगतान	27.06	1.40
10	14	6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	25.30	2.01
11	16	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	68.41	5.23
12		4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	87.54	100.00
13	18	2408- खाद्य भंडारण तथा भण्डागार	12.50	15.62
14	20	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	35.34	2.58
15		2211- परिवार कल्याण	18.88	8.58
16	21	2202- सामान्य शिक्षा	1044.85	13.35
17	22	2055- पुलिस	193.28	10.73
18		2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	15.53	12.97
19		4055- पूलिस पर पूँजीगत परिव्यय	93.64	62.23
20		2235 -सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	10.66	27.04
21		4070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय	16.46	14.03
22		2056- जेल	15.61	12.64
23	25	2852- उद्योग	50.55	100.00
24		4859 – दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	17.94	42.06
25	27	2014- न्यायायिक प्रशासन	43.24	16.59
26	33	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	12.75	45.69
27	35	2053- जिला प्रशासन	214.76	57.53
28		2052 -सचिवालय सामान्य सेवाएँ	29.88	88.95
29	36	4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	479.98	70.78
30	37	3054- पथ एवं सेतू	54.91	22.70
31		4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	138.25	8.59
32	39	2245- प्राकृतिक आपदा के लिए राहत	493.28	33.89
33	40	2053. जिला प्रशासन	11.70	9.46
34		4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	299.35	98.93
35		2029- भू– राजस्व	20.95	8.59
36	41	5054- पथ एवं सेतू पर पूँजीगत परिव्यय	486.94	16.42
37	42	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	40.57	43.96
38	43	4202- शिक्षा,खेल–कूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	22.91	15.94
39	44	4225 अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	10.87	36.79

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पित रकम	कुल प्रावधान का प्रतिशत
40	45	6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	29.12	49.58
41		2852 उद्योग	13.32	53.60
42		2401 -फसल कृषि–कर्म	10.48	30.35
43	47	7055- पथ परिवहन के लिए ऋण	169.50	94.42
44	48	2215 -जलापूर्ति एवं स्वच्छता	40.57	26.50
45		2217- शहरी विकास	567.66	34.69
46	49	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	95.82	60.29
47		4700 -वृहत, सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	288.78	24.20
48		4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	354.95	32.07
49	50	2702- लघु सिंचाई	90.69	28.26
50	51	2235 .सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	173.67	13.95
		कुल	**6310.70**	

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ कंडिका 2.5; पृष्ठ 32)

वर्ष 2008–09 के दौरान प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रूपये से ज्यादा की असमाशोधित राशि की विवरणी

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	असमाशोधित राशि
1	2011- संसद/राज्य/केन्द्रशासित राज्य के विधानमंडल	29.06
2	2014-न्याय प्रशासन	136.90
3	2015-निर्वाचन	72.29
4	2029-भू–राजस्व	194.60
5	2030-मुद्रांक एवं निबंधन	18.43
6	2039-राज्य उत्पाद	23.62
7	2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर	14.28
8	2048 –कर्ज में कमी या ऋण से बचने के लिए विनियोग	140.00
9	2049-ब्याज भुगतान	3750.12
10	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ	51.38
11	2053 -जिला प्रशासन	308.34
12	2054- कोषागार एवं लेखा प्रशासन	29.03
13	2055-पुलिस	843.67
14	2056-जेल	57.95
15	2059-लोक निर्माण	175.13
16	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	65.35
17	2071 –पेन्सन एवं अन्य सेवानिवृत लाभ	3479.03
18	2202-सामान्य शिक्षा	6606.57
19	2203-तकनीकी शिक्षा	34.19
20	2204-खेल एवं युवा सेवाएँ	16.54
21	2205-कला एवं संस्कृति	10.98
22	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1018.86
23	2211 -परिवार कल्याण	164.59
24	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	370.51
25	2217-शहरी विकास	1034.70
26	2225-अनुसूचित जाति /जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	221.77
27	2230 - श्रम एवं नियोजन	36.37
28	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	903.18
29	2236 –पोषाहार	500.67
30	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1146.29
31	2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ	14.07
32	2251 – सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	14.74
33	2401- फसल कृषि कर्म	589.05
34	2403- पशुपालन	180.39
35	2404 -दूग्ध विकास	89.81
36	2406 -वन एवं वन्य जीव	76.99

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	असमाशोधित राशि
37	2408 –खाद्य भंडारण तथा भण्डागार	59.02
38	2415 -कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	92.08
39	2425- सहकारिता	33.39
40	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	62.41
41	2505- ग्रामीण नियोजन	772.75
42	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1208.94
43	2700 -वृहत सिंचाई	25.82
44	2701 -मध्यम सिंचाई	106.12
45	2702-लघु सिंचाई	228.58
46	2705 -कमांड क्षेत्र विकास	31.95
47	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	56.39
48	2801 - उर्जा	720.00
49	2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	20.02
50	2852- उद्योग	167.24
51	3054- पथ एवं सेतू	480.57
52	3451-सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ	23.72
53	3454-जनगणना,सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	20.53
54	3456- असैनिक आपूर्ति	127.05
55	4055- पूलिस पर पूँजीगत परिव्यय	54.34
56	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	37.94
57	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	84.98
58	4202-शिक्षा,खेल–कूद ,कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	176.51
59	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	97.21
60	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	182.23
61	4225 –अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछ़ड़ा वर्ग पर पूँजीगत परिव्यय	27.42
62	4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	100.76
63	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	32.27
64	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	1243.45
65	4700- वृहत,सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	353.34
66	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	47.50
67	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	41.37
68	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	523.03
69	4801- .उर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	400.00
70	4859- दूर संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	24.72
71	4885-उद्योग एवं खनिज पर पूँजीगत परिव्यय	252.00
72	5054-सड़क एवं सेतूओं पर पूँजीगत परिव्यय	2435.81
73	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	23.04
	कुल	**32793.95**

परिशिष्ट 2.14
(संदर्भ कंडिका 2.6; पृष्ठ 32)
आकस्मिकता निधि से निकासी (2008–09) की विवरणी

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग	उद्धेश्य	राशि
1.	2011	राज्य विधानमण्डल	यात्रा भत्ता	0.15
2.		–वही–	मंहगाई भत्ता	0.10
3.		–वही–	––	0.10
4.	2012	राज्यपाल	विवेकानुदान	0.09
5.	2014	न्यायायिक	गाड़ी की खरीददारी	0.05
6.		–वही–	जेनरेटर के लिए ईधन	0.60
7.		–वही–	लायब्रेरी	0.10
8.		–वही–	कार्यालय व्यय	0.99
9.	2015	निर्वाचन	स्थानीय निकायों का निर्वाचन	0.10
10.		–वही–	चुनाव लोकसभा (3बार)	0.34
11.		–वही–	विधानसभा चुनाव (2बार)	7.27
12.	2029	भू–राजस्व	सरकारी सम्पत्ति का प्रबंधन	0.85
13.		–वही–	कम्प्यूटरीकरण	1.78
14.		–वही–	राजस्व प्रशासनका सुदृढीकरण	1.78
15.	2039	उत्पाद	गाड़ी का क्रय	0.76
16.	2051	बिहार लोक सेवा आयोग	––	1.00
17.	2052	सचिवालय	एल.टी.सी.	0.03
18.		–वही–	गाड़ी का क्रय (4 बार)	0.28
19.		–वही–	प्रशासनिक खर्च (6 बार)	0.53
20.		–वही–	वेतन एवं भत्ता (2 बार)	0.50
21.	2055	पुलिस	नक्सल प्रभावित क्षेत्र (4 बार)	5.33
22.	2056	जेल	गाड़ी का क्रय	0.40
23.	2059	लोक कार्य विभाग	पुलिस भवन का मरम्मती एवं अनुरक्षण	0.50
24.	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	भागलपुर दंगा	0.40
25.		–वही–	आई. ए. एस. का प्रशिक्षण	0.03
26.		–वही–	आकस्मिक व्यय	1.00
27.		–वही–	कहलगाँव जॉच आयोग	0.06
28.		–वही–	लोक हित	0.90
29.		–वही–	कम्प्यूटरीकरण	0.15
30.		–वही–	बिहार भवन	0.24
31.		–वही–	कार्यालय व्यय	0.04
32.		–वही–	मशीन	2.20
33.		–वही–	सेवा पर व्यय	0.10
34.	2202	सामान्य शिक्षा	अनुदान	0.61
35.		–वही–	छात्रवृति	0.36
36.	2205	कला और संस्कृति	अनुदान	1.50
37.	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	प्रशासन	0.09
38.		–वही–	गाड़ियों का क्रय	0.09
39.	2215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	–वही–	0.52
40.		–वही–	जलापूर्ति (नगर)	0.05
41.		–वही–	जलापूर्ति (ग्रामीण)	0.10
42.		–वही–	जलापूर्ति	0.75
43.		–वही–	जलापूर्ति (सरकारी भवन)	0.10
44.	2217	नगर विकास	नगरपालिका	0.23
45.	2210	सूचना एवं प्रसारण	––	0.90
46.	2230	श्रम एवं नियोजन	सुदृढ़ीकरण	0.25

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विभाग	उद्धेश्य	राशि
47.		–वही–	बाल श्रमिकों का पुनर्वास (दो बार)	0.69
48.		–वही–	कल्याण	0.03
49.		–वही–	सूचनातंत्र का प्रबंधन	0.11
50.		–वही–	कृषि कार्य में न्यूनतम मजदूरी	0.13
51.	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	प्रशासन	0.05
52.		–वही–	पोषाहार कार्यक्रम	0.25
53.		–वही–	बीमा (2 बार)	1.88
54.		–वही–	अनुदान	1.00
55.		–वही–	परिवार और बाल कल्याण	087
56.		–वही–	वृद्धा पेंशन	0.05
57.	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	छात्रवृत्ति	0.70
58.		–वही–	अनुदान	0.06
59.	2251	सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएँ	श्रम एवं नियोजन	0.05
60.		–वही–	गाड़ी का क्रय	0.60
61.		–वही–	पी.एच.ई.डी (9 बार)	0.09
62.	2401	कृषि फसल	किसानों को सहायता (2 बार)	131.15
63.		–वही–	बीज उत्पादन	0.60
64.	2405	मत्स्य	तालाब का विकास	1.54
65.	2406	वन	वृक्षारोपण	1.00
66.	2408	खाद्य निगम	किसानों को आर्थिक सहायता	17.50
67.	2425	सहकारिता	गाड़ी का क्रय	0.03
68.		–वही–	एल. टी. ए.	0.01
69.		–वही–	कार्यालय व्यय	0.05
70.		–वही–	अनुदान	41.46
71.	2515	ग्रामीण विकास विभाग	गाड़ी का क्रय	20.74
72.		–वही–	कर्मचारियों को प्रशिक्षण	6.00
73.	2711	बाढ़ नियंत्रण	निर्देशन एवं प्रशासन (2 बार)	25.00
74.	3451	सचिवालय आर्थिक सेवा	पर्यटन (2 बार)	0.29
75.		–वही–	पशुपालन (2 बार)	0.03
76.		–वही–	गाड़ी का क्रय (3 बार)	0.35
77.		–वही–	वन	0.03
78.	3456	असैनिक आपूर्ति	ग्राम परियोजना	0.50
79.		–वही–	उपभोक्ता सर्तकता कार्यक्रम	0.08
80.	4055	पुलिस पर पूँजीगत व्यय	पुलिस भवन का निर्माण (2 बार)	34.08
81.	4049	लोक कार्य विभाग	जेल निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण	0.71
82.	4202	शिक्षा खेल और संस्कृति	स्कूलों का निर्माण (2 बार)	1.18
83.	4210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	पी.एच.सी. का निर्माण	1.00
84.	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	कब्रिस्तान की घेराबन्दी	20.00
85.	4250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	भूमि का अधिग्रहण	2.00
86.	5055	पथ परिवहन	डी.टी. ओ. का निर्माण	1.00
87.	6860	उपभोक्ता उद्योग	सहकारिता चीनी मिल को ऋण	0.02
88.		–वही–	सरकारी उपक्रमों को ऋण	29.12
89.	7055	पथ परिवहन	बिहार राज्य पथ परिवहन को ऋण	10.00
(+33 कोष्ठक में)		कुल		**472.46**

परिशिष्ट 3.1
(संदर्भः कंडिका 3.1; पृष्ठ 33)
लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की विवरणी

(राशि : करोड़ रूपये में)

क्रम	अनुदान भुगतान का वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र	
		संख्या	राशि
1	14.11.2000 तक	20190	1111.83
2	2001-02	452	261.62
3	2002-03	40	34.28
4	2003-04	61	150.06
5	2004-05	86	205.84
6	2005-06	75	991.88
7	2006-07	228	1629.66
8	2007-08*	10	172.65
	कुल	**21142**	**4557.81**

* आँकड़े अक्टूबर 2007 तक उपलब्ध। उसके बाद की सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 34)

गबन एवं सामग्रियों के हानि के कारण क्षति का विभागवार/वर्षवार विवरणी
(मामले जिन पर मार्च 2009 तक अन्तिम कार्रवाई लंबित थे)

क्रम सं0	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	कुल मामलों की सं0
1	पथ निर्माण	4	-	4
2	जल संसाधन	3	-	3
3	भवन निर्माण	1	-	1
4	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	1	-	1
5	ग्रामीण विकास विभाग	632	77	709
6	श्रम एवं नियोजन	3	-	3
7	उद्योग	2	-	2
8	कल्याण	117	-	117
9	गृह	5	-	5
10	स्वास्थ्य	9	-	9
11	भू–अर्जन	1	-	1
12	सामान्य प्रशासन	15	-	15
13	एम.एल.ए. /एम.एल.सी. निधि	1	-	1
14	सहकारिता	1	-	1
15	निर्वाचन	4	-	4
16	सिविल कोर्ट	1	-	1
17	पशुपालन एवं मत्स्य	12	-	12
18	जिला उप निबंधक	1	-	1
	कुल	**813**	**77**	**890**

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 34)

सरकार को हुई क्षति का विभागवार विवरणी

(राशि : करोड़ रूपये में)

विभाग का नाम	गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि	
	संख्या	राशि
पथ निर्माण	04	2.23
जल संसाधन	03	12.35
भवन निर्माण	01	0.33
लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	01	2.45
ग्रामीण विकास विभाग	709	327.23
श्रम एवं नियोजन	03	0.62
उद्योग	02	5.67
कल्याण	117	12.66
गृह	05	0.77
स्वास्थ्य	09	0.47
भू–अर्जन	01	0.01
सामान्य प्रशासन	15	6.38
एम.एल.ए. /एम.एल.सी. निधि	01	0.02
सहकारिता	01	2.66
निर्वाचन	04	1.41
सिविल कोर्ट	01	0.29
पशुपालन एवं मत्स्य	12	5.18
जिला उप निबंधक	01	0.26
कुल	**890**	**380.99**

शुद्धि–पत्रक

अध्याय–II: कंडिका 2.4 : पृष्ठ 31 : लाईन 20 :-

रूपये 2384.04 करोड़ के स्थान पर रूपये 2348.04 करोड़ पढ़ा जाए ।